C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2017/1938 (Saka)
No. 15, Tuesday, March 21, 2017/Phalguna 30, 1938 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 261 to 265	9-54
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 266 to 280	55-121
Unstarred Question Nos. 2991 to 3220	122-662

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 663-669

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS
33rd Report 669

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
202nd Report 670

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOUCE DEVELOPMENT
286th to 290th Reports 670

STATEMENTS BY MINISTERS
(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries

Sadhvi Niranjan Jyoti 671

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers

(ii)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers

Shri Mansukh L. Mandaviya 671-672

SUBMISSION BY MEMBER
Re: Need to direct NAFED to purchase more amount of Tur pulse 693-694, 697

MATTERS UNDER RULE 377 708-737

(i) Need to expedite gauge conversion of railway lines from Raxual to Narkatiaganj and Narkatiaganj to Bhiknathori in Valmikinagar Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Satish Chandra Dubey 709

(ii) Need to take measures for welfare of potato growers

Shri Mukesh Rajput 710

(iii) Need to provide interest-free loan to unemployed persons for setting up small scale industries under 'Stand up India' scheme in Lalganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shrimati Neelam Sonker 711

(iv) Need to provide LPG connections to all the eligible BPL households under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.

Shri Ganesh Singh 712

(v) Need to provide all the necessary facilities in Ambala having tremendous potential of becoming economic hub of the country

Shri Rattan Lal Kataria 713

(vi) Regarding registration of Hybrid/ Electronic Cars

Shri Devusinh Chauhan 714

(vii) Need to ensure proper implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

Shri Rodmal Nagar 715

(viii) Need to develop Raja Bali Garh and Nau Lakha Temple in Madhubani district, Bihar as a tourist place

Shri Birendra Kumar Chaudhary 716

(ix) Regarding effective implementation of Mid-day meal scheme

Shrimati Meenakashi Lekhi 717

(x) Need to provide full share of water due to Rajasthan from Punjab and nominate a member from Rajasthan in Bhakra Beas Management Board

Shri Nihal Chand 718

(xi) Need to set up a Water Testing Laboratory and Environmental Information System in Meerut, Uttar Pradesh

Shri Rajendra Agrawal 719

(xii) Need to provide wages to journalists as per the recommendations of Majithia Wage Board

Shri Ravindra Kumar Ray 720

(xiii) Need to constitute a new Wage Board for Media after modifying its terms of reference

Prof. K. V. Thomas 721

(xiv) Need to extend repayment period of loans by farmers

Shri M. I. Shanavas 722

(xv) Need to monitor the residential schools in the country

Shri S.P. Muddahanume Gowda 723

(xvi) Need to make amendments in the MoU regarding Chennai Metro Rail Project

Shri S. R. Vijaya Kumar 724-725

(xvii) Need to provide financial assistance to Tamil Nadu affected by heavy rains and cyclone

Shri G. Hari 726-727

(xviii) Need to undertake dredging of river Matla and its tributaries in West Bengal

Shrimati Pratima Mondal 728

(xix) Regarding rise in encounters against militants in Jammu and Kashmir

Prof. Saugata Roy 729

(xx) Need to construct railway line between Kantabanji & Khariar, Odisha

Shri Arka Keshari Deo 730

(xxi) Need to grant Rs 3 crore annually to each Member of Parliament for construction of toilets in city area of his/her constituency

Shri Gajanan Kirtikar 731

(xxii) Need to revamp healthcare and education facilities in rural India

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 732-733

(xxiii) Need to extend Mid-day meal scheme to students of 10+2 course

Shri Kotha Prabhakar Reddy 734

(xxiv) Regarding fuel surcharge or transaction fee levied by banks on customers

Shri P. K. Biju 735

(xxv) Need to provide funds for construction of an auditorium in Pratapgarh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Kunwar Haribansh Singh 736

(xxvi) Need to enact a law legitimizing bull race in rural areas of the country

Shri Raju Shetty 737

FINANCE BILL, 2017 738-854

Motion to Consider 738
Shri N.K. Premachandran 738-746
Shri Arun Jaitley 746-752
Shri Deepender Singh Hooda 753-767
Shri Rakesh Singh 768-784
Shri M. Chandrakasi 785-789
Prof. Saugata Roy 790-799
Shri Tathagata Satpathy 800-807
Shri Gajanan Kirtikar 808-810
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 811-818
Yogi Adityanath 819-826
Shrimati Kavitha Kalvakuntla 827-834
Shri Md. Badarudozza Khan 835-838
Shri Mekapati Raja Mohan Reddy 839-843
Shrimati K. Maragatham 844-848
Shri Prem Singh Chandumajra 849-852
Shri Nishikant Dubey 853-854

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 855
Member-wise Index to Unstarred Questions 856-861

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 862
Ministry-wise Index to Unstarred Questio 863-864

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 21, 2017/Phalguna 30, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Hon. Speaker: Now Question Hour, Question No. 261, Shri Uday Pratap Singh.

(Q.261)

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। जो भ्रामक विज्ञापन टीवी, अखबार, इंटरनेट और सोशल मीडिया में आते हैं, उसके ऊपर माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है। मैंने उनका जवाब विस्तार से पढ़ा है। उसमें समय के साथ बहुत सी चीजें बदली हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो कानून काम कर रहा है, वह वर्ष 1986 का है। इस कानून में वर्ष 1995 में आंशिक संशोधन किया गया था। इन 20-21 वर्षों में दुनिया में तेजी से बदलाव आया है, खासकर सोशल मीडिया और टेलीविजन के क्षेत्र में, लेकिन हमें भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के मामले में कानूनी की उतनी मदद नहीं मिली है।

हमारी जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है, वह इस पर निगरानी और देखरेख का काम करती है। इन्होंने वर्ष 2015 में 230 इस तरह के विज्ञापन उठाए जो कि प्रथम दृष्टि से भ्रामक थे। 185 भ्रामक विज्ञापनों के जांच के बाद उन्होंने यह माना कि इस तरह के विज्ञापन नहीं चलने चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। इसमें बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे, लॉरियल, एच.यू.एल. एअरटेल और गोदरेज आदि हैं।

इस देश का जो आम आदमी समझदार है, वह जान सकता है, वह इन भ्रामक विज्ञापनों को समझ सकता है, लेकिन जो आम आदमी है, जिसको लगता है कि वह इस क्रीम को लगाने से गोरा हो जाएगा, इसको खाने से उसका पेट तुरंत ठीक हो जाएगा। आजकल बालों की समस्या तो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इस प्रकार की कंपनियाँ कहती है कि इस दवा से आपके बाल तुरंत निकलना शुरू हो जाएंगे। जब तक वह आदमी समझ पाता है, तब तक तो हजारों करोड़ों रूपये का व्यवसाय इस देश-दुनिया में हो जाता है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इस तरह के विज्ञापन देने वालों के विरूद्ध, इसमें जो सेलेब्रिटिज़ इंवल्व रहते हैं, ये सेलेब्रेट्रिज़ तो हमारे आईकॉन होते हैं। कई सेलेब्रेटिज़ तो ऐसे हैं, जिनको हम लोग आदर्श भी मानते हैं। जब वे कहते हैं कि इस दवा के लगने से बाल उग आएंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि इस तरह की दवा का एक बार प्रयोग करना चाहिए। एक-एक बार के प्रयोग से हजारों-करोड़ों रूपये के व्यवसाय हो जाता है।

एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (ए.एस.सी.आई.) है, जो विज्ञापनों की देखरेख का काम करती है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय आने वाले समय में इसको ताकत

देने का काम करेगा और जो भ्रामक विज्ञापन पकड़ में आए थे, उन पर कितना आर्थिक दंड किया गया है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो मिसलीडिंग एडवरटाइजमेंट है और जो भ्रामक विज्ञापन का सवाल है, यह बहुत ही गंभीर है। भ्रामक विज्ञापन या प्रचार होते हैं, वे चार तरह के होते हैं। एक, जो निर्माता है, बनाने वाला है, वह सामान भीतर कुछ रखता है, बाहर कुछ लिखता है। दूसरा, जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनके संबंध में आपने कहा कि जो उसका विज्ञापन करता है कि आप रिवाइटल खा लो, पहलवान बन जाओगे, तीन दिन में बाल उगा लो, चार दिन में वजन बढ़ा लो, इस तरह के विज्ञापन का सवाल आता है। तीसरा, उसमें विज्ञापन देने वाला पेपर या टेलीविजन होता है और चौथा, उसमें मिलावट या डुप्लीकेट सामान होते हैं।

अध्यक्ष जी, अलग-अलग कानून बने हुए हैं। जो ड्रग्स का मामला है, ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज का मामला है। हमने अपने जवाब में दिया है कि वह हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसका 1954 का कानून बना हुआ है। आपने सही कहा कि आज हम 2017 में हैं और कानून 1954 और 1986 का है, हमारा जो कानून बना हुआ है, वह 1986 का है, हम उस पर आते हैं। जो ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट है, वह हेल्थ डिपार्टमेंट का है। उसमें जो सजा है, वह पहली बार 6 महीने की जेल और जुर्माना और दूसरी बार 1 एक साल जेल और जुर्माना, यदि वही करता है।

जो खाद्य सुरक्षा (एफ.एस.एस.आई.) कानून है, अधिनियम है, उसमें यदि कोई खाने के सामान में मिसलीडिंग करता है, तो एफएसएसएआई के अंतर्गत वह हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और उसमें 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। तीसरा, सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम है, वह भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, जो 2003 का है। उसमें पहली बार दो साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना, दूसरी बार में पांच साल की जेल या 5 हजार रुपये जुर्माना है। हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 का है, उसमें कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट के पास शिकायत कर सकता था। हमको डायरेक्ट एक्शन लेने का अधिकार उसमें नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि हमारे कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, और कोर्ट कहता है कि विज्ञापन हटा दो, और उचित कॉस्ट दो। आपने जो सिटी एंड केबल नेटवर्क कहा, वह 1995 का है। उसमें दो तरह के प्रावधान हैं। उसमें जो कानून है, वह आईपीसी से ज्यादा गवर्न होता है, जिसमें मूलबंध, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। देश की नेशनल सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसके साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता है।

जो कंज्यूमर प्रोटक्शन 1986 का था, इसको 30 साल हो गए थे और नयी-नयी चीजें, ई-कामर्स आ गया। हम लोगों ने महसूस किया कि कंज्यूमर्स एक्ट को संशोधन करना चाहिए। संशोधन करने के बाद, उसको हम लोगों ने 2015 में इस सदन में लाने का काम किया। वर्ष 2015 में जब यह आया तो उसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है। जो 2015 का एक्ट है, हमें लगा कि वह इतना इफेक्टिव नहीं है और जो संसदीय समिति ने रिपोर्ट दी है, वह काफी अच्छी रिपोर्ट है। हालांकि, उसमें बहत ही कड़े कदम भी हैं। सेलिब्रिटीज के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि पहली बार कोई सेलिब्रिटी गलत विज्ञापन करता है, तो उसको दो साल की जेल की सजा होनी चाहिए और दस लाख रुपये जुर्माना होना चाहिए। यदि दूसरी बार करता है तो पांच साल की जेल और कड़ा जुर्माना होना चाहिए। यह उन्होंने इसमें दिया है। उसमें इतने संशोधन हो गए थे, स्टैंडिंग कमेटी के बाद उसमें करीब 80 संशोधन हुए। फिर लीगल डिपार्टमेंट ने कहा कि कितनी बार मंत्री खड़े होंगे और कितनी बार बैठेंगे, इससे बढ़िया एक नया विधेयक आप ले आइए। हमने उनको मद्देनजर रखते हुए एक नया विधेयक बनाया है। वह विधेयक कैबिनेट में सर्कुलेट हो गया है। उस विधेयक में निर्माता के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है, सैलिब्रिटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है, कितनी और क्या सजा होगी, वह कैबिनेट के बाद देखा जाएगा, पब्लिशर्स के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान रखा जाएगा। पहले इनडिविजुअल लोगों को न्याय मिलता था, उसके बदले हमने अथॉरिटी का प्रावधान रखा है, जिससे क्लास एक्शन हो सके। यदि किसी एक बोतल का पानी खराब है तो केवल उसी बोतल का पानी खराब नहीं है, बल्कि बाकी सब बोतलों का पानी खराब है। यदि एक इंजन खराब है, तो एक ही कार का इंजन खराब नहीं है, बल्कि सारे इंजन खराब हैं। कनज्यूमर को वस्तु खरीदने से पहले शिकायत करने का अधिकार रहेगा, खरीदने के बीच में रहेगा और खरीदने के बाद भी रहेगा। इसके लिए सबसे इफैक्टिव कनज्यूमर कोर्ट है जो तीन लैवल - डिस्ट्रिक्ट लैवल, स्टेट लैवल और नेशनल लैवल पर है। उसका काम भी बहुत सुस्त चल रहा था। हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके उसे स्ट्रॉग करने का काम किया है। जैसे मैगी या और चीजें हैं, पहली बार ऐसे हुआ है कि नेशनल कनज्यूमर कोर्ट उसे देखने का काम कर रहा है।

मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से सहमत हूं। सरकार इसके प्रति गंभीर है। चाहे सैलिब्रिटीज़ हों या निर्माता हों, जो भी फॉल्स विज्ञापन या मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मैंट करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था की जाएगी।

श्री उदय प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से प्रश्न का जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि विसंगति होने के बाद कानून अपना काम करता है। जिस तरह

फिल्म इंडस्ट्री में कोई फिल्म बनती है, तो उसे जारी करने से पहले सैंसर बोर्ड काम करता है और बहुत कम मात्रा में इस तरह होता है कि फिल्म आने के बाद किसी तरह की कोई आपत्ति या व्यवधान हो। चूंकि अभी हमने देखा कि दो कम्पनियों ने माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी की फोटो के साथ अखबारों और टी.वी. में ऐड देना चालू कर दिया था। जब ए.एस.सी.आई ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो कानून में यह प्रावधान है कि उनका केवल 500 रुपये जुर्माना हो सकता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिस तरह सैंसर बोर्ड काम करता है और मंत्रालय की समिति द्वारा भी कड़े कानून का प्रावधान किया गया है, आर्थिक दंड भी है और जेल का प्रावधान भी है। मैं इससे सहमत हूं कि जेल के प्रावधान में थोड़ी कटौती की जा सकती है, लेकिन दंड के आर्थिक प्रावधान में कटौती करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मल्टी मिलिनियर्स हैं, बड़ी कम्पनियां काम करती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे फिल्म सैंसर बोर्ड फिल्म से पहले काट-छांट करने का काम करता है, क्या आपके निर्देशन में हम विज्ञापन गुण-दोष विवेचन बोर्ड जैसा कोई मकैनिज़्म तय कर सकते हैं जिससे कोई चीज आने से पहले ही उस पर नियंत्रण कर सकें?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में ही अवदेश सिंह भदोरिया जी ने 2011 में मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मैंट के संबंध में केस दर्ज किया था। उसमें हाई कोर्ट ने प्रैस काउंसिल ऑफ इंडिया को अपना पक्ष रखने को कहा और उनके सुझाव के अनुसार 2013 में तीन माह के अंदर सरकार से कहा कि प्रभावी कदम उठाएं। लेकिन तत्कालीन सरकार ने उस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा हुआ कि उन्होंने तीन महीने के बाद कोर्ट ऑफ कनटैम्प्ट किया। कोर्ट ऑफ कनटैम्प्ट के बाद हाई कोर्ट ने 2014 में कहा कि आप छ: सप्ताह के अंदर कमेटी बनाने का काम कीजिए। फरवरी, 2014 में एक निगरानी समिति बन गई जिसमें उपभोक्ता मंत्रालय, बीआईएस, आई एंड बी मिनिस्ट्री, प्रैस काउंसिल और अन्य संगठनों को भी जोड़ा गया। हमें खुशी है कि हमारी सरकार बनने के बाद 18.07.2014 को हमने बैठक की। अभी तक छ: बैठकें हो चुकी हैं। उसका मेन उद्देश्य भ्रामक प्रचार और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की निगरानी करना और उसके संबंध में सुझाव देना, ऐप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव मैथड का पता लगाना और सुझाव देना है। संबंधित मंत्रालय को सुझाव देना, समस्या से संबंधित पहलुओं पर काम करना, इंटर मिनिस्ट्रियल निगरानी समिति काम कर रही है। आपने जो चिंता जताई है इस तरह के मामले उनके पास आते हैं। आपको जो आंकड़ा दिया गया है, यह वर्ष 2015 से है, उसके पहले का नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी है, उसके बाद की कार्यवाही रिपोर्ट है। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैंने इसको पसर्नली और सरकार ने भी इसे बहुत गंभीरता से लिया है। जहरीला खाद्य पदार्थ से आदमी का

जीवन चला जाता है, इसके लिए दस लाख रुपये का जुर्माना कोई जुर्माना नहीं है। ये सभी पुराने कानून बने हुए हैं, इसमें बदलाव की आवश्यकता है। जो नया कन्ज्यूमर राइट्स है, हमने हर देश से पता लगाया है कि फूड एडल्टरेशन एक अलग मुद्दा है, बाहर के देश में कोई नहीं जानता कि मिलावट क्या होती है। हम यहां सोच भी नहीं सकते कि मिलावट के बिना कोई चीज मिलती है, इसलिए यह गंभीर मामला है और हमने इसे गंभीरता से लिया है।

श्री सुनील कुमार मण्डल : अध्यक्ष महोदया, मैं यहां से बोलने की अनुमति चाहता हूं। सेलिब्रिटी और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के बारे में क्वेश्चन है। इस बारे में माननीय मिनिस्टर राम विलास पासवान जी के घर में हम सभी सदस्यों ने मिल कर भी की है। सेलिब्रिटी और प्रिंट मीडिया जो प्रोडक्ट करते हैं उसे जेल और जुर्माना होता है, सेलिब्रिटी और प्रिंट मीडिया को ज्यादा कठोर सजा नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदया, देश में सरकारी कानून होने के बाद भी इन कानूनों को लागू करने में अनियमितताएं बरती जाती हैं। कुछ बेइमान लोग और भ्रष्ट अधिकारियों की मदद द्वारा सरकारी तंत्र को अस्त-व्यस्त करने की कोशिश करते हैं। सरकार ने आईएसआई सोने का हॉलमार्क, बीएसआई मार्क, इन उत्पादों को सावधानीपूर्वक जांच के पश्चात् उन्हें प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कुछ दिशा-निर्देश पहले से जारी किए हैं, लेकिन यह देखा गया है कि दिशा-निर्देश के बाद भी सरकारी अधिकारियों और कुछ बेइमान व्यापारियों, एनजीओ द्वारा ठीक से पालन किए बिना पैसे के बलबूते पर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेते हैं।

अध्यक्ष महोदया, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण समिति का सदस्य होने के नाते मैं उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास बेईमान व्यापारियों के द्वारा किए जा रहे रोकथाम के लिए आईएसआई हॉलमार्क और बीआईएस मार्क के गलत उपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून लागू करने के लिए कोई प्लॉन बनाना चाहते हैं। यदि हां तो योजना की रूपरेखा का विवरण क्या है? यदि नहीं है तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या राय है?

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बताया कि खाद्य का मामला है, इसे अलग-अलग मंत्रालय डील करता है। हमारे मंत्रालय के पास जो अभी तक पॉवर थी, वह इतना ही थी कि जब कोई कंज्यूमर्स कोर्ट में जाता था तो कंज्यूमर कोर्ट जवाबदेही तय करके निर्णय लेती थी। हमने जो नया कानून पेश किया है उसमें कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन ऑथेरिटी बनाया है और ऑथेरिटी को बहुत पॉवर दिया गया है, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। आपने हॉलमार्किंग के बारे में कहा है, इसके संबंध में भी बीआईएस बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और अब वह एक्ट बन गया है। पहले हॉलमार्क मैनडेटरी नहीं था, लेकिन हम अब उसे मैनडेटरी करने जा रहे हैं। पहले 9 कैरेट सोना से लेकर 22 कैरेट

तक सोना होता था लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता था वह 9 कैरेट का सोना खरीद रहा है या 22 कैरेट का खरीद रहा है और उससे पैसा वसूल किया जाता था। अब हमने कह दिया है कि केवल 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट रहेगा और वह भी लिखा रहेगा। इसके साथ-साथ कम्पनी का नाम भी लिखा रहेगा। पहले एक नम्बर होता था, जैसे 916 या कुछ और होता था, जिसके बारे में किसी को पता नही चलता था। इससे गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती थी। आवश्यकता होने पर हॉल मार्किंग भी हम मेनडेटरी कर सकते हैं। जहां तक खाद्य पदार्थ का मामला है, तो हमारी मिनिस्ट्री, हैल्थ मिनिस्ट्री, आईएंडबी और बीआईएस आदि सब मिलकर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में हम सारी चीजों को देख रहे हैं।

SHRI K. ASHOK KUMAR : Hon. Speaker, thank you for giving me this opportunity.

The Central Council of Indian Medicine has received complaints that some Ayurvedic and Unani practitioners are putting hoardings and advertisements in various leading newspapers to mislead general public by claiming prevention or cure of various diseases like Cancer, Diabetes, heart diseases and infertility which is a clear violation as prescribed the Central Council of Indian Medicine.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what action is being taken by the Government in this regard.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर.चौधरी) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, वह समय के अनुसार है। अब चाहे आयुर्वेद, यूनानी या सिद्धा की मेडिसन्स हों, उनके बारे में कई बार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमैंट आते हैं, उन्के बारे में माननीय सदस्य की चिंता है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके मार्फत माननीय सदस्य से विनम्र निवेदन है कि वर्ष 1954 में ड्रग्स एंड मैजिक रेमिडीज एक्ट बना है, यानी अतिशीघ्र या चमत्कारिक ढंग से दवाई देने के बाद कोई बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसके ऊपर एक्ट के तहत ही प्रोविजन्स दिये हुए हैं। यह हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा डील किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग इस पर चिंता कर रहा है। इसके अलावा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इंटर मिनिस्ट्रियल मौनीटरिंग कमेटी में हैल्थ विभाग, कन्ज्यूमर अफेसर्स के साथ-साथ सभी कन्सर्निंग डिपार्टमैंट्स के सीनियर अधिकारी बात करते हैं।

जहां पर इस प्रकार के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमैंट्स की बात आती है, तो उस पर एक्शन लेने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजा जाता है, ताकि वह देख ले कि एडवर्टाइजमैंट

गलत है या नहीं। यदि वे कहते हैं कि बिल्कुल गलत है, they are not in a comprising mood. उसके बाद गवर्नमैंट हमारे डिपार्टमैंट को भेजती है और we take action through that regulatory authority. जो संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके मार्फत निदान कराया जाता है।

(Q.262)

श्री श्यामा चरण गुप्त : अध्यक्ष महोदया, क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों की संरक्षा और बंद पड़े सरकारी उपक्रमों/औद्योगिक इकाइयों के पुनरुद्धार/जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना या कार्य योजना है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इलाहाबाद में नैनी सहित उन औद्योगिक इकाइयों का राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है, जहां पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित की जा रही है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्षा जी, माननीय सदस्य ने यहां पर लगभग मूल प्रश्न का ही जिक्र किया है। मूल प्रश्न के सभी भागों के उत्तर लिखित रूप में दिये हुए हैं। लेकिन माननीय सदस्य ने विशेषकर नैनी के बारे में पूछा है, तो नैनी में हैवी इंडस्ट्री की तीन यूनिट्स हैं। यह सवाल लोक उद्यम विभाग से है, लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय भी मेरे ही मंत्रालय के तहत आता है, उसमें से तीन उद्योग नैनी में हैं। इसमें एचसीएल की एक यूनिट है, जिसका हस्तांतरण हमने डिफेंस को किया है। उस हस्तांतरण का कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए वह यूनिट डिफेंस द्वारा चलायी जायेगी। भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के बारे में डिसइन्वेस्टमैंट का प्रस्ताव है। उस दिशा में कार्रवाई आगे चल रही है। वहां स्ट्रक्चरल इंडिया लिमिटेड के लिए मामला न्यायालय में लम्बित है, इसलिए उस दिशा में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री श्यामा चरण गुप्त : महोदया, इलाहाबाद के नैनी सहित अन्यत्र स्थित रुग्ण एवं बन्द पड़े सरकारी उपक्रमों एवं औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कामगारों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है? क्या उक्त इकाईयों में कार्यरत कामगारों के बढ़ते बकाए का भुगतान न होने से उनमें असंतोष है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा सुधार के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, जो कई वर्षों से बीमार उद्योग हैं, जो मेरे विभाग से संबंधित हैं, मैं उनके बारे में यहां पर जवाब दूंगा। सभी लोक उद्यम अलग-अलग मंत्रालयों के तहत आते हैं और भिन्न-भिन्न मंत्रालय इस दिशा में अपने निर्णय लेते हैं। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योगों की सूची मैंने लिखित उत्तर में दी है। कुल ऐसे आठ उद्यम हैं, उनकी जानकारी लिखित रूप में मैंने दी है। उनको बन्द करते समय वीआरएस का एक अच्छा पैकेज देने का हमने निर्णय लिया है, इसलिए कर्मचारियों के बीच में कोई नाराजगी नहीं है। इन उद्यमों में कर्मचारी वर्ष 1997 की पे-स्केल्स पर नौकरी कर रहे थे, अब उनको हम वर्ष 2007 की पे-स्केल्स के आधार पर वीआरएस दे रहे हैं। इस तरह से हम उनको एक अच्छा पैकेज दे रहे हैं, इसलिए उनमें कोई नाराजगी नहीं है। जो कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें कहीं और रोजगार मिले, उनको हम प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं और उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाते हैं।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदया, पीएसयूज का एक सामाजिक दायित्व होता है कि वे रोजगार देते हैं और उन जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पर निजी कंपनीज नहीं जाती हैं। पंडित नेहरू ने कहा था कि ये पीएसयूज आधुनिक भारत के मन्दिर हैं। पीएसयूज के रिफार्म्स के लिए वर्ष 2011 में रूंगटा कमेटी बनी थी। लगभग 50 पीएसयूज को कैसे रिफार्म किया जाए और उससे सबक सीखकर पूरे देश के सिक एंड क्लोज्ड पीएसयूज को कैसे रिफार्म कर सकते हैं, उसके बारे में उसने पूरी रणनीति बनाई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रूंगटा कमेटी की रिपोर्ट अब आपके पास है, क्या आप उस पर विचार करेंगे? उसके अनुसार असम में जो हिन्दुस्तान पेपर मिल है, जो कछार और नौगांव डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण पेपर मिल है, जिससे वहां बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, उसके रिवाइवल के लिए क्या आप एक स्पेशल पैकेज देंगे?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, रूंगटा कमेटी की रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर अमल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय सदस्य असम से आते हैं। असम में हमारा लोक उद्यम हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड है, जिसकी दो यूनिट्स कछार और नौगांव में हैं। उसके रिवाइवल का पैकेज हमने बनाया है और उसे कैबिनेट में प्रजेंट किया है। जल्दी ही वह रिवाइवल पैकेज कैबिनेट से एप्रूव हो जाएगा।

SHRI M.B. RAJESH : Madam Speaker, I want to thank both the Union Government and the Government of Kerala for helping to save the Instrumentation Limited, Palakkad. It is a profit-making PSU but there are some uncertainties and delay related to the package as to who will bear the liability of Rs. 40 crore towards salary dues.

Will the hon. Minister assure this august House, in order to expedite the handing-over of IL, Palakkad, that the Government will take up the responsibility of the liability of Rs. 40 crore and expedite the matter?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की दो यूनिट्स हैं - कोटा और पालाकाड। इनमें से कोटा यूनिट बन्द करने का हमने निर्णय किया है। पालाकाड यूनिट के लिए मैं केरल की राज्य सरकार को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस यूनिट को टेक-ओवर करने का निर्णय लिया है। इस बारे में चर्चा चल रही है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, राज्य सरकार से चर्चा करके हम इस बारे में सही समाधान निकालेंगे।

SHRI ANIL SHIROLE : Hon. Speaker, I want to ask the hon. Minister, through you, as to what steps have been taken by the Government to revive the Hindustan Antibiotics in Pune district and the result thereof.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय सीधे मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है। लोक उद्यम के नाते हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स मेरे पास आता है, लेकिन यह मामला एक अलग मंत्रालय कैमिकल एंड फर्टिलाइजर्स से जुड़ा हुआ है। मैं यह सवाल उनको रैफर कर देता हूं।

श्री अरविंद सावंत : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे नहीं लगता कि माननीय मंत्री महोदय जी के पास समाधान होगा, क्योंकि जब ये लोक उद्यम बंद होते हैं, यह ठीक है कि वी.आर.एस. देते हैं, अब उसकी जमीन में एनक्रोचमेंट होता होगा। उस भूमि का हम क्या करते हैं, पता नहीं है। क्या उसके कुछ एसैट्स को हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं और उसके भी आगे जाकर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पब्लिक सैक्टर यूनिट्स आज घाटे में हैं, उनमें दो चीजें होती हैं कि वे कुछ गलत नीतियों की वजह से, जैसे पूर्व की सरकार की गलत नीतियों की वजह से बी.एस.एन.एल और एम.टी.एन.एल. घाटे में हैं, ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से ही घाटे में गई हैं। जिस उद्योग से आपको बहुत सारा लाभ मिल रहा है, Some huge profit making units are there. क्या उसकी राशि से जो पब्लिक सैक्टर रिवाइव कर सकते हैं, उनको कुछ राशि बिना ब्याज के देकर क्या उनका पुनरुद्धार करने की कोशिश सरकार कर सकती है ? इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उस भूमि में जो कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं, उनमें एनक्रोचमेंट रोकने के बाद उसकी प्रोपर्टी से क्या पैसा मिलता है या नहीं मिलता है?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्य की पहली बात से पूरी तरह से सहमत हूं। भारी उद्योग मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई उद्योग बंद होता है तो उसका आनंद होना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं है। मेरे लिए वह दर्द और दुख की बात है। जो एसैट्स की बात माननीय सदस्य ने कही है, एसैट्स को हम पूरी तरह से प्रोटैक्ट करते हैं। उसमें एनक्रोचमेंट नहीं होने देते हैं। तीसरे, जो उन्होंने यहां पर बात कही है, वह एक सुझाव है कि जो अच्छी पी.एस.यूज. हैं जो प्रॉफिट देते हैं तो क्या जो बीमार पी.एस.यूज. हैं, उनको वित्तीय सहायता क्या उनके द्वारा दी जा सकती है, यह सुझाव जो माननीय सदस्य ने दिया है, निश्चित रूप से इस विचार के बारे में हम सोचेंगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री जोस.के.मणि जी, आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए। केरल का प्रश्न हो चुका है।

SHRI JOSE K. MANI : Madam Speaker, in the answer, the hon. Minister has stated, "As far as the Department of Heavy Industry is concerned, the units having profitability potential are supported to improve their performance".

The Public Sector Undertaking, the Hindustan Newsprint Limited in my constituency is making profit since 1982, right from its inception, except for three years in which it incurred loss. During the last year also it made profit. But now the Government has taken a decision to privatise it. The Kerala State Assembly has passed a Resolution unanimously that this unit should not be privatised. There is a contradiction here. I am not against the units being closed which are in red. But a unit which is earning profit is being privatised. … (*Interruptions*)

So, I would request the Government to protect HNL from being privatized. … (*Interruptions*) I demand from the Minister to roll back that decision taken by the Government. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All of you sit down. This is not the way.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The Minister is answering.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट के बारे में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न यहां पर पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि यह एक प्रॉफिट मेकिंग पी.एस.यू. था और कुछ समय के लिए घाटे में रहा और अब फिर प्रॉफिट करने लगा है। लेकिन अधिकतर जितने भी पी.एस.यूज. हमारे देश में बंद हो गये हैं, ये पिछले एक-दो साल की ये घटनाएं नहीं हैं। पिछले कई वर्षों से ये सारी इंडस्ट्रीज, उद्योग बीमार होते गये। बीमार होने के बाद ...(व्यवधान) आप पहले जवाब सुन लीजिए।

माननीय अध्यक्ष : यह तरीका ठीक नहीं है। आप सब बैठिए। बीमार तो हुए हैं न। बैठिए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से बीमार होने के कारण हजारों करोड़ों रुपये नॉन-प्रोडक्टिव सरकार को उनको देने पड़ते थे। सरकार का नुकसान होता था, इसलिए कुछ यूनिट जो नहीं चल सकते हैं, उन्हें बंद करने का हमने निर्णय किया है और कुछ यूनिट्स के बारे में डिसइंवेस्टमेंट के बारे में सोचा है। यह प्रक्रिया शुरु हुई है। अभी तक अंतिम डिसइंवेस्टमेंट नहीं हुआ है।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Not like this. This is not the way. Please take your seats.

… (*Interruptions*)

(Q. 263)

DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, the Minister's response sidesteps the question that there is an undeclared environmental emergency around the Vellayani Lake. It is the largest freshwater lake in my constituency, and indeed, in all of the Thiruvananthapuram district, which is vital to the drinking water requirements of the people I represent.

In 1926, it spanned 750 hectares, today, it is drastically reduced to a mere 480 acres. This is a very serious matter because a study conducted by the Kerala Agriculture University has predicted a gap of 1,268 billion liters between supply and demand by 2021 but in fact, the hardship of 2021 has already arrived in 2016. We are now at a crisis point. The Minister's answer, I am really sorry to say, does not take into account the pollution from urban and agricultural sources, the poor conservation, sand mining, illegal encroachment and unauthorized construction. This is a major crisis. It is an environmental issue. The Supreme Court has been ruling about the importance of how water is fundamental to life. In these circumstances, I really would like to know what the Environment Ministry could do to assist in solving this critical situation.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: I appreciate the concerns raised because this Vellayani Lake which is near to Thiruvananthapuram, is an important lake. The issue is that he has specifically asked about the Biodiversity Heritage Site under the Biological Diversity Act, whether it has been decaled under the Act or not? When I was handling this Environment Portfolio, I had written to Shri Shashi Tharoor on 27.10.2015 that the Biological Diversity Heritage spot has to be declared by the State Government. It cannot be declared by the Central Government. It has been rightly said that the said lake has now been reduced to practically half. I have gone to Bengaluru and seen the situation of the lake. We have a very Big Lake Development Programme. If there are lakes which are meant for drinking water purposes, the Urban Development Ministry also helps. Under the AMRUT, we have given assistance to many other lakes also. So, the Kerala

Government has to send the proposals, which they have not sent. So, this is what we have done.

DR. SHASHI THAROOR : Madam Speaker, I have requested for your permission to ask the second supplementary in Malayalam. I understand that interpretation has been arranged. I may be allowed to do so.

HON. SPEAKER: Yes.

*DR. SHASHI THAROOR : Minister sir, Kerala is known as Gods own country. God has given us, 44 rivers and several lakes. But these rivers and lakes are getting dried up. You know it is an environmental issue, that also involves availability of potable water.

National sample survey N.S.S says that only 29.5% of our rural households get potable water. I have already mentioned the environmental issue and the urgent need to protect the biological wealth. But your answer, transfers all the responsibilities on to the shoulders of the State Government. In what way can the Central Government help us in this regard? How can you help the people of Kerala, get potable water, and also protect the water bodies like the Vellayani lake? Are you ready to extent help to our people in this regards? I am told that there is a policy to offer grants worth 75 crores; and that has prompted me to raise this question. You say that the onus lies with the State Government. If so what help can we expect from the Central Government?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, let me again state the fact that though the Concept Note was moved by the State Biodiversity Authority, it has not come through proper channel from the State Government. There is a proper procedure for funding. We are eager to fund and we are doing it. I will cite you some examples. In the case of Dal Lake in Kashmir, we have granted Rs. 300 crore. What vitiates the lake water is the sewage which has to be treated. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) also provides money and

* English translation of this part of the speech originally delivered in Malayalam.

we also provide money through the National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems. So there are two or three Ministries which fund this. Even the Ministry of Water Resources provides funds for protection of ponds where agricultural purpose is served. In Nainital, we have provided Rs. 65 crore. काम पूरा हुआ है, अच्छा हआ है। For Ramgarh Tal, Jhansi Lakshmi Tal and other lakes, totally we have provided Rs. 130 crore through other schemes also. But there is a method. I can understand the anxiety and concern of the hon. Member for the lake. But he has to please convince the State Government to follow the process and we will do it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam Speaker, I want to ask a question.

HON. SPEAKER: Yes, but please ask only with reference to this Question.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Yes Madam. I thank you very much for this opportunity.

Like the Vellayani Lake, there is another lake called the Sasthamcotta Lake which has been approved by the Ramsar Convention. This is also in the same pathetic position and it is also dying. It is one of the major fresh water lakes in the State of Kerala. Unfortunately it is not being protected. Many steps have been taken by the Government of India. But unfortunately it has not become fruitful.

So, my question to the hon. Minister is whether any Centrally- Sponsored Scheme will be implemented so as to protect the fresh water lake, namely the Sasthamcotta Lake. I would also like to know whether there is any proposal to have a National Wetland Conservation Authority which was pending during the time of the UPA Government. What is the policy decision of the Government of India regarding constitution of a National Wetland Conservation Authority so as to protect the wetlands in our country?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Madam, wetland protection is a very important area on which we are working. On the issue of this particular lake which the hon. Member has mentioned, we will definitely get back to the hon. Member because

this is not covered in this Question. But we will get back to the hon. Member on the specific issue of that lake.

(Q. 264)

श्री सदाशिव लोखंडे : अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में पुलिस का कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। समाज में कानून का पालन और सुव्यवस्था कायम करना लोगों का भी नैतिक दायित्व है, लेकिन कानून व्यवस्था कायम करने के लिए कुछ कर्मचारी रक्षक बनने की जगह भक्षक बन जाते हैं। इस वजह से पुलिस की छवि खराब होती है। कानून कायम करने के नाम पर किसी से भी जबरदस्ती अपराध कबूल करवाना बहुत तकलीफ की बात है।

महोदय, प्रश्न के उत्तर में पुलिस हिरासत में मौत के आंकड़े दिए गए हैं। पुलिस जानबूझ कर आरोपियों को दादागीरी से प्रभावित करती है। सदन में मुम्बई के पूर्व पुलिस कमिश्नर भी मौजूद हैं। सबसे ज्यादा अपराध महाराष्ट्र में हुए हैं। मुम्बई में बिहार और दिल्ली से भी ज्यादा मौतें हिरासत में हुई हैं। मेरा प्रश्न है कि ऐसे जो अपराध हुए हैं, क्या उसके लिए केंद्र सरकार सीबीआई जांच कराएगी?

श्री किरेन रिजीजू : महोदया, यह बात सही है कि पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या महाराष्ट्र में थोड़ी ज्यादा हैं। यदि मैं पूरी संख्या के आंकड़े पढ़ूंगा, तो इसमें ज्यादा समय लगेगा। मैं बताना चाहता हूं कि यदि पुलिस द्वारा टार्चर होता है और इल्लीगल तरीके से किसी की मौत होती है, तो उसके लिए कानून में स्पेसिफिक प्रावधान है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के डायरेक्टिव्स और कोर्ट्स के भी डायरेक्शंस हैं कि ऐसे केसेस में किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी और ज्यूडिशियल इन्क्वायरी का प्रावधान है। जैसे ही इस तरह की कोई घटना सामने आती है, यदि अप्राकृतिक मौत नहीं हुई है, बीमारी या आत्महत्या से मौत नहीं हुई है, तो तुरंत पुलिसकर्मी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जाता है। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी किया गया है।

श्री सदाशिव लोखंडे : महोदया, मेरा प्रश्न है कि पुलिस कस्टडी में जो मौतें होती हैं, उसके लिए केन्द्र सरकार को एक क़ानून बनाना चाहिए। पुलिस कस्टडी में हुई मौतों की जाँच ऑटोमेटिक सीबीआई द्वारा कराई जानी चाहिए।

कई बार पुलिसकर्मी गुंडे से भी ज्यादा दादागीरी करते हैं, उस पर अंकुश होना चाहिए। क्या भारत सरकार इसके लिए कोई क़ानून बनाएगी और उसके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी?

श्री किरेन रिजीजू : मैडम, इससे संबंधित कुछ भागों का उत्तर मैंने पहले दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ह्युमैन राइट्स कमिशन की गाइडलाइंस है कि यदि कोई पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी का दुरुपयोग करके किसी को हिरासत में लेता है, उसके विरुद्ध कोई ऐसा व्यवहार करता है, जिससे उसको चोट पहुँचती है या उसकी मौत हो जाती है, तो 24 घंटों के अंदर उसकी रिपोर्ट देना जरूरी होता है। इसके साथ ही, इसके

लिए बहुत लम्बी-चौड़ी गाइडलाइंस है जैसे पुलिस कस्टडी में सीसीटीवी रखना और समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा इसका जायज़ा लिया जाना आदि का प्रावधान है। माननीय सदस्य के संज्ञान में यदि कोई केस आता है या कोई लैप्सेज हुई हैं, तो वे उसे जरूर हमारे सामने भी ला सकते हैं।

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN : Respected Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister, the effective steps taken by the Union Government to curb the custodial deaths in the country. The custodial deaths can be prevented if the police stations are covered by CCTV cameras, which will enforce a fear among the culprits involved in such crimes.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is considering to provide CCTV cameras, which would help in further modernization of the police force.

SHRI KIREN RIJIJU: Madam, I have already answered partly, this particular query. But let me be specific. In one particular case of *Shri Dilip K. Basu versus State of West Bengal and others,* the Supreme Court had very categorically made two direct observations and directions with regard to the question being asked by the hon. Member. The first one is, 'the State Government shall take steps to install CCTV cameras in all the prisons in their respective States within a period of one year from today, but not later than two years.' Secondly, 'the State Government shall also consider installation of CCTV cameras in police stations in a phased manner depending upon the incidents of Human Rights violations reported in such stations.'

That is why, the provisions are already made, and the Government of India, Ministry of Home Affairs is also in touch with various State Governments. So, through the National Human Rights Commission, and through the 25 States, which have already established their State Human Rights Commission, things are being monitored.

श्री रमेश बैस : माननीय अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है कि तीन साल में एक भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन पुलिस कस्टडी में मौतें हुई हैं। कई थानों में देखने में

आता है कि लोग पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं और उनके परिवार वालों को नहीं बताया जाता है कि उसकी मृत्यु हो गयी है। जब पब्लिक एजीटेशन होता है, तब बताया जाता है। इस प्रकार से, इतनी मौतें हुई हैं, तो अभी तक किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसके लिए किसी भी पुलिसकर्मी को दोषी क्यों नहीं पाया गया है?

श्री किरेन रिजीजू : महोदया, माननीय सदस्य जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से हम लोगों की भी जिम्मेवारी होती है। ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए चाहे कोई अपराधी हो या अपराधी न हो, कानून के तहत ही उसके साथ व्यवहार होना चाहिए। किसी पुलिसकर्मी द्वारा उठाए गए किसी ऐसे कदम के संबंध में आपने कहा है कि इन मामलों में चार्जशीट होती है, लेकिन प्रौसिक्यूशन या कंविक्शन नहीं होता है। इस विषय पर मैं बताना चाहूँगा कि हर स्टेट का अपना अलग पुलिस मैन्युल होता है। उस पुलिस मैन्युल के मुताबिक सारी मौतें पुलिस द्वारा किए गए टॉर्चर से ही नहीं होती हैं। उनमें से कुछ मौतें नैचुरल डैथ्स भी होती हैं एवं उनके अन्य कारण भी होते हैं। मैंने पहले भी यह बात कही थी कि राज्यों में मानवाधिकार आयोग बने हुए हैं। ये आयोग भी समय-समय पर इसका जायजा लेते रहते हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से हम इन आयोगों को पूरा समर्थन देते हैं। यदि सभी स्टेट्स की पुलिस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दिए गए डायरेक्टिव्स को फॉलो करेगी, तो जो असम की चर्चा यहाँ चल रही है, उस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी।

माननीय अध्यक्ष : श्री सत्यपाल सिंह जी। आप तो खुद भी कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे माननीय मित्र सदाशिव जी ने जो प्रश्न पूछा है, मैं उसके संबंध में बोलना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आपके काम का रिकार्ड निकालना पड़ेगा।

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि, मौत कैसे भी हो, वह बड़ी दुखदायी होती है। जिस पुलिस का काम लोगों की जान-माल की रक्षा करना है, यदि उसकी हिरासत में कोई मौत हो तो यह वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मंत्री जी की तरफ से यहाँ पर आँकड़े दिए गए हैं। हमारे मित्र सदाशिव जी ने यहाँ महाराष्ट्र का जिक्र किया है। मैं इसके संबंध में आदरणीय सदन को यह बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मुंबई की पुलिस हिन्दुस्तान की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है। ...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, यह जवाब है या सवाल है?

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, यहाँ आँकड़े दिए गए हैं कि महाराष्ट्र में इतने लोगों की पुलिस हिरासत में मौत हुई। इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने कहा है। ये केवल पुलिस हिरासत में हुई मौतों के नंबर नहीं हैं, इनमें जेल में होने वाली मौतों के आँकड़े भी शामिल हैं। जेल के अंदर भी सारे लोग पुलिस हिरासत में माने जाते हैं। कोई ज्यूडिशियल ...(व्यवधान) इस विषय में मेरा कहने का मतलब यह है कि बाद में जब जाँच होती है, तो मालूम चलता है कि मौतें बीमारी या अन्य प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है। इंक्वायरी होने के बाद जो आँकड़े आते हैं, उन आँकड़ों के हिसाब से वूमेन राइट्स कमीशन, सेंट्रल कमीशन ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको दोष नहीं दे रहे हैं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : अध्यक्ष महोदया, मेरा इतना कहना है कि...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

डॉ. सत्यपाल सिंह : ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ कि यदि किसी भी आदमी को गलत रूप से पुलिस गिरफ्तार करती है, या ...* से बाद में मालूम चलता है कि पुलिस या ...* तो क्या भारत सरकार राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश देगी कि जो गलत रूप से गिरफ्तार किए गए है, उन्हें बीमा राशि दी जाए। अगर किसी को गलत कारणों से गिरफ्तार किया जाता है, तो इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।

श्री किरेन रिजीजू : महोदया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर निर्देश दिए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 के सेक्शन 18 के तहत यदि कोई गलत काम किया जाता है, तो उसके लिए मॉनिटरी कंपनसेटरी का प्रोविजन है। यदि इस आजाद हिन्दुस्तान में किसी के भी साथ कोई गलत काम होता है, तो उसके लिए रिलीफ का प्रोविजन इसमें दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 265, श्री बैजयंत जे. पांडा जी।

---

* Not recorded

(Q.265)

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : Madam, the hon. Minister has given a detailed response about India's obligations under the Montreal Protocol which has recently been amended under the Kigali Agreement in Rwanda on global warming. This regards to the restriction on hydrofluorocarbons.

My question is with regard to the baseline years with which we have to restrict. The developed countries have to start restricting HFCs from the year 2011 onwards; China and similar countries have to start restricting them from 2020 onwards; and India has agreed to start restricting them from 2024 onwards, in other words, only four years after China.

Madam Speaker, I would like to point out to the hon. Minister that there was a time, back in 1980, when the Chinese and the Indian per capita income was about the same but in the past 35 years, they have grown vastly more than us and their economy is now five-and-a- half times bigger than India. In fact, today's Indian economy size is roughly where China's economy was in about 1998. So, we are almost 20 years behind them. My question to the hon. Minister is this. Is only a four-years gap, after China starts restricting, good enough for us? Will we have developed enough or will we have taken advantage of the existing technologies enough? Or, is there a scope to further delay it to accommodate our catching up in proportion to other countries?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: First, let me tell you that we had moved an amendment on this. And after a lot of discussion, the world has come to a conclusion because the Montreal Protocol in its earlier missions also was a successful mission. So, what you are asking exactly is not just four-year gap than China. The main principle is that there will be a ten-year gap with the common but differentiated responsibility principle. Therefore, if you see the USA, their freeze comes in 2011-2012-2013 and reduction starts in 2019. Our reduction starts in 2032. So, there is a case that 10 per cent reduction in 2032, again 10 per cent reduction in 2037, again 10 per cent reduction in 2042 and then by 85 per

cent in 2047. So, it is 25 years' period that we have already got. China's baseline starts in 2022. That is the period. The reduction starts in 2028. While India will have 2024-2025-2026 baseline years, we start in 2030. So, we do not achieve 85 per cent reduction in four-years gap. There is a gap of nearly 14 years.

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA : Madam, for my second supplementary, I would like to ask a question with regard to the Multilateral Fund (MLF) that the hon. Minister has referred to. It is supposed to give financial assistance to countries and industries and places like India so that we can develop our technology. But in the later section, he has pointed out that as far as the Indian Government is concerned, we are not giving any specific financial assistance except we are giving some rebate on customs duties and excise for equipment connected to this industry. My question is this. When we are taking on global responsibilities for example, on climate change, we are also investing heavily, for example, on solar energy. Now, when we are taking on this obligation on restricting hydrofluorocarbons which will affect our economy, should we also not be giving much more incentives for the industry? How can our industry take advantage of the Multilateral Funding? Is there any specific scope or Cell that your Ministry will set up to assist our industry from getting advantage of this global fund?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Earlier phase down had happened under the Montreal Protocol. There was 100 per cent funding available from the developed countries. The same continues today. So, it is the obligation of the developed countries to finance through MLF and that will continue but again, what we have decided, you see, in this alternative to HFC and HCFCs, is that we are talking about two companies having real monopoly in the world's scenario. So, what the Indian Government has decided is that HFC alternative has to be developed under mission innovation. We are using the India Innovation Fund for it. And the Indian Chemical Institute of Chennai will develop that job. They have been asked to do that job and we have also given on our own a helping hand. We are the first

country to issue our industries not only a helping hand but we have directed manufacturers of hydrochlorofluorocarbon HCFC-22 not to emit or HFC-23 in the atmosphere and to incinerate HFC-23 using an efficient and proven technology and that is why, we are doing research also. We are funding also. We will take care of our industry but we care for nature also and we care for atmosphere and greenhouse emission also.

HON. SPEAKER: Shri R. Dhruvanarayana is not there. Now, Shri P.D. Rai.

SHRI PREM DAS RAI : Madam, this particular Question is a very important one and I thank the hon. Member, Panda Ji who had brought this particular Question. Insofar as these international compacts and agreements are concerned, the basic question that I would like to ask, through you, Madam, is this. Why are these kinds of agreements not debated in Parliament? We do not have a ratification process. Because it is so important that most of these compacts, including the Climate Change Compact, actually go at the level of the Panchayats. It is affected there. Therefore, an understanding of this kind of technical issues is also required at the level of the people who are most affected by it. So, will the hon. Minister please reply to this particular concern?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: As far as ratification is concerned, yes there was a proposal moved by many Members earlier also that there should be ratification. We have a system where the Cabinet takes the decision. But there is no limit to discuss this issue in Parliament as we are discussing this today through Questions. If anybody moves any other Motion, that can also happen. Therefore, with the Cabinet approval, ratification happens but we are not barred from discussing these issues.

HON. SPEAKER: Question Hour is over.

———

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table. Shri Anant Geete

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): अध्यक्ष महोदया, मैं लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2015-16 (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 6659/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6660/16/17]

(2) इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6661/16/17]

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): Madam, on behalf of Shri Anil Madhav Dave, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Biodiversity Authority, Chennai, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6662/16/17]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Environment Education, Ahmedabad, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Environment Education, Ahmedabad, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6663/16/17]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2017 जो 6 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 349 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 6664/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Human Rights Commission, New Delhi, for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6665/16/17]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलटीस, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलटीस, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6666/16/17]

(3) (एक) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिहैब्लीटेशन ट्रेंनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट आफ रिहैब्लीटेशन ट्रेंनिंग एंड रिसर्च, कटक के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6667/16/17]

(5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फार इम्पावरमेंट आफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलटीस, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फार इम्पावरमेंट आफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलटीस, चेन्नई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6668/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Sambhar Salts Limited, Jaipur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6669/16/17]

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited, Ootacamund, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6670/16/17]

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Salts Limited, Jaipur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6671/16/17]

(3) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Hindustan Cables Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industry and Pubic Enterprises, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6672/16/17]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Karnataka Antibiotics and Pharmaceuticals Limited, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 6673/16/17]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6674/16/17]

(ii) Memorandum of Understanding between the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited and the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 6675/16/17]

12.01 hours

STANDING COMMITTEE ON CHEMICALS AND FERTILIZERS

33rd Report

HON. SPEAKER: Now, Report of Standing Committee on Chemicals and Fertilizers. Shri Anandrao Adsul---Not present.

Shri K. Ashok Kumar.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Madam, I beg to present the Thirty-third Report on 'Demands for Grants 2017-18' of Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals).

12.02 hours

STANDING COMMITTEE ON HOME AFFAIRS
202nd Report

SHRIMATI KIRRON KHER (CHANDIGARH): Madam, I beg to lay on the Table the Two Hundred Second Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Home Affairs on the Demands for Grants (2017-18) of the Ministry of DoNER.

12.03 hours

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOUCE DEVELOPMENT
286th to 290th Reports

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदया, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (मांग संख्या 98) की अनुदानों की मांगों 2016-17 के बारे में 277वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 286वां प्रतिवेदन।

(2) युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (मांग संख्या 100) की अनुदानों की मांगों 2016-17 के बारे में 287वां प्रतिवेदन।

(3) उच्चतर शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2017-18 (मांग संख्या 58) के बारे में 288वां प्रतिवेदन।

(4) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2017-18 (मांग संख्या 99) के बारे में 289वां प्रतिवेदन।

(5) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2017-18 (मांग संख्या 57) के बारे में 290वां प्रतिवेदन।

12.04 hours

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 23rd Report of the Standing Committee on Agriculture on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Food Processing Industries*

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

12.05 hours

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam Speaker, I beg to lay the following statement regarding :- the status of implementation of the recommendations contained in the 21st Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 6676/16/17 and 6677/16/17 respectively.

(ii)(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): Madam Speaker, I beg to lay the following statement regarding : the status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

---

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 6678/16/17.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ सदस्यों से विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

माननीय अध्यक्ष : अब जीरो ऑवर लेते हैं, श्री नन्दी एल्लैया जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री नन्दी एल्लैया (नगर कुरनूल) : अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जाति को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने हेतु उप-श्रेणीकरण (Sub-Categorization) किये जाने पर सहमति दी है तथा इसका प्रकाशन 16 नवम्बर, 2006 को भारत सरकार के असाधारण गजट (Extraordinary Gazette) में प्रकाशित किया गया है।

इस संबंध में मैंने दि. 07.12.2015 को माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के समक्ष एक प्रजेन्टेशन दिया था। वर्ष 1988 में भारत सरकार ने कमिश्नर के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान के लिए एक कमेटी बनाई और उन्होंने 59 अनुसूचित जातियों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बराबर आरक्षण का अधिकार दिये जाने का निर्णय किया गया। माला और आदि-आन्ध्र कम्युनिटीज को, जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, उन्हें जनसंख्या के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं में रोजगार नहीं दिया जा रहा है और मादिगास, रिली और मेहतर समुदाय को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में रोजगार न देकर घोर अन्याय किया जा रहा है।

पूर्व आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में वर्ष 2000-2004 के अंतर्गत इन कम्युनिटीज को जनसंख्या के आधार पर समान रूप से सुविधा दी गई थी।

लेकिन भारत सरकार के उच्चतम न्यायालय द्वारा इस व्यवस्था को इस आधार पर रद्द किया गया है कि यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे सिर्फ पार्लियामैन्ट ही लागू कर सकती है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि वह आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के अनुसूचित जाति के ए.बी.सी.डी. कम्युनिटीज को एक समान न्याय प्रदान करे। जैसा कि न्यायमूर्ति ऊा मेहरा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इन कम्युनिटीज का सब-कैटेगराइजेशन ए.बी.सी.डी. ग्रुप में करने हेतु अपनी सिफारिश की है। उाा मेहरा आयोग रिपोर्ट कैबिनेट में आई हुई है, जिसमें विशेाकर तीन प्रांतों तेलंगाना, रायलसीमा और कोस्टल आंध्र को शामिल किया गया है। आपसे अनुरोध है कि कैबिनेट से इस रिपोर्ट को पास कर पार्लियामैन्ट में बिल बनाकर पारित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): Hon. Speaker Madam, I thank you very much.

Madam, UID is something which we are using as Aadhaar Card for human beings, but UID is needed even for military equipments. As far as defence is concerned, in the Army, the Navy and the Air Force, many equipments are common and their inventory is very large. NATO standardized process has NSN numbers. We do not use the numbers and standardization process is a problem. If we use the Bureau's methods of efficient management of inventory, we will decrease our procurement by 30 per cent and we can move the things because we go on buying and making purchases of equipments and parts which are already available. So, people who have been working on this particular project need not be shifted. The project should be completed and some senior people should be involved so that we can manage the inventories better, reduce the cost of procurement and have an efficient management of our procurement process. Thank you.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Rodmal Nagar, Shri Alok Sanjar, Shri Sharad Tripathi and Shri Nishikant Dubey are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Meenakashi Lekhi.

श्री अजय निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): अध्यक्ष महोदया, आजादी के 70 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन देश के विभिन्न भागों में परंपरागत रूप से मछली मारने वाले लगभग पांच करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला मछुआरा समाज आज भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से काफी पिछड़ा है, साथ ही आर्थिक रूप से भी काफी कमजोर है। अभी भी मछुआरा समुदाय नदियों, जलकरों एवं समुद्री तटों के किनारे आदिवासियों की तरह जीवनयापन करते हैं।

बिहार सरकार ने मुछ्आरा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा देते हुए कैबिनेट से पास करा कर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। फिशरी को बढ़ावा देने एवं फिशरमैन के आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में फिशरी एलायड डिपार्टमेंट है, इसके बावजूद मछुआरा समाज उन लाभों और सुविधाओं से वंचित रहता है, जिसका फायदा इस व्यवसाय से जुड़े लोग नहीं उठा

पाते हैं। ऐसा देखा गया है कि प्राकृतिक आपदा के समय सभी एग्रीकल्चरल सैक्टर के अलावा दूसरे फार्म होल्डर, पोल्ट्री फार्म आदि का बैंक लोन वेव ऑफ हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश मछुआरा समाज यहां भी उपेक्षिकत रहा है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मछुआरा समाज की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करते हुए मांग करना चाहूंगा कि मछुआरा वर्ग के सर्वांगीण विकास के मद्देनज़र मछुआरा समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान किया जाए। भारत सरकार में मतस्य कल्याण का एक अलग मंत्रालय बनाया जाना चाहिए, साथ ही उनके आर्थिक उन्नयन हेतु राट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकान्त दुबे, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री शिवकुमार उदासि, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री लखन लाल साहू, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री कौशलेन्द्र कुमार को श्री अजय निााद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जनक राम (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदया, हम आपका ध्यान गोपालगंज जिले में चल रहे केंद्रीय विद्यालय की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं।

महोदया, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा खोला गया केंद्रीय विद्यालय का एक यूनिट गोपालगंज में चल रहा है। लेकिन उसका स्वयं का भवन नहीं है। इस कारण से वह भी.एम. हाईस्कूल के भवन में चल रहा है। जो सरकार के विद्यालय हैं, उनमें बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। हर माता-पिता की इच्छा है कि उनके बेटा-बेटी को अच्छी शिक्षा मिल सके। केंद्रीय विद्यालय का पठन-पाठन अच्छा है। लेकिन अपना भवन न होने के कारण भी.एम. हाइस्कूल के प्रांगण में चलता है। हम सदन के माध्यम से यह आग्रह करना चाहते हैं कि वहां भवन बनाने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाए और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए हथुआन मण्डल में एक और केंद्रीय विद्यालय का यूनिट खोलने की कृपा की जाए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्यवाही हो।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जनक राम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): अध्यक्ष महोदया, प्रतिवर्ष 27 फरवरी मराठी भाषा के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए मराठी भाषा को विशेष भाषा का दर्जा देने के लिए मैं अपनी बात मराठी भाषा में रखना चाहता हूँ।

*Hon. Speaker Madam, every year on 27th February, we celebrate Marathi Bhasha Divas. I would like to speak in Marathi to get a special status for Marathi language.

Government of Maharashtra has sent a detailed proposal to the Ministry of Culture to accord classical language status to Marathi. It fulfills the prescribed criteria to get the status of classical language fixed by Central Government. In Maharashtra, a special committee was formed for this purpose and that committee has done an extensive research work in this regard to give sufficient proofs. The committee studied old references, old scriptures and books and ancient inscriptions on stone and metals. And a detailed proposal had been submitted to Maharashtra Government to forward it to Central Government. This committee, in the detailed report, has proved that Marathi fulfills the criterion prescribed by Central Government to grant classical language status to Marathi.

A note had been sent on 28th April, 2015 in connection with granting classical language status to Marathi, to the Cabinet Secretariat. Now it is under their consideration. Hence, I would like to request the Government through you to take a positive decision in this regard as early as possible.

We are fortunate that we speak and listen in Marathi. Marathi traverses castes, creed and religions. We regard Marathi as our own mother. We respect and love our Marathi language from the bottom of our hearts. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री अरविंद सावंत, श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री कृपाल बालाजी तुमाने को श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I also associate with this. It is not only the classical language but is also an official language of this country.

माननीय अध्यक्ष : आप सामूहिक प्रयास कीजिए, खड़गे जी भी आपको सहयोग करेंगे।

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, देश में मानव तस्करी काफी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। हाल में ही हमारे संसदीय क्षेत्र के बगल में सरसेना, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) के एक मानव तस्कर धनन्जय सिंह द्वारा दुल्लहपुर, गाजीपुर में अपना खुल्लमखुल्ला कार्यालय दिन दहाड़े खोलकर वहाँ के कई युवकों से, उनकी जमीन-जायदाद आदि बिकवाकर लाखों रुपये उनसे ऐंठतें रहे हैं।

12.16 hours (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

महोदय, लगभग तीन वर्ष पूर्व मेरे संसदीय क्षेत्र के दो सगे भाई श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं श्री नरेन्द्र सिंह, जो ग्राम कथराई, पोस्ट-थाना धनसोई, जिला बक्सर (बिहार) के निवासी हैं, उनसे जमीन बिकवाकर लगभग दो लाख रुपये उनसे ऐंठ लिये। तीन वर्ष पूर्व उन्हें सऊदी अरब भेजा गया है। उन्हें वहाँ 24 महीने यानी दो साल ही रहना था। अब लगभग तीन साल बीतने जा रहे हैं। वे वहाँ भुखमरी के कगार पर हैं। वहाँ के जो दलाल हैं, जिनके यहाँ रखा गया था, सऊदी अरब के सारा मालिक हफूफ अलहसा, जिला दमाम (सऊदी अरब) के एजेंट ने उनके सारे पासपोर्ट आदि छीनकर रख लिये हैं। वे वहाँ महीनों से तड़फ रहे हैं। हाल ही में ये दोनो भाई वहाँ जेल भी गये हैं। जेल में वे तड़फ रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय के पदाधिकारियों से भी बात की थी और मैंने ई-मेल से भी उनको सूचित किया था। इन दोनों के साथ-साथ देश के अन्य कई भागों के कई लोगों के साथ भी वहाँ पर अन्याय हो रहा है। अन्य कई लोग भी सऊदी अरब में फँसे हुए हैं।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि बिहार और देश के जो ऐसे लोग सऊदी अरब में फँसे हुए हैं, उन्हें वापस भारत लाया जाये। जो मानव तस्कर इस तरह के धंधे करते हैं, उनके द्वारा जो लोग सऊदी अरब अथवा अन्य जगहों पर भेजे जाते रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर पाबंदी लगायी जाये। साथ ही साथ हमारा विदेश मंत्रालय से आग्रह है कि अविलम्ब इन दोनों भाइयों (धर्मेन्द्र सिंह और नरेन्द्र सिंह) को वहाँ से वापस लाने का कार्य किया जाये। अन्य जो लोग वहाँ बंधक बने हुए हैं, उनको भी शीघ्रातिशीघ्र भारत वापस लाया जाये। यह मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi and Shri Alok Sanjar are permitted to associate with the issue raised by Shri Ashwini Kumar Choubey.

श्री निनोंग इरिंग (अरुणाचल पूर्व) : महोदय, मैं आपके माध्यम से उपभोक्ता मामले, खाद्य और वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो गजाई तजाफुज या खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी हैं, उनके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। 5 किलो खाद्य के लिए आप उसको दो या तीन रुपये में

आबंटन दे रहे हैं, खास तौर से उत्तर-पूर्वी राज्य और दूर-दराज के इलाकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करना बहुत ही कठिन है। यह बहुत मुश्किल है और लोगों तक आधार कार्ड पहुंचाने में कई साल लग जाएंगे। जो गरीब जनता है, किसान है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी खाद्य सुरक्षा की बात हम करते हैं। आधार कार्ड अनिवार्य होने से हम इसे पूरा नहीं कर पायेंगे। आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय से वर्ष 2015 में एक आर्डर निकला था कि जितनी गरीब जनता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उनको खाद्य सुरक्षा देनी चाहिए।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनः विचार करें। धन्यवाद।

*SHRI NABA KUMAR SARNIA (KOKRAJHAR): Hon. Deputy Speaker Sir, I would like to draw the attention of the House to a very important issue concerning my constituency. For the past several decades, some evil forces have been trying to divide Assam. This has given rise to various forms of violence like murder, loot, kidnapping etc. that threatens to take the form of ethnic cleansing. The conspiracy to divide Assam is still continuing. I therefore, appeal to the Government of Assam as well as the Central Government to desist from encouraging such divisive forces. Otherwise instead of development, clashes between Bodos and non-Bodos would further escalate in my constituency in the days to come.

Sir, BTC was constituted as per BTC accord under the Sixth Schedule of the constitution. And prior to the formation of BTC, the Sixth Schedule was applied for hill tribes only where tribal population was 80% to 90%. But BTC accord of 2003 covers the tribal population in the plains where the population is just 20% to 30%.

I therefore request the Government to review the BTC accord and take necessary steps to exclude the Non-Bodo areas from the BTC. Thank you.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पिछले तीन साल से लगातार मार्च के दूसरे और तीसरे सप्ताह में तेज आंधी के साथ असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि की घटनाएं पश्चिमी राजस्थान के पूरे क्षेत्र में हो रही है। इस वर्ष भी पिछले सप्ताह दो दिन तक लगातार असामयिक वर्षा तथा ओलावृटि के घटनाएं पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से मेरे क्षेत्र जोधपुर में हुई हैं, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान जहां देश में जीरे तथा इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये सारी फसलें सौ प्रतिशत नष्ट हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, सरसों और गेंहू की जो फसल है, वह भी पचास प्रतिशत से ज्यादा नष्ट हुई है। प्याज और लहसून की फसल लगभग अस्सी प्रतिशत बर्बाद हो गई है।

जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और विशेष रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र के लूनी, ओसिया, बेलाडा, गोपालगढ़, शेरगढ़, पोखरण, लोहावट और फलौदी क्षेत्रों में फसल की जबरदस्त नुकासान हई है। किसान के मुंह में आया हुआ निवाला भी छिन गया है। वर्ष 2014-15 में जब तेज आंधी के साथ बरसात हुई थी तो

* English translation of the speech originally delivered in Assamese

देश भर में इस तरह की आवाज उठी थी, भारत सरकार ने एक विशेष टीम बना कर प्रोएक्टिव मैनर में किसानों को मुआवजा दिलवाया था। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद पिछली बार जब इस तरह की नुकसान हुई थी, लेकिन उसके बाद मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। इस बार भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार तथा सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में तुरंत सरकार पहल करे, ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Devji M. Patel, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Om Birla, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Nihal Chand, Shri Gopal Shetty and Shri Sukhbir Singh Jaunapuria are permitted to associate with the issue raised by Shri Gajendra Singh Shekhawat.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the IPS Cadre strength of Odisha is 188, out of which 131 posts are meant for the 'direct recruits' and 57 posts are under the 'promotion quota' for promotion of State Police Service Officers to the IPS Cadre. Out of 131 posts provided for the 'direct recruits', 112 officers are now in position with a shortfall of 19 officers. All the 57 posts under the 'promotion quota' are lying vacant as the available State Police Service Officers are not fulfilling the eligibility.

The concern here is out of 112 direct recruit officers available, 26 officers are now on Central deputation, including one IPS officer who is on Inter-Cadre deputation. Moreover, since there is no direct recruit from the Odisha Police Cadre, we are unable to send more IPS officers of the State for adequate representation in the Government of India.

The Government of Odisha has, therefore, requested the Union Government to take urgent necessary steps to fill up the gap between 'sanctioned' and 'actual' strength of IPS officers allocated to the State. There is an urgent need to allocate adequate number of young and energetic IPS officers to the State to deal with the Maoist activities and to maintain law and order situation in the State.

I would, therefore, urge upon the Union Government to accede to the request of the State of Odisha at the earliest and also allocate adequate number of IPS officers to the State of Odisha. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा में वर्ष 2005 से 2011 के बीच मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए थे, उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वहां के हजारों गरीब-मजदूर परिवार के बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। आज वह गरीब-मजदूर परिवार भुखमरी के कगार पर है। वर्ष 2005 से 2011 के बीच मनरेगा के जो कच्चा और पक्का कार्य था, जिसका रिपोर्ट भी भारत सरकार को भेजा गया है। मनरेगा मजदूरों की बकाया राशि का 10 वर्षों से भुगतान नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे और सरकार से अनुरोध करूंगा कि नालंदा जिले में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2005 से 2011 के बीच हुए सभी कार्यों की बकाया राशि का भुगतान किया जाए, जिससे मजदूरों के बकाये का भुगतान हो सके।

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, this is regarding a concern over setting up of a new office Victims of Immigration Crime Engagement (VOICE) by the Department of Homeland Security in USA.

Sir, the rudimentary principle of any democratic nation is that everybody is equal before the law and there should not be any discrimination on the basis of religion, caste, colour, gender or region; and if anybody commits a crime against the other, law of the land should take its own course and punish the guilty; it is immaterial whether the crime has been committed by an immigrant or a native of that country, a crime is a crime and a culprit is a culprit.

It is unfortunate that the situation is rapidly changing in the US over the last couple of months. Crime against immigrants is going up, be it on Indians or on people belonging to other countries. As the House is aware, USA is a country of immigrants, it is formed out of immigrants. Now as per the latest figures, nearly 50 million out of 325 million people in USA are immigrants.

The US President Trump has recently directed the Department of Homeland Security to create a new office called VOICE (Victims of Immigration Crime Engagement) to serve American victims of crime. The Executive Order of Mr. Trump indicates for maintaining a list of immigrant crimes and the same would be published on a weekly basis. This reminds me of a paper during the Nazi regime in Germany called *Der Sturmer*. They have had a department called "Letter Box" and readers were invited to send Jewish crimes to that Letter Box. And, *Der Sturmer* would publish them amplifying even petty issues. So, focusing on one subset of population's crimes and then depicting that as somehow depraved and abnormal from the main population is not justified. This kind of a thing we had also seen in the US during World War II and before Japanese-American internment, there was a newspaper called San Francisco Chronicle running about the unassimilability of the Japanese immigrants and also the crime tendencies and depravities they had which were distinguished from the main American population.

Mr. Trump's argument that immigrants are indulging in crimes is baseless. I dismiss this argument lock, stock and barrel. Researchers have shown that even unauthorized immigrants commit crimes at a lower rate than the American population.

Finally, Department of Homeland Security equating the phrase 'radical Islamic terrorism' which allows myopic individuals to juxtapose 'Islamic' and 'terrorism' in order to imply a necessary association between them, with the words 'immigration' and 'crime' are candidates for the same treatment under VOICE is highly objectionable and unacceptable to not only India but also other countries.

VOICE will not only amplify crimes committed by immigrants and create a situation where all innocent immigrants will be targeted and hate crimes against Indians and immigrants will certainly increase. I, therefore, would request our Prime Minister to please take this up with the USA at the earliest.

HON. DEPUTY SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Shri Rabindra Kumar Jena are permitted to associate with the issue raised by Shri Jayadev Galla.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, Hindustan Shipyard Limited (HSL), which is a pioneer shipbuilding, ship repair and submarine refitting yard in the country, is located in Visakhapatnam. It is also the first ISO 9001 company for its impeccable standard of quality in shipbuilding. It is presently reeling under a financial crunch though HSL has been brought under the administrative control of the Ministry of Defence, Government of India seven years back.

Ever since the shipyard came under the administrative control of the Ministry of Defence in February 2010, it has been awaiting orders for effectively utilizing the in-house building capacity. The current loading of the shipyard is less than 50 per cent, and high value orders such as Fleet Support Ships, LPDs, Training Ships, Additional Special Purpose Vehicles, In-shore Patrol Vessels, etc., need to be expeditiously assigned to effectively utilize the facilities created by the Government of India in the shipyard. While all other defence shipyard undertakings like the MDL, GRSE and GSL are awarding contracts on nomination to almost their full capacity, HSL has not been accorded the same. Also, HSL suffered a lot of financial loss during the Hudhud cyclone. The Government of India, especially the Ministry of Defence needs to compensate HSL for this loss. No amount has been given till now. I would request the Government of India to intervene in this matter and settle all the issues regarding the HSL of Visakhapatnam.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to you for allowing me to speak in ‘Zero Hour’. I am also thankful to our hon. Skill Development Minister for giving a model skill

development centre to our Murshidabad district. At present, five professional courses are taught there. But there is no formal certificate course available for mason. The hon. Minister had once assured in this House that such unconventional courses will be taken under certificate course. In Murshidabad district, there are huge numbers of masons. They are working within our country and abroad, but they have no certificate. Due to non-availability of any certificate course for this profession, their professional growth is getting stagnant. I, therefore, request the Government to consider my demand to start a short certificate course for the mason under the Skill Development Ministry which will be very helpful to the people who are engaged in this work.

श्री भरत सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा लोक सभा क्षेत्र बलिया गंगा और घाघरा के किनारे बसा हुआ है। वहां पानी में आर्सेनिक और अन्य रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं। उस पीने के पानी की वजह से बलिया में प्रति वर्ष हजारों लोग पेट की बीमारी, कैंसर और अन्य चर्म रोगों से पीड़ित होते हैं। हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, मैं लगभग 6-7 बार यह सवाल उठा चुका हूं। हम यह विषय बार-बार उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ...(व्यवधान) मै कनक्लूड कर रहा हूं। यह केवल बलिया की बात नहीं है, यह पूर्वांचल के तमाम जिलों की बात है।...(व्यवधान) हमारे बराबर सवाल उठाने के बावजूद इस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए आप सरकार को निर्देश दें कि इस बारे में संबंधित मंत्री जी त्वरित रूप से कार्यवाही करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi, Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Bharat Singh.

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद जनपद में बैंकों द्वारा मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत लोक सभा क्षेत्र में कितनी धनराशि आवंटित की गई है, मैं यह जानकारी चाहता हूं। इलाहाबाद जनपद के इलाहाबाद लोक सभा में कोई भी बैंक मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं। अत: इसका स्पष्टीकरण किया जाए तथा इलाहाबाद के बैंकों व उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, आपके द्वारा मेरी यह मांग है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Shyama Charan Gupta.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज शून्य प्रहर में आपकी अनुमति से खासकर डाक विभाग का एक महत्वपूर्ण विषय रख रहा हूं। हाल ही में डाक विभाग प्रगति कर रहा है, लेकिन पिछली दो बार डाक विभाग में जो लोग भर्ती हुए, उसमें कुछ न कुछ घोटाले होते रहे। उन्होंने मार्च में इश्तहार दिया। बाद में परीक्षा ली गई। उसमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उन्हें भााा का ज्ञान नहीं था, फिर भी वे सौ प्रतिशत नम्बर लाए थे। सीएमसी नाम की एक प्राइवेट एजैंसी ने वह काम करवाया। उस एजैंसी ने भ्रष्ट मार्ग अपनाया जिसे पता चलने के बाद रोक दिया गया। ऐसा एक बार हुआ, फिर दुबारा हुआ। अब ऐसी अवस्था है कि डाक विभाग ने डाकिया की भर्ती कर दी। उनको टेम्पोरेरी भर्ती कर दी, जबकि डाक विभाग को डाकिए की आवश्यकता है, बेचारे बेरोजगार युवक अपनी ओरिजनल नाम के साथ नौकरी करने लगे, जब पता चला कि इनको बाद में परमानेंनट करना पड़ता है तो डाक विभाग ने क्या किया? डाक विभाग ने हर दो महीने बाद उनको ब्रेक देना शुरू कर दिया। बच्चों ने अपने नाम बदल दिए, व्यक्ति अरविन्द सावंत ही है लेकिन बाद में शिवाजी राव लिख दिया जबकि वही व्यक्ति काम कर रहा है। इस तरह से भ्रष्टाचार सामने आया है। मैं आपके माध्यम से डाक विभाग से प्रार्थना करता हूं कि आपको डाकिए की रेग्युलर आवश्यकता है तो आप डाकिए की परमानेंट नौकरी में भर्ती करें और बेरोजगार युवकों के साथ खिलवाड़ न करें।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Alok Sanjar, Shri Shrirang Appa Barne, Dr. Shrikant Eknath Shinde, Shri Rahul Shewale, Dr. Heena Vijaykumar Gavit and Shri Sharad Tripathi are permitted to associate with the issue raised by Shri Arvind Sawant.

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : उपाध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कर रही महिलाओं को मिल रहे मानदेय के विषय को उठाना चाहता हूं। पिछले छह वर्षों से बहुत जगहों पर उनके मानदेय पर कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। आंगनबाड़ी केन्द्र पर वे लोग शिक्षक का भी काम करती हैं, नर्सिंग का भी काम करती हैं, गर्भवती महिलाओं की भी मदद करती हैं, एडोलसेंट लड़कियों की भी मदद करती हैं, लेकिन आज भी उनको मनरेगा के मानदेय जितना भी नहीं मिलता है, जिस तरह से केन्द्र प्रायोजित सभी योजनाओं में केन्द्र की भी हिस्सेदारी होती है, उसी तरह से राज्य सरकार की भी निश्चित हिस्सेदारी होती है। मैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को उनको हिस्सेदारी देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा

राज्य बिहार आज तक एक पैसा नहीं देता था, आज केवल 700 रुपये दे रहा है जोकि बहुत ही कम है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में 50 परसेंट हिस्सेदारी केन्द्र की होती है और 50 परसेंट राज्य सरकार की होती है। आंगनबाड़ी केन्द्र की हर महिला को कम से कम 6000 रुपये मिलना चाहिए।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shrimati Jyoti Dhruve, Shri Shivkumar Udasi, Shri Alok Sanjar, Shri Md. Badruddoza Khan, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Om Birla, Shri Sunil Kumar Singh, Shri Ganesh Singh, Shri Ravindra Kumar Pandey, Shri Gopal Shetty, Shri Devji M. Patel, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Virender Kashyap, Shri Sukhbir Singh Jaunpuria, Dr. Manoj Rajoria, Shri Janardan Singh Sigriwal, Shri Pralhad Joshi and Shri Ashwini Kumar Choubey are permitted to associate with the issue raised by Dr. Sanjay Jaiswal.

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को विदित है कि आज भी देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण एरिया में रहती है और लगभग सभी लोग किसान होते हैं। हम सभी लोग हमेशा उनकी खुशहाली के लिए बातें करते हैं, बड़ी-बड़ी योजना भी लाते हैं, लेकिन उस पर अमल होते हुए दिखाई नहीं देता है। आज देश के अनेक राज्यों में किसान कर्ज में डूबा है, दूसरी ओर जो सब्जी उगाते हैं, उसे बेचने के लिए जाते हैं तो उसका ओरिजनल मूल्य जो उगाने में लगता है वह भी नहीं मिल पाता है।

अध्यक्ष महोदय, सब्जी और फल उगाने वाले किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी सब्जियां ले जाते हैं ताकि उनको अच्छा दाम मिल, जिससे उनका निर्वाह हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि जो टोल है, जब हम देश में नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे से जाते हैं तो इसमें काफी टोल देना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि किसानों के सब्जी और फलों के वाहन को टोल मुक्त किया और किसानों का कर्ज भी माफ किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Shri Shrirang Appa Barne, Dr. Shrikant Eknath Shinde, Shri Rahul Shewale, Dr. Heena Vijaykumar Gavit, Dr. Manoj Rajoria, Shri Om Birla, Shri Alok Sanjar, and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Shri Krupal Balaji Tumane.

DR. BHAGIRATH PRASAD (BHIND): Hon. Deputy Speaker, the policies and programmes of the Government of India on agriculture have promoted the farmers and augmented the production of food grains in India.

Despite the erratic rainfall and natural calamities, the farmers with their hard work have enhanced agricultural production. Madhya Pradesh has obtained Krishi Karman Puraskar consecutively for the last four years for record production in agriculture.

I would like to bring to the notice of this House and the Government of India the crisis confronting the *kisans* of our country. The wildlife in the form of *nilgai*, wild cows, and stray cattle are playing havoc with the crops. The farmers are spending sleepless nights protecting the crops as even groups of wild animals rush suddenly, destroying the farms. The local administration is unable to protect the helpless farmers in the absence of any effective scheme to tackle this menace destroying agriculture.

I request the Government of India, especially the Agriculture and Forest Ministries to formulate an effective scheme to make provisions to protect agricultural crops from wild animals. Thank you.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Manoj Rajoria, Shri Om Birla, Shri Alok Sanjar and Shri Bhairon Prasad Mishra are permitted to associate with the issue raised by Dr. Bhagirath Prasad.

12.05 hours

SUBMISSION BY MEMBER

Re: Need to direct NAFED to purchase more amount of Tur pulse

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Sir, this is a very important question that I am raising. It is not only connected with Karnataka but throughout the country where *toor* or *arhar* is produced.

Various initiatives were taken, particularly last year, 2015-16, for increasing the production of pulses as pulses were priced high. To encourage more production, the Government of India and the State Governments are giving incentives. Sir, the year 2016 was the International Year of Pulses. Karnataka had a record sown area of 12.5 lakh hectare of Tur. Even though monsoons were poor in this year, in Karnataka the production had gone up by three times, that is to 7.1 lakh tonnes, as many people changed their cropping pattern because of high price.

The Government of India imported 57 lakh tonnes of Tur last year. This year also they have imported 27.86 lakh metric tonnes of Tur at the rate of Rs.10,114 per quintal. This pertains to Paswan Ji's Ministry.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, you address the Chair.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He is here. Let him pay attention.

Instead of importing Tur from outside, the Government of India should come forward to purchase Tur from our own farmers at the same rate of Rs.10,114 per quintal. This will really help the farmer community, or, at least give Rs.7000 to them so that they can survive. The Government of India has announced MSP for Tur at Rs.5,050 per quintal. The Government of Karnataka has also provided an additional bonus of Rs. 450 per quintal. This price is quite low and does not cover the cost of production borne by the farmers of Karnataka.

As per the estimation of Karnataka Agriculture Price Commission, the total cost of production works out to Rs.6,403 per quintal in the State. Keeping this in view, it is requested that an additional bonus of Rs.1,000 be announced by the Government of India over and above the MSP price of Rs.5,050.

The target of procurement of Tur through NAFED, FSI and SPA is fixed at Rs.2.40 lakh metric tonnes. These institutions have already purchased 1.70 lakh metric tonnes from farmers who have registered their names. Another 65 per cent farmers are still left out. If NAFED does not come forward to purchase Tur from the remaining 65 per cent of the farmers, it will create a law and order problem in the State. The Government of India must give directions to NAFED to extend the period up to 15th of May, 2017 for purchase of additional 3 lakh metric tonne of Tur.

Sir, this is a very important matter. The hon. Minister is also here. He can give directions to NAFED and other agencies to purchase more Tur in the country.

HON. DEPUTY-SPEAKER: S/Shri S.P. Muddahanume Gowda, D.K. Suresh, B.N. Chandrappa, Pralhad Joshi, Rajendra Agrawal, Bhagwanth Khuba, Shivkumar Udasi, Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Mallikarjun Kharge.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जब वर्ष 2014 में मोदी जी सरकार बनी, तब डॉ. हर्षवर्धन जी ने एम्स अस्पताल हमारे लोक सभा क्षेत्र के लिए दिया। आज उसे लगभग तीन वर्ष होने वाले हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक भूमि भी चिन्हित करके नहीं दी है। अगर तीन सालों में भूमि चिन्हित नही हो पाती, क्लीयरेंस नहीं हो पाती, तो धरातल पर वह प्रोजैक्ट कब बनेगा? यह केवल पहला उदाहरण नहीं है। सैंट्रल यूनीवर्सिटी को साढ़े चार साल से ज्यादा हो गये हैं। उस प्रोजैक्ट के लिए जमीन दी और फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्रकाश जावेड़कर जी के मंत्रालय से जल्दी करवा दी, लेकिन वहां पर भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। इसी तरह से आईआईआईटी, इंडियन ऑयल डिपो, सीएसडी का डिपो आदि सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं। पिछली सरकार के तीन-तीन मंत्री चले गए, उसके बावजूद हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बन पाया। कुल मिलाकर देखें, अगर राज्य सरकार केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिए अपना सहयोग नहीं देती है तो वहां उस इलाके के लोगों का नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स का वहां शिलान्यास जल्द से जल्द किया जाए।

Hon. Deputy Speaker: Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra Singh chanel are permitted to associate with the issue raised by Shri Anurag Singh Thakur.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Hon. Minister is here. He wants to react. This is very important. The message will go. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: He would have done it immediately. Already I have called another speaker.

… (*Interruptions*)

SHRI V. PANNEERSELVAM (SALEM): Deputy Speaker, Sir, I would like to bring to the notice of the Government to the deep anguish and serious concerns of the people of my constituency on the reported move of the Government for the privatization of the Salem Steel Plant. The people of my constituency are deeply hurt by the news items that the Government is considering to privatize the Salem Steel Plant based on the recommendations of the NITI Aayog. The Salem Steel Plant started in the year 1972 and is now a specialized steel unit of Steel Authority of India Limited. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him speak. Let him finish.

SHRI V. PANNEERSELVAM : Hon. Deputy Speaker, Sir, loss making in short-term should not be the sole criteria or guiding factor for privatization. SSP is the only plant of SAIL in Tamil Nadu and is known for its quality products and brand name in the world. Approximately, 2000 people are employed in the Salem Steel Plant. A large number of local people have given their land for the plant with a hope of getting employment.

I, therefore, humbly request the Government that the move to privatize the Salem Steel Plant be given up once for all and all necessary steps be taken to improve the production efficiency of the plant. Thank you, Sir.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati V. Sathyabama is permitted to associate with the issue raised by Shri V. Panneerselvam.

12.10 hours

SUBMISSION BY MEMBER..... contd.
Re: Need to direct NAFED to purchase more amount of Tur pulse

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : उपाध्यक्ष जी, खड़गे साहब ने जो सवाल उठाया है, इस बारे में हमारी इनसे दो-तीन बार बात भी हुई है। जब ये गुलबर्गा गए थे, वहां से इन्होंने टेलीफोन भी किया था और यह मांग की थी कि वहां तीन लाख टन एक्स्ट्रा तूर खरीदी जाए। जहां तक नैफेड का सवाल है, वह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो बात माननीय सदस्य ने कही है, हमने उसी समय कहा था। चूंकि इसमें पैसे की भी बात आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात आती है, लेकिन मैंने तुरंत ही 50,000 टन तूर की खरीद के लिए आदेश दे दिया था कि कहीं से भी एडजस्ट करो। यहां अनन्त कुमार जी हैं, यह बात सभी लोगों की नॉलेज में है। जहां तक एमएसपी और बोनस का मामला है, एमएसपी सरकार तय करती है और बोनस अलग-अलग राज्य अपने तरीके से देते हैं। मैं खड़गे साहब से इस बात से सहमत हूं कि जो किसान का प्रोडक्शन है, उसे एमएसपी पर खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए हम जितना संभव होता है, प्रयास करते हैं। पिछले साल में तूर की दाल के दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक चले गए थे। उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया और पहली बार 20 लाख टन दाल का बफर स्टॉक बनाने का निर्णय लिया गया। इसमें से करीब 15 लाख टन सभी सोर्सेज से खरीदा जा चुका है। हम लोगों ने पहले कहा था कि दस लाख टन दाल हम इम्पोर्ट से खरीदेंगे और बाकी दस लाख टन हम घरेलू सोर्सेज से खरीदेंगे। फिर इसे दस लाख टन से बढ़ाकर, लगभग 14 लाख टन से ज्यादा खरीद चुके हैं। जैसा आपने कहा है, जब हम सरकार में हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिसे हम हमेशा कहते हैं कि हमको रन भी बनाना पड़ता है और विकेट भी बचाना पड़ता है। एक तरफ किसान का सवाल है, दूसरी तरफ एमएसपी पर खरीदना है, तीसरी तरफ नैफेड है और चौथी तरफ पैसे की बात है। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो किसान की उपज की अधिक से अधिक खरीद एमएसपी पर होनी चाहिए।

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, हमारे देश में आशा बहुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार की ओर से आशा बहुओं को निश्चित मानदेय नहीं मिलने के कारण, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। हमारे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में 1000 की आबादी पर एक ग्राम सभा में, आशा बहुओं की नियुक्ति हुई। इन्हें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 25 प्रकार की सेवा करनी होती है जिसकी चर्चा मैं संक्षिप्त में करना चाहूंगी। नवजात शिशु से 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण 10 से 16 वर्ा की किशोरियों और गर्भवती महिलाओं को टी.टी. का टीका लगवाना, प्रसव पीड़ा के समय विषम परिस्थितियों में स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाना और प्रसव करवाना, शिशु को स्तनपान करवाना, प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को उनके घर पहुंचाना, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में टी.बी. फाईलेरिया, कुट रोग, हैजा, दस्त में दवा बांटना और पल्स पोलियो में दवा पिलाना तथा सभी का रजिस्टर मेंटेन करना आदि। इन्हें पूर्णकालिक कार्य करना होता है।

मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करती हूं कि आशा बहूओं को माहवारी निश्चित मानदेय तय किया जाए ताकि इनके घर में भी चूल्हा जल सके और इन्हें पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी का दर्जा दिया जाए एवं इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। प्रसव केन्द्र पर इनके रुकने के लिए कमरे की व्यवस्था भी की जाए। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ashwini Kumar Choubey, Dr. Manoj Rajoria, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria, Shri Ramcharan Bohra, Shri Raghav Lakhanpal, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Sharad Tripathi, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Alok Sanjar, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shrimati Jayshreeben Patel, Shrimati Jyoti Dhurve and Shri Om Birla are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Neelam Sonker.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Mr. Deputy Speaker, Sir.

The Government of India has decided to start the Passport Seva Kendras in district headquarters with the help of Postal Department. There are two parts of this scheme. One is that the Postal Department has to make all arrangements including building and other facilities for starting a Passport Seva Kendra.

Secondly, the Passport Office has to make other arrangements. The hon. Minister had informed me that 64 Passport Seva Kendras are going to be inaugurated on 28th and one of them is going to be in Kasargod also. The Postal Department has made all the arrangements. But two days back, the Passport Office has said that they would not be able to open the Passport Seva Kendra there due to lack of laptops and other facilities. I promised them that I am ready to give them money from my MPLAD fund. There is strong protest of the people.

So I would request the Government to start the Passport Seva Kendra there.

श्री जुगल किशोर (जम्मू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने जम्मू-कश्मीर के लिए अर्ध सैनिक बलों के लिए पांच बटालियनें खड़ी करने की स्वीकृति दी है। जिसमें 60 प्रतिशत नौजवान सीमावर्ती क्षेत्रों से आएंगे और सीमावर्ती क्षेत्रों के नौजवानों में एक बहुत बड़ा उत्साह इसको लेकर है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरु हो और सीमावर्ती क्षेत्र के जो नौजवान हैं, वे अर्धसैनिक बलों में भर्ती हों और यह भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी शुरु की जाए, यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Manoj Rajoria, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Lakhan Lal Sahu, Shri Alok Sanjar and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Jugal Kishore.

SHRI P.R. SENTHILNATHAN (SIVAGANGA): Hon. Deputy Speaker, Sir, the issue of extraction of Coal Bed Methane (CBM) has been agitating the people of Tamil Nadu, Particularly the farmers of the Cauvery delta region.

Our beloved leader Puratchi Thalaivi Amma had steadfastly opposed any move to extract such gases, as this could adversely affect the farm land, agricultural activity and food security.

The Union Cabinet has approved a proposal of the Ministry of Petroleum and Natural Gas to extract hydrocarbons from Neduvasal, Nallandarkollai, Vanakkankadu, Kottaikadu, Vadakadu and around 50 villages in Pudukkottai District of Tamil Nadu.

In these circumstances, I would request you to instruct the Ministry of Petroleum and Natural Gas to stop the extraction of hydrocarbons, methane and shale gas from the villages in Pudukkottai. I strongly insist the Government to close already dug wells for pilot projects and cancel the land lease agreements between the ONGC and farmers and hand over the lands to farmers ensuring that the interests of the farmers are fully safeguarded.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shrimati V. Sathyabama is permitted to associate with the issue raised by Shri P.R. Senthilnathan.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह विषय शून्यकाल में दसवीं बार रख रहा हूं। झारखंड में साक्षरता मिशन के तहत वर्ष 2009 से लोग जुड़े हुए हैं और यह वर्ष 2010 से चल रहा है। प्रत्येक पंचायत में चाहे वह जन गणना का मामला हो, टीकाकरण का मामला हो, इंदिरा आवास की जन गणना हो, जीवन-बीमा का मामला हो और जो भी महिला एवं पुरुष इसमें लगे हुए हैं, सारे लोगों का मानदेय मनरेगा मजदूर से भी नीचे है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और कम से कम दस हजार रुपया महीना किया जाए। इनको ड्रैस कोड, आई-कार्ड एवं मेडिकल एलाउंसेज मिलें और छुट्टियां मिले, यही मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है। धन्यवाद।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel and Dr. Kirit Solanki are permitted to associate with the issue raised by Shri Ravindra Pandey.

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Sir, thousands of NRIs are queuing before the Reserve Bank offices in Delhi, Chennai and Kolkata with 500 and 1000 rupee notes. The hon. Prime Minister had promised the people of this country that till the end of March 2017, everybody can be quite sure that their 500 and 1000 rupee notes will be exchanged. But unfortunately now the NRIs are finding it very difficult to exchange these notes. Now, an NRK who is in Kerala, if he wants to change his Rs. 500 note, then he has to come either to Mumbai or to Chennai to get it exchanged. So, the Government has to give an immediate instruction to the RBI in this regard. In front of Parliament Street you can see thousands of NRIs standing in queues day and night to exchange their Rs. 500 and Rs. 1000 notes.

So, immediate instructions should be given to the Governor, Reserve Bank of India in this regard.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri N. K. Premachandran and Shri Mullappally Ramchandran are permitted to associate with the issue raised by Prof. K. V. Thomas.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदय, केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुनी करना चाहती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने बीज और खाद के दामों को कम करने के साथ-साथ कम ब्याज पर ऋण देने, मिट्टी की जांच, फसल बीमा राशि, कृषि बाजार आदि अनेक योजनाएं बनाई हैं। अभी हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि स्नातक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा घोषित करके अच्छा क़दम उठाया है। हमारी सरकार ने एक साल पहले 21 कृषि विज्ञान केंद्र घोषित किए थे।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश में स्वीकृत सभी 21 कृषि विज्ञान केंद्रों हेतु भूमि उपलब्ध कराई जाए। केंद्र सरकार द्वारा संचालित आत्मा योजना में ही कृषि विभाग की समस्त केंद्र प्रायोजित योजनाओं को समायोजित करके एक बोर्ड के माध्यम से संचालित किया जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Manoj Rajoria, Shri Bhairon Prasad Mishra, and Shri Alok Sanjar are permitted to associate with the issue raised by Shri Ajay Mishra Teni.

श्री ओम बिरला (कोटा) : महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र और मेरे संभाग के अंदर लहसुन का उत्पादन पिछले र्वा से ज्यादा एक लाख हेक्टेयर में हुआ है। उत्पादन ज्यादा होने के कारण लहसुन की दर कम हो सकती है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि लहसुन को हम अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने की योजना बनाएं और उनका प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाए, ताकि किसान को लहसुन का उचित मूल्य मिल सके और उचित दाम मिल सके।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramcharan Bohra, Shri Krishan Pratap, Dr. Manoj Rajoria, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Alok Sanjar, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Shri Sukhbir Singh Jaunapuria and Shri Virender Kashyap are permitted to associate with the issue raised by Shri Om Birla.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, मैं एमपी फंड, जो 'ऊंठ के मुहं में जीरा' जैसा है, उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहती हूं कि हमारा फंड गांव मुखिया से भी कम है। मेरी राय है

कि पीएमजीएसवाई के फंड का सौ करोड़ रुपया एमपी द्वारा सड़क बनाने के लिए रिक्मेंड करना चाहिए। अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एमपी की अनुशंसा से सीधे पीएमजीएसवाई योजना के लिए पैसा देंगे, तो हर पंचायत के टोल की सड़क बनेगी और पांच साल में लगभग चार सौ या साढ़े चार सौ किलोमीटर रोड एमपी की अनुशंसा से बन पाएगी।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra and Shrimati Kothapalli Geetha are permitted to associate with the issue raised by Shrimati Ranjita Ranjan.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मौहाली में चंड़ीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। उसके साथ ही एयरफोर्स का एयरपोर्ट भी है। अब उस एयरपोर्ट की मरम्मत चल रही है, लेकिन दिन में एयरपोर्ट की मरम्मत का काम करते हैं, जिससे गड़बड़ हो जाती है। देश में जितनी भी रिपेयर होती है, वह रात को की जाती है। वहां के अधिकारियों ने पत्र भी लिखे, लेकिन एयरफोर्स के अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी।

महोदय, उन्होंने एक बहुत गलत सूचना भी दी है। जब मैंने उनके सिविल एविएशन विभाग को पत्र लिखा, उसके उत्तर में ज्वायंट सैक्रेटरी ने कहा कि मौहाली का क्षेत्र इसमें नहीं आता है और चंडीगढ़ का ज्यादा क्षेत्र इसमें आता है। यह गलत सूचना दी गई है। मेरा निवेदन है कि इस संबंध में कार्रवाई जरूर करनी चाहिए।

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर): महोदय, मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत किल्लत है। मैं मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 213 करोड़ रुपयों की बतीसा नाला परियोजना स्वीकृत की है। जो व्यर्थ पानी बहकर गुजरात जाता है, उस पानी को रोक कर सिरोही की जनता को पेयजल के लिए पानी दे सकते हैं। इसमें एक समस्या यह आ गई कि वन मंत्रालय से एनओसी की जरूरत है और वन मंत्रालय उसकी एनओसी नहीं दे रहा है।

मैं आपके माध्यम से वन मंत्रालय और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द एनओसी दे, ताकि हमारी वह परियोजना पूरी हो सके।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramcharan Bohra and Dr. Manoj Rajoria are permitted to associate with the issue raised by Shri Devji M Patel.

13.00 hours

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, I would like to raise an issue of concern about the Mid Day Meal Scheme of school children.

There are a lot of complaints about the quality of rice provided to the Mid-Day Meals from FCI. There are complaints about the place in which they are serving food because there are not sufficient dining halls in schools. The situation has further worsened after a direction from the Ministry of Human Resource Development that cooks and helpers working under the Mid-Day Meal Scheme and the student beneficiaries will now be required to have an Aadhaar card to avail the Mid-Day Meal benefit. As we know, the Mid-Day Meal Scheme is a Centrally-sponsored scheme to boost universalisation of primary education. It aims at increasing enrolment, retention and attendance in primary and upper primary classes. There are about 12 crore children enrolled countrywide under the Scheme. School meals are an important entitlement of Indian children, legally enforceable under the Supreme Court orders as well as under the National Food Security Act.

Numerous studies show that India's Mid-Day Meal Scheme has made an important contribution to higher school attendance, better child nutrition and more effective learning. The Government should not deprive children of the benefits of the scheme by making the Aadhaar card mandatory for availing its benefits.

I would demand the Government to withdraw the notification with immediate effect.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जलवायु परिवर्तन के कारण और मध्य प्रदेश की झीलें, तालाबों, बावड़ियों की देखरेख के अभाव के कारण ये अपना स्वरूप खोते जा रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ और छत्तरपुर में भी चन्देलकालीन एक हजार तालाब थे, जिनमें से अब साढ़े चार सौ तालाब ही बचे हैं।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेय जल की समस्या और सिंचाई की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्राचीन तालाबों, बावड़ियों, झीलों आदि को राष्ट्रीय झील संवर्धन योजना में शामिल करके इनके जीर्णोद्धार की कार्रवाई की जाए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ramcharan Bohra, Shri Bhairon Prasad Mishra, Dr. Manoj Rajoria, Dr. Kirit P. Solanki are permitted to associate with the issue raised by Dr. Virender Kumar.

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): Hon. Deputy-Speaker Sir, metropolitan Chennai has been growing rapidly and traffic volumes have increased greatly. To promote and ease public transport of various forms including metro rail and to ensure that the share of public transportation in Chennai city is substantially increased, it was accorded top most priority by our beloved leader, Puratchi Thalaivi Amma.… (*Interruptions*)

Puratchi Thalaivi Amma was instrumental and played a stellar role in implementing the Chennai Metro Rail Project Phase I. The Chennai Metro Rail Project Phase II has been included in the rolling plan for the current year for Japan International Cooperation Agency for funding. A Detailed Feasibility Report for the expansion of the Chennai Metro Rail Project along three corridors, namely North-West to South East, West to East and an orbital corridor at an estimated cost of Rs. 44,000 crore has already been approved by the Government of Tamil Nadu.

I urge upon the Government to support the proposed phase II of the Metro Rail Project of Chennai and ensure that all necessary clearances are provided expeditiously to fulfill the dream of our visionary leader Puratchi Thalaivi Amma to provide fillip to the public transport system in the Chennai Metropolitan city.

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Sir, today is World Forest Day. So, I would like to raise an important issue relating to wild fire.

Unprecedented wild fire broke out in various parts of the country. This is causing devastation of forests and wildlife. This has evoked panic and distress in the minds of the people. The thick virgin forests are being wiped out and the atmosphere is being further polluted due to the huge fire. Wild animals, birds, reptiles, etc. are forced to leave their natural habitat. Wild elephants and leopards are even seen to be migrating into human habitations. In recent days, a leopard

was sighted in the city of Kannur and before that, one was caught in Vatakara town which is in my constituency. At many places, the fire is man-made and unscrupulous elements are behind such destruction of forests.

I urge upon the Government to convene an urgent meeting of the Forest Ministers to formulate an Action Plan to stop blatant destruction of our forests and preserve our flora and fauna.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

13.03 hours

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.02 hours

The Lok Sabha re-assembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table

(i) Need to expedite gauge conversion of railway lines from Raxual to Narkatiaganj and Narkatiaganj to Bhiknathori in Valmikinagar Parliamentary Constituency, Bihar

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): मैं अपने लोक सभा क्षेत्र वाल्मीकिनगर के अति महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सन् 2004 में नकटियागंज-जयनगर और नरकटियागंज-भिखनाठोरी रेल खंड के आमान-परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की गई। नरकटियागंज से जयनगर वाले खंड में रक्सौल तक 2006 में ही कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन रक्सौल से नकटियागंज लगभग 40 कि.मी. और नरकटियागंज से भिखनाठोरी जो करीब 40 कि.मी. है, इन रेल खंडों पर दस वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक आमान-परिवर्तन का कार्य पूरा नहीं किया गया है, वर्तमान में कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है जिसको लेकर स्थानीय जनता में बहुत रोष है। बारह वर्ष बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाया है। माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि वह बताएं कि इन दोनों रेल खंडों पर कब तक कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है।

(ii) Need to take measures for welfare of potato growers

श्री मुकेश राजपूत (फर्रुखाबाद) : इस समय आलू उत्पादक किसान गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है, पूरे देश में आलू का बम्पर उत्पादन हुआ है जिसके कारण किसानों को आलू की लागत निकालना तो दूर अपितु फेंकना पड़ रहा है। अतः इस समय तत्कालीन निम्न ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है जिससे कि आलू उत्पादक किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर न होना पड़े।

1. आलू का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए।
2. आलू की सरकारी खरीद कराई जाए।
3. आलू किसान बोर्ड की स्थापना की जाए।
4. आलू निर्यात को बढ़ावा दिया जाए।
5. आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण लघु उद्योगों की स्थापना कराई जाए।
6. आलू पर लगने वाले मण्डी शुल्क को समाप्त किया जाए।
7. उन्नतशील आलू बीज सभी किसानों को उपलब्ध कराने हेतु सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर की यूनिट फरूखाबाद, उ.प्र. में लगाई जाए।
8. उ.प्र. पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलेटेस सोसाइटी को सक्रिय किया जाए तथा ताज ब्रांड आलू का निर्यात करने के लिए मंडियों का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
9. मण्डियों में आलू निर्यातकों को प्रोत्साहन के लिए मूलभूत सुविधाएं जैसे पैकेजिंग, ग्रेडिंग करने के लिए स्थान आदि की व्यवस्था कराई जाए।
10. फसलों में निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र हेतु फाइटो सिनिट्री लैब की स्थापना कराई जाए जिससे कि एक साधारण किसान भी अपने आलू की गुणवत्ता टैस्ट करा सके।

यदि इन बातों को गंभीरता से लिया जाए तो निश्चित रूप से आलू किसानों की दुर्दशा को सुधारने में बड़ी कामयाबी मिल सकती है।

(iii) Need to provide interest-free loan to unemployed persons for setting up small scale industries under 'Stand up India' scheme in Lalganj Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : मेरा संसदीय क्षेत्र लालगंज, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित है। यहां अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य है। पुरुष और महिलाओं में अत्यधिक बेरोज़गारी के कारण क्षेत्र की 60 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रही है। मैं सरकार से मांग करती हूं कि हमारे यहां स्टैण्ड अप इण्डिया के तहत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बेरोज़गार पुरूष और महिलाओं को अधिक से अधिक लोन व्यक्तिगत गारंटी पर दिया जाए जो छह महीने तक ब्याज मुक्त हो ताकि वहां लघु उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किया जा सके और बेरोज़गार युवाओं और महिलाओं को रोज़गार का अवसर मिल सके तथा शहर की ओर पलायन को रोका जा सके।

(iv) Need to provide LPG connections to all the eligible BPL households under Pradhan Mantri Ujjawala Yojana

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं भारत सरकार का ध्यान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की ओर दिलाना चाहता हूँ। अब तक देश में 1.5 करोड़ महिला हितग्राहियों को निःशुल्क गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराये गये हैं। इसमें हितग्राही चयन के लिए वर्ष 2011 के सर्वेक्षण को आधार माना गया है, जबकि इसमें बहुत खामियां हैं इसमें बड़ी संख्या में अयोग्य व्यक्ति लाभ उठा रहे हैं और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पात्र महिला हितग्राही वंचित हो रही हैं।

मैं भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान इस पर सुधार करने के लिए आकृष्ट कर रहा हूँ। यह योजना अत्यंत प्रभावी एवं कारगर साबित हुई है।

(v)Need to provide all the necessary facilities in Ambala having tremendous potential of becoming the economic hub of the country

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : मैं सरकार का ध्यान दिल्ली व एन.सी.आर. क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनज़र मांग करना चाहता हूँ कि मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बाला जो दिल्ली से 200 कि.मी. की दूरी पर है, को आगामी सतत विकास की गतिविधियों का केंद्र बनाया जाये। विभिन्न विश्लेषणों के आधार पर वर्ष 2022 तक दिल्ली बस स्टैंड, दिल्ली हवाई अड्डा, दिल्ली रेलवे स्टेशन इत्यादि ओवर क्राउडेड हो जायेंगे। सरकार को बढ़ती हुई जनसंख्या के समावेश व आर्थिक गतिविधियों के एक नए केंद्र की अति आवश्यकता है। अम्बाला लोक सभा क्षेत्र जी.टी. रोड पर स्थित है और पांच राज्यों का केंद्र है। मैं शहरी विकास मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि अम्बाला लोक सभा क्षेत्र में वे सभी सुविधाएं प्रदान कराई जाये जिनका एक विकसित आर्थिक क्षेत्र के लिए होना अति आवश्यक है।

(vi) Regarding Registration of Hybrid/Electronic Cars

SHRI DEVUSINH CHAUHAN (KHEDA): Nowadays Government is promoting Hybrid/Electronic cars, which are non- polluting vehicles. Various tax incentives and subsidies are also given for these cars. Nowadays Diesel cars including Hybrid diesel cars are registered for 10 years whereas Petrol cars are registered for 15 cars. Hybrid diesel cars may be treated at par with petrol cars and be registered for 15 years so that more and more people shall opt to purchase Hybrid diesel cars which are non-polluting. I request the Hon'ble Minister to change the necessary rules in this regard with retrospective date so that all people who had purchased Hybrid cars may be benefited.

(vii)Need to ensure proper implementation of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं और किसानों को अन्नदाता के रूप में देखते हैं। वर्तमान सरकार द्वारा किसानों को सक्षम बनाने व खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से अनेक किसान हितैषी कार्यक्रमों का संचालन किया गया है, किसानों को कृषि कार्य में सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना जैसी युगप्रवर्तक व निर्णायक योजना को प्रारंभ किया गया है।

योजना को परिणाम मूलक स्वरूप देने के लिए तथा हर किसान तक कृषि बीमा योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए फसल बीमा योजना को अनिवार्य करना होगा, प्रत्येक किसान व हर खेत का वास्तविक व समग्र डाटा तैयार करना होगा। साथ ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बीमा कम्पनियों के साथ-साथ बैंकों की जवाबदेही तय करते हुए सैटेलाईट व अन्य अत्याधुनिक तकनीकियों का उपयोग कर प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करनी होगी तभी यह योजना सूखा, अतिवृष्टि, पाला-ओला आदि प्राकृतिक आपदाओं के समय संजीवनी के रूप में कार्य कर जीवनदायिनी बन सकेगी।

(viii) Need to develop Raja Bali Garh and Nau Lakha Temple in Madhubani district, Bihar as a tourist place

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर) : मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार राज्य के मधुबनी जिला के अंतर्गत बाबूबरही प्रखंड में राजाबली गढ़ की हजारो एकड़ जमीन में पर्यटन स्थल बनाने के लिए कई बार उत्खनन भी किया गया लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया गया है।

एक दूसरा राजनगर प्रखंड के राजनगर में नौ लखा मंदिर के सौन्दर्यकरण कर पर्यटन स्थल बन जाने से सीमा दल और बिहार का ऐतिहासिक कार्य होगा। ये दोनों स्थल नेपाल बॉर्डर के इलाके हैं यहां से मां सीता की नगरी जनकपुरधाम भी नजदीक है। साथ ही पंडौल प्रखंड के उग्रेश्वर महादेव स्थान भी विद्यापति की कर्मभूमि रही है।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए।

(ix) Regarding Effective implementation of Mid-day meal scheme

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI): The Midday meal scheme seeks to achieve the twin goals of providing at least one nutritious meal a day to primary and upper- primary school students in government-run and government-aided schools and increasing enrolment and attendance. The scheme has failed to achieve its objectives due to poor implementation. The quality and nutrition level of food has been found to be poor in schools in several districts. Some districts do not have hygienic kitchen facilities to cook food, because of which several students have fallen sick. The structuring of the scheme is such that embezzlement of funds is very easy. Some NGOs aiding in implementation of the scheme have reportedly been engaging in corruption. Accountability of all players involved in the scheme and regular inspection of activities carried out is essential to ensure that the scheme does not fail.

(x) Need to provide full share of water due to Rajasthan from Punjab and nominate of member from Rajasthan in Bhakra Beas Management Board

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) : राजस्थान प्रदेश भारत-पाक सीमा पर स्थित है और पूरे राजस्थान में पंजाब राज्य से कृषि के लिए पानी आता है। पंजाब से दो नहरों गंग कैनाल और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान में पानी आता है और पश्चिमी राजस्थान में इन नहरों द्वारा सिंचाई होती है और पूरा पश्चिमी राजस्थान सिंचित क्षेत्र है। अंतर्राज्जीय जल समझौते (29 जनवरी, 1955) के अनुसार राजस्थान को 8.6 एम.ए.एफ. पानी मिलना तय हुआ था, परंतु आज तक राजस्थान को 8 एम.ए.एफ. ही पानी पंजाब द्वारा दिया जा रहा है। राजस्थान के हिस्से का पूरा (6 एम.ए.एफ.) पानी आज तक राजस्थान को नहीं मिल पाया है। अंतर्राज्जीय जल समझौते के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में राजस्थान,पंजाब और हरियाणा का प्रतिवर्ष एक-एक सदस्य बारी-बारी से नामित होता है परन्तु राजस्थान प्रदेश से किसी भी सदस्य को अभी तक नामित नहीं किया गया है।

मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि पंजाब से राजस्थान राज्य को उसके हिस्से का पूरा (6 एम.ए.एफ.) पानी दिया जाये और राजस्थान से भी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) में सदस्य नामित किया जाये ताकि तीनों राज्यों की हिस्सेदारी बराबर-बराबर हो सके।

(xi) Need to set up a Water Testing Laboratory and Environmental Information System in Meerut, Uttar Pradeh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : पश्चिम उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के मध्य में स्थापित ऐतिहासिक भूमि मेरठ का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक अहम योगदान रहा है। यहाँ से काली व हिण्डन जैसी छोटी नदियाँ बहती हैं जो कि अत्यंत प्रदूषित हैं। यहां पर हस्तिनापुर वन सेंचुरी भी स्थापित है। मेरठ व आसपास के जिलों में भूजल प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसका उल्लेख नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी किया जा चुका है। प्रदूषण की बढ़ती समस्या के बावजूद मेरठ से दूर-दूर तक वाटर टैस्टिंग लैब नहीं है। साथ ही मेरठ में पर्यावरणीय गतिविधियों हेतु भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। जिससे कि यहां के छात्र पर्यावरणीय संबंधी नई-नई जानकारियों से अवगत हो सकें।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ में वाटर टैस्टिंग लैब तथा वन, पर्यावरण एवं मौसम परिवर्तान मंत्रालय का एक इंवायरमेंटल इंफॉरमेशन सिस्टम (ई.एन.वी.आई.एस.) केन्द्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

(xii) Need to provide wages to journalists as per the recommendations of Majithia Wage Board

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : पत्रकार लोकतंत्र में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ पत्रकारों को जीवन-यापन करने लायक वेतन भी नहीं मिलता। देश में पत्रकारों के वेतन व सुविधाओं में वृद्धि हेतु जस्टिस जी.आर. मजीठिया वेज बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ने सभी तथ्यों को देखकर अपनी सिफारिशें सरकार को दी और सिफारिशों को 11 नवम्बर,2011 को अधिसूचित कर दिया गया। बड़े खेद का विषय है कि आज तक भी अखबार मालिकों द्वारा पत्रकारों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की अवमानना के कई मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि देश के सभी पत्रकारों को मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार सुविधाएँ तत्काल दी जाएँ और मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें न मानने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए ताकि पत्रकारों को उनका हक मिल सकें, साथ ही देशभर में लगातार पत्रकारों पर हो रहे हमलों को देखते हुए देशभर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए।

(xiii) Need to constitute a new Wage Board for Media after modifying its terms of reference

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): Today, Television is a powerful segment of media industry in the country. The industry employees hundreds of qualified journalists and non- journalists. Most of these journalists are forced to live with subsistence wages. This apart, they do not come under the purview of Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955.

For the last quarter century, thousands of journalists belonging to visual news media have been doing their job without the protection of any legislation. There is a discrimination among the journalists which should be brought to an end and a salary structure should also be introduced.

Illegal termination of employees from newspapers and television channels have become rampant. Employees are sacked without citing any reasons. This practice should be stopped immediately and there is a need to constitute a new Wage Board after modifying terms of reference of the present Wage Board system.

I urge upon the Union Government to take immediate action in this regard.

(xiv) Need to extend repayment period of loans by farmers

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): A sharp decline in rainfall during the southwest monsoon has cast a shadow over farming in Wayanad. The unseasonal rain during harvest and declining price of the produce in the market are the major concerns of farmers in Wayanad who have cultivated ‘winter crop'.

As now it is the harvest time, the banks and co-operatives are forcing the farmers to repay the agricultural loans provided to them. But the severe fall in production due to low rainfall and persisting drought has led to severe loss of income for farmers of Wayanad. This has forced them into vicious debt trap and the consequent suicides. This problem is also faced by the farming community in different parts of our country.

Therefore I request the Central Government to take immediate measures to extend the period for the repayment of agricultural loans by banks and cooperatives throughout the country. Further, all debts of the farmers be written off in order to protect the farmers from committing suicide and harassment from public financial institutions.

(xv) Need to monitor the residential schools in the country

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): Educational Institutions which secure permission from the Central Board of Secondary Education (CBSE) and the Indian Certificate of Secondary Education (ICSE) are being governed by Union Government only. The respective State Governments do not have any control on these educational Institutions. Many educational Institutions run residential schools with CBSE and ICSE curriculum without any permission. Frequently untoward incidents happen there. Very recently such an incident happened in an unauthorised residential school in Tumakuru District in Karnataka resulting into death of three students and a staff member.

Hence, I urge the Union Government to impose stringent law through State Governments to prevent any untoward incidents in residential schools.

(xvi) Need to make amendments in the MoU regarding Chennai Metro Rail Project

SHRI S.R. VIJAYA KUMAR (CHENNAI CENTRAL): The Chennai Metro Rail Project is being implemented as a joint ownership between the Government of India and Government of Tamil Nadu. In the Tripartite Memorandum of Understanding (M0U) that was entered into between Government of India, Government of Tamil Nadu and Chennai Metro Rail Limited, for implementing the project, the then UPA Government and the then DMK led State Government had included certain clauses which are not in the interest of the State Government and Project. These clauses do not provide for an equitable sharing of risks and costs.

Clause 12.1 requires the State Government to bear the full cost of land, Relief & Rehabilitation cost, including escalation. The land acquisition cost is provided by the State Government as subordinate debt to Chennai Metro Rail Ltd. This skews the capital structure of the company towards higher debt. Further, while the State Government has to pay to Central Government Departments for their land, State Government land is provided free of cost.

As per Clause 11, any escalation in project cost and foreign exchange fluctuation beyond project completion period has to be fully borne by State Government. As per Clause 12.16, cash losses have to be borne only by the State Government and if there is a profit, the Central Government would be entitled to dividend. Therefore, it is essential to suitably revise the particular clauses in MoU to make it more fair and equitable.

I, therefore, urge the Union Government to make necessary amendments to the MoU to make it more fair and equitable.

(xvii) Need to provide financial assistance to Tamil Nadu affected by heavy rains and cyclone

SHRI G. HARI (ARAKKONAM): The extremely heavy rains during the North East Monsoon in December 2015 have caused enormous devastation to standing crops, property and public infrastructure besides loss of livelihood, loss of life and cattle. The floods in Tamil Nadu also declared as a "Calamity of Severe Nature". The Hon'ble former Chief Minister of Tamil Nadu had requested the Hon'ble Prime Minister to kindly consider her two Memoranda for assistance on account of flood damages and devastation and release the necessary funds at the earliest to meet the State Government's requirement of Rs.25,912.45 crore. The Central team also inspected and gave its report but the Union Government has so far not provided adequate funds to Tamil Nadu for relief and restoration efforts.

In December 2016, Cyclone 'Vardah' had caused severe damages to Chennai City and adjoining Districts of Tiruvallur, Kanchipuram and Cuddalore uprooting thousand trees and electric lamp posts besides damaging the roads and other infrastructure facilities. The Hon'ble former Chief Minister of Tamil Nadu met the Hon'ble Prime Minister and submitted a 142-page memorandum seeking an assistance of Rs 22,573 crore from the Central Government to undertake reconstruction works in areas affected by cyclone 'Vardah' and reiterated the demand for an 'on account' grant of Rs 1,000 crore for immediate requirements.

I urge the Union Government to consider the genuine demands of the Government of Tamil Nadu regarding immediate release of adequate grant to Tamil Nadu.

(xviii) Need to undertake dredging of river Matla river and its tributaries in West Bengal

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): The core area of sundarbans in West Bengal has a national boundary with the mighty river Matla. Matla river and its tributaries flow through the different islands of the area.

On the banks of the river Matla and its tributaries, there is a large settlement of rural population. The Matla river & its tributaries have become silted and because of this, during the dry season, boats cannot come near the jetties and have to be stationed almost 500 meters from the jetties thus causing great inconvenience to the people living on the banks of the river to commute. Now a simple high tide or a tidal force breaches the embankment and flood villages, destroying houses, paddy fields and ponds & affects the livelihood of the people.

The Sundarbans is a vast river delta on the Bay of Bengal and located in the extreme southern part of the State of West Bengal & in Southern Bangladesh. The Mangrove forest in this region is one of the largest such forests in the world & consists of a network of tidal channels, river, creeks & islands.

Hence, the need for dredging of Matla river & its tributaries has become of paramount importance. This would help the people of the area not only from the fury of the floods but also keep the river & its tributaries navigable throughout the year. I would urge the Government to address this concern with appropriate measures.

(xix) Regarding Rise in encounters against militants in Jammu and Kashmir

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): The Kashmir valley has seen a rise in the number of encounters this year. There have been more than 30 encounters this year, in which 31 people including 9 security personnel and 22 militants lost their lives. As protest near the encounter sites takes place more frequently. 6 civilians have lost their lives so far fuelling more anger among the people. This is in spite of the Army Chief's warning that civilians interfering in anti- militant operations will be dealt with sternly. Three LeT militants and a civilian were killed during an encounter in North Kashmir's Kupwara on Wednesday. The operation was carried out by Army's 41 Rashtriya Rifles and CRPF's 98 Battalion. 3 weapons were taken over from the slain militants. One 11 year old girl and a boy were injured as stray bullets hit them 100 meters from the encounter site. The girl later succumbed to her injuries. I, therefore, urge the Government to take suitable steps in this regard.

(xx) Need to construct railway line between Kantabanji & Khariar, Odisha

SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): The survey of railway line from Kantabanji to Khariar was conducted before 1947 and found to be feasible. Sixty nine years have been passed, many governments have come and gone but no government has taken any step to start the railway line between Kantabanji & Khariar. As you know sir, my parliamentary constituency is located in the backward pocket of Odisha. I request the Government to take urgent step to allocate fund for the above said railway line during the current Fiscal year.

(xxi) Need to grant Rs 3 crore annually to each Member of Parliament for construction of toilets in city area of his/her constituency

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): Subsidy is being given to the Government of Maharashtra under Swachh Bharat Abhiyan by Government of India. In fact, Maharashtra Government has also started granting subsidy under the said scheme. Under the Central Government Scheme, a beneficiary from the city gets Rs. 4000 whereas the State Government grants Rs. 1000; and the Local Self-Govt. grants Rs. 2000 towards construction of a toilet in the city area. Therefore, a beneficiary gets Rs. 7000. However, there are lots of difficulties for a beneficiary to get the subsidy simultaneously from all the three Govt. agencies. It is becoming impossible for any single agency to achieve the target.

In view of this situation, it is suggested that a sum of Rs. 3 crore annually may be granted as a special fund to each M.P. for construction of toilets in the city area of his constituency.

(xxii) Need to revamp healthcare and education facilities in rural India

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Healthcare and education amenities are hardly available in the rural areas to the poor people and this is the core reason for migration of the rural people to urban areas.

The foundation to turn India into a strong nation has to be laid down at primary and rural levels and so the quality of education right from the beginning should be excellent. Education system and text books should be made interesting and free of cost. For rural students textbooks related to their culture, their traditions and values should also be there so as to create their interest in studies The reason behind so many dropouts in spite of giving free education should be found out as this is a hurdle on the road to progress. Improvement in the condition of government schools, education quality, committed teachers and more salaries to these teachers should form part of development. Improving education is a critical area of investment. In order to build India as a consumer market of global standards, it is very important that every child reaps the benefits of quality education.

Healthcare is, by far, out of a poor man's reach. About 75% of healthcare resources are concentrated in urban areas, where only 27% of the total population resides. 31% of the rural population in India has to travel over 30 km to get even the most urgent medical treatment.

Most of the problems can be solved if healthcare and education facilities are available in the rural areas and also the people are offered good job opportunities. The medical facilities in Public Health Centres are very poor. To overcome this inadequacy, it should be made mandatory for the graduating medical students to serve in the rural areas before going for post-graduate degree courses.

Keeping in view the above, I urge upon the Central Government to find a solution around these problems which will resolve the overall issues of free education and healthcare amenities to the poor people in India.

(xxiii) Need to extend Mid-day meal scheme to students of 10+2 Course

SHRI KOTHA PRABHAKAR REDDY (MEDAK): I would like to draw the attention of the Hon'ble Minister for Human Resource Development regarding need to extend Mid-Day Meal Scheme to students of 10+2 Course.

You are aware that in rural and backward areas, the number of school dropouts is more. To contain this situation, for proper feeding of the students, Mid—Day Meal Scheme is being implemented throughout the country. But, the Scheme is confined to school-going students only. As the Scheme has become a good tool for raising the attendance of students and also because of its meticulous implementation, it is requested that the Scheme be extended to students not covered by the present system.

I, therefore, urge upon Hon’ble Minister for Human Resource Development for extension of Mid-Day Meal Scheme to Students of 10+2 course at the earliest.

(xxiv) Regarding fuel surcharge or transaction fee levied by banks on customers

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): In order to boost digital payments after demonetisation, the government had said that no bank can levy fuel surcharge or transaction fee on customers paying by debit cards. As a part of these initiatives, to promote cashless transactions Government of India has announced to incentivise petrol/diesel customers transacting at PSU petrol pumps by way of *0.75%* discount when a customer uses debit/credit cards, mobile wallets and prepaid loyalty cards. An RBI order also bars banks from levying the fee on consumers; it directs them to recover it from merchants. But, Several banks are still imposing the transaction fee on consumers paying by debit card for fuel despite a clear instruction from the government not to do so.

The current arrangement allows for the card issuing banks to submit information on daily fuel purchase transactions to oil retailers such as Indian Oil, Bharat Petroleum and Hindustan Petroleum and get compensated. But according to consumers and Oil Ministry officials, many banks including those from the public and the private sector are still levying fuel surcharge. The card-issuing banks usually respond to customers query on this by feigning ignorance about the government order or say they are just keeping it as a buffer just in case the acquirer bank asks for it.

I urge the government to take urgent steps to stop the banks from levying fuel surcharge and transfer the discount as announced initially.

(xxv) Need to provide funds for construction of an auditorium in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़) : मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ (उ.प्र.) ऐतिहासिक धरोहरों एवं पौराणिक महत्व में अग्रणीय जनपद है, जहां सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन के पिता स्व. हरिवंश राय बच्चन जी की जन्म से जुड़ी स्मृतियां एवं साहित्यकार मुन्शी प्रेमचन्द जी की यादें व राम गमन मार्ग एवं रामायण कालीन प्रभु श्रीराम-केवट संवाद और महाभारत कालीन यक्ष-युधिष्ठिर संवाद स्थल की गाथाएं आज भी जनमानस में चर्चित हैं।

जन संवाद के दौरान एवं व्यापार मंडल, रामलीला समिति व साहित्य एवं कला से जुड़े लोगों द्वारा यह मांग लगातार है कि 1000 से 1500 व्यक्तियों को बैठाकर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या सभा की जा सके, ऐसा कोई रंगमंच या ऑडिटोरियम नहीं है। जबकि विकास भवन के पास पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है।

अतः मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि जनहित में भारत सरकार द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ऑडिटोरियम/रंगमंच निर्माण हेतु मौजूदा बजट सत्र में धन अवमुक्त कर प्राथमिकता से मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ (उ.प्र.) की समस्या का निराकरण करने की कृपा करें।

(xxvi) Need to enact a law legitimizing bull race in rural areas of the country

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : आप सभी को यह पता है कि अपने देश की परंपरा और संस्कृति को अक्षुण्ण रखने हेतु देश के ग्रामीण इलाकों में बैल एवं बैलगाड़ी की दौड़ काफी वर्षों से सम्पन्न होती आ रही थी। कुछ कथित प्राणी मित्रों ने इस श्रेष्ठ परम्परा पर आपत्ति जताने के बाद आदरणीय न्यायालय द्वारा इस महान परम्परा पर पाबंदी लगाने में यह लोग सफल हो गए। शायद इस परम्परा की महानता और इन पशुओं के प्रति दौड़ में सहभागी लोगों का आदरभाव न्यायालय के सामने पेश करने में सरकार नाकाम साबित हुई और पशुओं के प्रति प्यार और दयाभाव व्यक्त करने वाले देहातियों को आनंद से वंचित होना पड़ा। केंद्र सरकार द्वारा तत्काल इन दौड़ों को मान्य करते हुए और देशभर से आई लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इन खेलों को पुनः चालू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। क्या इस अधिसूचना को जारी करने से पूर्व न्यायिक सलाहकारों ने क्या गलत राय सरकार को दी थी? क्योंकि अधिसूचना जारी होते हुए न्यायालय द्वारा फिर से पाबंदी लगा दी गई।

क्या इस विषय पर संसद में संशोधन विधेयक पारित करने हेतु प्रस्ताव नहीं लाया गया? क्या पर्यावरण मंत्रालय को वक्त निकालना था या कानूनी सलाह में कुछ कमियां थीं। इन चीजों पर गौर से ध्यान देते हुए इस प्राचीन परम्परा को जारी रखने हेतु और हजारों देशवासियों की मांग को देखते हुए तुरंत संशोधन विधेयक संसद में पेश करके उसे पारित करके इस श्रेष्ठ परम्परा को जारी रखने के लिए तुरंत कारगर कदम उठाना अनिवार्य है।

14.03 hours

FINANCE BILL, 2017

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up item No. 16, the Finance Bill, 2017.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF DEFENCE(SHRI ARUN JAITLEY): I beg to move:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-18 be taken into consideration. "

HON. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-18 be taken into consideration. "

SHRI. N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to raise objection for the consideration and passing of the Finance Bill, 2017. My serious objection to the Finance Bill, 2017 is under articles 110, and 117 and rule 219 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha.

Once we have agitated this matter in detail during the introduction of the Financial Bill in 2015. I have to repeat it because the same issue is coming again and again and repeatedly this activity of the Government is coming before the House. Therefore, I am forced to repeat the arguments once again that I have made once during 2015.

14.05 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

Under Rule 219(1) of the Rules of Procedure, the Bill means a Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government of India for the next financial year, and includes a Bill to give effect to the supplementary financial proposals for any period. That means, Rule 219(1)

is distinct and separate and it is only to give effect to the financial proposals for the year or for the following year, that is, for a particular period, and not of a permanent nature.

Article 110(1) of the Constitution of India also elaborately discuss this matter. I am not going to read the entire Article. Hon. Finance Minister is well conversed with all these facts, rules, regulations, and the constitutional provisions. I do admit. You may kindly see the Money Bill under Clause 110 (1) – "For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters namely, Clauses (a) to (f), which deals with taxation proposals, recovery of money, regulation of the borrowing of money, custody with the Consolidated Fund and the Contingency Fund of India, and appropriation of money under the Consolidated Fund of India and so on.

Coming to Article 110, Clause 1, Sub-Clause (g), this is the procedure by which the hon. Minister and the Government relied upon, that means, any matter incidental to any of the matters specified to sub-clauses (a) to (f). This is the provision by which all these proposals are being made in the Finance Bill. I would also like to draw the attention of the hon. Chair to the Short Title of the Bill. What is the Long Title of the Bill? That is, the Bill to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-18. So, the entire aim and objective of the Financial Bill is to give effect to the financial proposals of the Central Government for the financial year 2017-18. That is the Long Title of the Bill, the Finance Bill, 2017.

Now, I come to Kaul and Shakdher, where it is very specific – a `Finance Bill' means the Bill ordinarily introduced in each year to give effect to the financial proposals of the Government of India for the next following financial year and includes a Bill to give effect to supplementary financial proposals for any period. Further, it states that, however, it does not contain provisions intended to make permanent changes in the existing laws unless they are consequential upon

or incidental to the taxation proposals. There lies the point. Either it should be consequential or incidental to the proposals of Article 110(1) (a) to (f). Let us analyse this Finance Bill.

Coming to the Finance Bill, 2017, Madam, you may kindly see this. Also, the Finance Bill of category (a) and category (b) were described, which I am not going into due to paucity of time. The original Finance Bill presented along with the Budget on 1st February, 2017, Clause 129 and Clause 130 of the Finance Bill dealing with the amendment to the Indian Trusts Act, 1882,

Clauses 131 and 132 of the Finance Bill dealing with amendment to the Indian Post Office Act, and Clauses 133 and 134 which are amendments to the RBI Act, 1934, Clauses 135 and 136 of the Finance Bill, amendments to the Representation of the People Act, 1956, and Clauses 137 and 138 of the Finance Bill, amendment to the Oil Industries Development Act, 1974, and Clauses 143 to 145 of the Finance Bill amending the SEBI Act, 1992. These are the amendments which are being sought by means of the Finance Bill.

According to me, amendments to the RBI Act, and to the Representation of the People Act are in respect of issuance of the electoral Bonds. How an issuance of the electoral Bond fall within the taxation proposals over matters incidental to the taxation proposal? That is the question which I would like to know.

Regarding the SEBI Act, how will creating a new Securities Appellate Tribunal and providing its functions, powers and procedures, come within the purview of Article 110(1) of this Act? These amendments are coming within the purview of the Finance Bill. Madam, just minutes before we have received the list of amendments to the Finance Bill.

HON. SPEAKER: You can speak about amendments at the time of passing of the Finance Bill.

...(Interruptions)... *

* Not recorded

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन : मुझे इनकी बात समझ में नहीं आयी।

माननीय अध्यक्ष : आपके बारे में अच्छा ही बोला है। He has said something good. It is okay.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All these cross talks will not go on record.

...(Interruptions)... *

HON. SPEAKER: What is all these things happening? Why such things should be there every now and then?

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, just now we have received the list of amendments. If I will get the opportunity to speak at the time of moving the amendments, that is okay. I will leave it to you.

Madam, 40 existing Acts are proposed to be amended by means of this Finance Bill. This has never been heard in the history of Indian legislative mechanism. … (*Interruptions*) This is the first time. When the original Bill was presented on 1st February, 2017, that is, before the UP Election, only 8 to 10 Acts were proposed to be amended and those included the Reserve Bank of India Act as well as the Representation of the People Act. Now, here there are various amendments proposed like Amendments to the Companies Act, 2013, Amendments to certain Acts to provide for merger of Tribunals and Other Authorities and Conditions of Service of Chairpersons, Members etc., Amendments to the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, Amendments to the Industrial Disputes Act, Amendments to the Copyright Act, Amendments to the Trade Marks Act, Amendments to the Railway Claims Tribunal Act and the Railways Act and also Amendments to the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act and the Foreign Exchange Management Act etc.

* Not recorded

Madam, there are amendments proposed to the Airports Authority of India Act. What is the relation with taxation and the Airports Authority of India Act? Another amendment proposed here is to the Control of National Highways (Land and Traffic) Act. Then, there are amendments proposed to the Telecom Regulatory Authority of India Act, the Information Technology Act and the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008 and also amendments to the Competition Act, the Companies Act, 2013, the Cinematograph Act, 1952 etc. There are amendments to the Income-Tax Act, 1961 and the Customs Act, 1962. I agree that these amendments will come within the purview of taxation. Then, there are amendments proposed to the Administrative Tribunals Act and the Consumer Protection Act.

Madam, these amendments are pushed through this House by suspending Rule 80 (i) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I would like to know whether it is right because Rule 80 (i) is very specific and says that an amendment should be related to the matter which is connected with the facts of the original Bill. Unfortunately these things are not connected with the original Bill and these amendments are now being pushed through or they are being bulldozed just a few minutes before.

So, I would like to like to quote some precedents here. In the year 1956, the first Speaker of this august House has stated and I would like to quote:

> "I would normally urge upon the Finance Minister, not only he, but also his successors to see that only those provisions which relate to the raising of taxations should be included in the Bill. The procedure should be followed and no other provision should be given attention to unless they are absolutely consequential."

Madam, this is the ruling which was given in the year 1956 and in 1970 also the same ruling was given. Why should we go to 1956 and 1970? Let us come to your own ruling given on 30.4.2015. I will not read the entire ruling. I will quote only paragraph no. 4 of your own ruling. I quote:

> "Nevertheless the fact is that a well established practice of this House has been not to include taxation proposals in not only a Finance Bill but also other Bills containing taxation proposals unless it is imperative to include such proposals on constitutional or legal ground."

Madam, this is a very good ruling as far as the history of our rulings or precedents is concerned. I feel that it is better than that of the 1956 ruling that 'Not only in Finance Bill, it shall not be incorporated in any other Act.' Further, Madam Speaker says: "Therefore, every effort should be made to separate taxation measures from other matters unless it is impossible on Constitutional or legal grounds or on some such unavoidable reasons to do so in a particular case."

Madam, this was the ruling, which you had given when the Finance Bill of 2015 was brought in this House when a point of order had been raised by myself and Prof. Saugata Roy.

So, what does it mean, Madam? Only on the Constitutional and legal grounds, this Bill can be introduced, which is having non-taxation proposals. If that be the case, Madam, kindly look at my point. My point is that if the exiting 40 Acts are to be amended, they have to come with a separate legislation before the House.

My point, Madam, is that it is a backdoor legislation; it is absolutely a backdoor legislation. It cannot be allowed under the pretext of a Finance Bill.

Madam, about suspension of rule 80 (1) of the Rules of Procedure, invoking rule 388 of the Rules of Procedure, I fully agree with the authority of the hon. Speaker to give power to the hon. Finance Minister to move the Motion. But I strongly oppose the move to suspend the Rules of Procedure so as to bring very cardinal structural amendments to the existing 30 Acts.

Madam, if you are going to transact the legislative business of this House in such a way, then there is no need of a Monsoon Session; there is no need of a Winter Session because then, the legislations in the country can be brought within the purview of the Finance Bill so that the discussion can be curtailed, so that the

scrutiny by the Standing Committees can be curtailed, and so that scrupulous scrutiny of the Bill, clause-by-clause cannot be done.

Madam, it is the legitimate, democratic and supreme right of the Parliament, which is being taken away. So, I strongly oppose moving of this Bill for consideration and passing.

Madam, I am seeking a ruling from you once again on this aspect. Thank you very much.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, whatever Mr. Premachandran has said, I support him.

HON. SPEAKER: I know, it is the same thing. Do not repeat it, now.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, my short point is that he has said that the Finance Bill is essentially to bring taxation proposals in the House for passing. The Finance Minister has included amendments to 30 Acts, partly in the Schedule and partly in the additional amendments that he has brought forward today. This should not be allowed.

HON. SPEAKER: Okay.

PROF. SAUGATA ROY : Let the Finance Bill consist of only the taxation proposals. Let us pass it without much ado, and let us keep the other Bills in limbo. There is a long Session ahead, and let the Finance Minister bring those Bills later. We shall agree to that.

HON. SPEAKER: Yes, Mr. Minister.

SHRI ARUN JAITLEY: Madam, Mr. Premachandran's objection is predominantly borne out the language of article 110(1), which reads:

> "For the purpose of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill, if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters."

So, the critical word, according to Mr. Premachandran is the word 'only'; and that is how, Prof. Saugata Roy supports him that it is only the taxation

proposals and nothing else, which is incidental, really can find a place as far as the Money Bill is concerned.

Now, I skip the clauses (a) to (f) and take the hon. Speaker and this hon. House to clause (g), which says:

> "Any matter incidental to any of the matters referred to in sub-clauses (a) to (f)."

Now, with regard to this word 'only', right from the inception of this House, as to what is the width that this word 'only' permits has been a subject matter of debate.

Mr. Mavalankar, in his first Ruling on this subject – I read his first Ruling of 1952 – said:

> "*Prima facie*, it appears to me that the words of article 110 (imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax) are sufficiently wide to make the Consolidated Bill, a Money Bill. A question may arise as to what is the exact significance or scope of the word 'only' and whether and how far that word goes to modify or control the wide and general words 'imposition, abolition, remission, etc.'.
>
> I think, *prima facie*, that the word 'only' is not restrictive of the scope of the general terms. If a Bill substantially deals with the imposition, abolition, etc., of a tax, then the mere fact of the inclusion in the Bill of other provisions which may be necessary for the administration of that tax or, I may say, necessary for the achievement of the objective of the particular Bill, cannot take away the Bill from the category of Money Bills. One has to look to the objective of the Bill. Therefore, if the substantial provisions of the Bill aim at imposition, abolition, etc., of any tax then the other provisions would be incidental and their inclusion cannot be said to take it away from the category of a Money Bill. Unless one construes the word 'only' in this way it might lead to make article 110 a nullity. No tax can be imposed without making provisions for its assessment, collection, administration, reference to courts or tribunals, – now, this word 'tribunals' is very important – etc., one can visualise only one section in a Bill imposing the main tax and there may be fifty other sections which may deal with the scope, method, manner, etc., of that imposition. "

Therefore, the thrust of this is that you cannot have a Bill which says that the Government shall spend Rs. 100 thousand. How that is to be spent, the incidental provisions will have to be contained. You cannot have an Act which says that there will be a five per cent tax. Then, how that five per cent tax is to be achieved; what are the deductions to be allowed; who is the Assessing Officer; how are they to be appointed; what is the appeal provision; how much deposits are to be made; these are all incidental provisions. The fact is that these incidental provisions to the Principal provision exist do not render a Bill to be a Non-Money Bill. That is what Mr. Mavalankar said. Therefore, the word 'only' has to be read in the context of the spirit of Article 110. It is much ado about nothing that you say 40 laws are being amended. What is the amendment? Today, you have in every law – a tribunal being created. Who will be the tribunal? It will be headed by a judge and it will have members. He will be a retired judge. What will be age? Every law has a different criterion. Every law has different perquisites. In some cases they say that it will be the last drawn salary minus pension and in some cases they say that a lump-sum will be given and no other perquisites will be given. What will be the retirement age? It is differing in every law.

Madam, there are some laws in which tribunals have been created which have such inadequate work that a tribunal may sit only for half-an-hour or one hour. Then, you have to make a regular provision for salary and all perquisites. So, all that is being done – 40 may sound very large – is that there is only one amendment which says that there will be uniformity in service conditions and the pay structure of all those retired judges who are being appointed in all these tribunals. The Government money, therefore, is being spent in this manner, जहां काम कम है, वहां जो दो या तीन ट्राइब्युनल्स अलग-अलग बनते हैं, एक ही व्यक्ति उन तीनों ट्राइब्युनल्स का काम करेगा। That is all that is being done. That directly relates to the Governmental expenditure कि सरकारी खर्चा कम करने के लिए आप दो ट्राइब्युनल्स का काम एक आदमी को दे दोगे, हर ट्राइब्युनल की सर्विस कंडीशंस एक जैसी कर दोगे। आज क्या परिस्थिति है कि

किसी को घर मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। इसलिए कहीं रिटायर्ड लोग आना चाहते हैं, कहीं नहीं आना चाहते हैं। इसलिए सभी कानूनों में एक प्रावधान कर दिया कि यह यूनिफॉर्मिटी होगी और जहाँ-जहाँ सम्भव है, उन दोनों को इकट्ठा कर देना। यह बजट के अन्दर एनाउन्स किया।

Now, you come to the other Bill. Now, the hon. Members says how is electoral bonds a money Bill? Now, electoral bonds has been announced as a scheme for cleansing political money under the Income Tax Act. How is it being done? The reality as we all know, a lot of electoral funding to political parties across the spectrum comes by way of undisclosed money and this is the issue which has been in public domain.

Therefore, in the Budget announcement, we came out with a proposal that there will be an income tax incentive involved in four different ways. One is that monies are paid by cheque. The maximum cash donation which earlier was allowed up to Rs. 20,000 will now be allowed up to Rs. 2,000 as the Election Commission has recommended. Thirdly, there is a mass collection through the digital media and fourthly, that there will be electoral bonds issued in accordance with a scheme under the Income Tax Act. These are all amendments under the Income Tax Act and the specific provision of the Income Tax Act which deals with this is Section 13A. In the Finance Bill, this is clause 11. Now, for this purpose, how are the electoral bonds to be issued? अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स कोई प्राइवेट आदमी तो इश्यू नहीं करेगा। The incidental provision is that the RBI will authorise a particular bank to issue the electoral bonds. So, it is an off-shoot incidental to that amendment. जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होंगे, उन्हें डोनर चैक से खरीदेगा, उतनी उसको इन्कम टैक्स में छूट मिलेगी और जो पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करेगी, उसको अपना प्री-डिक्लेयर्ड एकाउन्ट देना पड़ेगा। उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। इस प्रोविजन के लिए आरबीआई एक्ट में एक लाइन की अमेंडमेंट है that RBI may authorise and notify a particular bank. That is an incidental announcement.

In the Representation of the People Act, its impact is under Section 29(c) रीप्रिजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में यह है कि कोई भी 20 हजार रुपये से ज्यादा का डोनेशन आयेगा तो

वह डिसक्लोजर होगा तो रीप्रिजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सम्बन्ध में डिसक्लोजर नहीं होगा। So, these are all incidental announcements to that entire scheme which has been made under the Income Tax Act itself. Then, if you see the Indian Post Office Act, क्या अमेंडमेंट है, provided the notification will set out the rates chargeable. जो पोस्ट ऑफिसेज के रेट्स होंगे That is again the Government revenue. Why should it not be a Money Bill? Oil Industry Development Act means money incurred by any Public Sector Undertaking and the oil and gas companies which is again on behalf of the Central Government. तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा होगा, अगर वह मनी बिल में नहीं आ सकता तो फिर मनी बिल में क्या आयेगा? उसी प्रकार से रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, एक सेस है, जो वापस लिया है और वे कहते हैं कि सेस को आपने रिपील किया, यह मनी बिल क्यों है? अब सेस रिपील तो मनी बिल के माध्यम से ही होगा और उसके बाद आगे जाकर हम देखते तो आई.आर.डी.ए., पी.एफ.आर.डी.ए. जो रेग्युलेटरी अथॉरिटीज हैं, all the regulatory authorities regulate the manner in which and whatever penalties they impose. उनका खर्चा सरकार का होता है, पेनल्टी जो इम्पोज करती हैं, वह सरकार के ऊपर आती हैं। That is all something to do with Government revenue itself. So, my respectful submission is, it squarely comes in the language of Article 110.

HON. SPEAKER: Hon. Members would recall that during last year when similar objections were raised at the time of consideration of the Finance Bill, 2016, I had observed that as per rule 219, the primary object of a Finance Bill is to give effect to the financial proposals of the Government. There is no doubt about it. At the same time, this Rule does not rule out the possibility of inclusion of non-taxation proposals. Therefore, I have accepted this. The Finance Bill may contain non-taxation proposals also.

Now, another thing is, no doubt, every effort should be made to separate taxation measures from other matters. It should be done. But as has been very widely explained by the Finance Minister, I need not say the things again and again.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: What is it? I am giving my ruling.

So, incidental provisions can be made. That is why, keeping in view that rule 219 does not specifically bar inclusion of non-taxation proposals in a Finance Bill, I rule out the Point of Order.

… (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, consequential means absolutely consequential. … (*Interruptions*) The hon. Finance Minister read about it. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, Shri Deepender Singh Hooda.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : अध्यक्ष महोदया, इससे पहले कि मैं इस बिल पर बोलूं, जो आपकी रूलिंग हैं और इसमें आर्टिक्ल 110 में आखिरी अधिकार आपको है, यह सर्वमान्य है। इसके बावजूद भी मैं अपना विरोध प्रकट करना चाहूंगा। इस इम्पार्टेंट एक्ट के अंदर बदलाव हो रहे हैं। जहां तक ट्रांसपरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग की बात है, हमारा सुझाव है कि सरकार को ट्रांसपरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग एक्ट के नाम से एक अलग बिल लाना चाहिए था, जिसमें रिप्रजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में बदलाव हो रहे हैं। इसमें इंसिडेंटल के बारे में भी कहा जाता है। मैं कहता हूं कि यह किस चीज का इंसिडेंटल है। आप वहां पर जो बदलाव कर रहे हैं, उसका इंसिडेंटल है कि अब आर.बी.आई. को एक्ट करना पड़ रहा है। यह नहीं है कि आप आर.बी.आई. के माध्यम से टैक्सेशन ले रहे हैं, उसका इंसिडेंटल है कि वह बदलाव हो रहा है। इंसिडेंटल किस दिशा में जा रहा है? मैं समझता हूं कि सरकार को उसकी भावना समझनी चाहिए। आपकी भावना यह नहीं थी कि आर.बी.आई. अपने माध्यम से टैक्स कलेक्शन करें और उसका इंसिडेंटल हो। आपकी भावना थी कि इलेक्टोरल फंडिंग में ट्रांसपरेंसी लाई जाए और उसका इंसिडेंटल था कि आर.बी.आई. के माध्यम से बॉन्ड इश्यू होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करें।

अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इससे पहले कि मैं गवर्नमेंट के टैक्सेशन प्रपोजल्स के बारे में बोलूं, क्योंकि फाइनेंसियल बिल एक कंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट के टैक्सेशन प्रपोजल्स के बारे में हम यहां पर बहस करेंगे, जो देश की अर्थव्यवस्था और परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, आज जो देश की आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में मैं कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। खास तौर पर डीमोनेटाइजेशन के बाद देश की बहुत तेजी से बदलती हुई जो आर्थिक परिस्थिति है, इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। इससे पहले जो बजट आया, हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करते समय जो एक रोजी पिक्चर पेंट की और एक बहुत बड़ी संतुष्टि उनकी बजट स्पीच में थी। उनके बजट में बहुत ही सटिस्फैक्ट्री तरीके से एक स्पीच रखी गई कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से चल रही है और हम टेक-ऑफ के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एक रोजी पिक्चर पेंट की गई। हम इससे असहमत हैं। हम समझते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, वह अंडर परफर्मिंग इकोनॉमी है। इन हालात में आज जो पूरे विश्व की परिस्थितियाँ हैं, जहां हम लोग पहुंच सकते हैं, वहां पर ले जाने में भारत सरकार पूरे तीन साल में कामयाब नहीं हुई है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम टेक-ऑफ के लिए तैयार है। इन्होंने तीन साल पहले भी कहा था कि टेक-ऑफ के लिए तैयार है। हम लोग अभी भी जहाज में बैठे हुए है, हम जहाज में रनवे पर बैठे हुए हैं,

जहाज का पायलट बार-बार कहता है कि आप पाँच मिनट का इंतजार कीजिए, रनवे क्लीयर हो रहा है, टेक-ऑफ के लिए तैयार है, मगर हमें अभी भी इंतजार है कि टेक-ऑफ कब होगा।

अभी जो आर्थिक जी.डी.पी. का ग्रोथ रेट सात प्रतिशत रखा गया है, डिमोनेटाइजेशन के बाद भी देश को बहुत संतुष्टि होनी चाहिए। इस पर भी मैं कहता हूं कि हम लोग संतुष्टि की किस मापदंड से तुलना कर रहे हैं। इसकी तुलना उस मापदंड से होनी चाहिए, जो यूपीए का दस साल का कार्यकाल रहा, उस समय क्या ग्रोथ रेट था। यूपीए के दस साल के कार्यकाल में पुरानी सीरीज के आधार पर औसत ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत रही और उसके बाद अच्छे दिनों के वायदे आए, इससे बढ़नी चाहिए थी। नई सीरीज के आधार पर हमारे पास कोई एक्जैक्ट डाटा इस समय का उपलब्ध नहीं है, मगर हम एक्सप्लोरेशन करें, हमारी सरकार जो नई सीरिज लेकर आई है, उसके आधार पर हम देखें तो यह 7.8 प्रतिशत नहीं बल्कि दस साल में औसतन सलाना 11.3 प्रतिशत का आकलन किया जाता है। क्या सरकार ने उसे बढ़ाने का काम किया? तीन वर्ष के बाद सरकार कहे कि 7 प्रतिशत की जो आर्थिक ग्रोथ रेट है, वह बहुत अच्छी है और हम उससे संतुष्ट हैं, तो मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है। इस 7 प्रतिशत पर भी सवाल उठ रहे हैं। 7 प्रतिशत का जो जीडीपी का नंबर नई सीरीज के आधार पर आया है, उस पर भी बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा। एक जापानी एनालिस्ट नमूरा की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि discrepancy between official GDP statistics and ground level data has been a concern ever since the start of new GDP series and gap has become even more glaring in the aftermath of demonetisation. ये जो सवाल पूरी दुनिया में उठ रहे हैं, उनका जवाब सरकार को देना चाहिए, ताकि भारत की अर्थव्वयस्था पर विश्वसनीयता बनी रहे। बहरहाल, हम इन सवालों को अलग करते हैं और जो आपके आंकड़े हैं, हम उन पर यकीन करते हैं। आंकड़ों में आपने 7 प्रतिशत दिया है। उसमें भी अगर हम परतें उतारकर देखें तो मैं समझता हूं कि हमें, देश को ऐसी चिंतायें होती हैं, जिनका जवाब आपको देना चाहिए।

जो 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट है, यह प्राइमरली कंजंप्शन ड्रिवेन, जो प्राइवेट कंजंप्शन है, उसकी वजह से 7 प्रतिशत ग्रोथ रेट तीसरे क्वार्टर में आपने दिखाया। कंजंप्शन में हम जानते हैं कि आखिरी क्वार्टर्स के अंदर बढ़ोतरी हुई है। अच्छी रेनफॉल हुई, सेवेंथ पे-कमीशन भी आया। सेवेंथ पे-कमीशन का वन टाइम बेनेफिट आपको .6 पर्सेंट हुआ। अगर आप उसको घटा दें तो 6.4 प्रतिशत की आपकी ग्रोथ रेट हुई। इसी तरीके से ऑयल का विंडफॉल आपको मिल रहा है। ऑयल और सेवेंथ पे-कमीशन को अगर हटा दें तो यह 7 प्रतिशत नहीं, 6 प्रतिशत पर रह जाएगी। बहरहाल, प्राइवेट कंजंप्शन के अंदर ग्रोथ हुई, मगर ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश में

नौजवानों को नौकरियां चाहिए, अच्छे भविय की कल्पना हमारे देश का नौजवान करता है। ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन, कितना इनवेस्टमेंट हमारी इकॉनामी में आ रहा है। मैं जानकारी में लाना चाहूंगा कि 2012 में 39 प्रतिशत जीडीपी का खर्च ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन पर था, इनवेस्टमेंट हो रही थी। जीडीपी की ग्रोथ का 39 प्रतिशत, 2012 से घटते-घटते 2017 में 26.9 प्रतिशत रह गया। जितनी भी इमर्जिंग इकॉनामीज हैं, उनमें ब्राजील को छोड़कर सबसे कम इनवेस्टमेंट हमारा है। जीडीपी 7 प्रतिशत का केवल 26 प्रतिशत इनवेस्टमेंट, ग्रॉस कैपिटल फार्मेशन हो रहा है। मैंने वित्त मंत्रालय से एक प्रश्न पूछा था कि जो टोटल ईयरवाइज इनवेस्टमेंट प्रपोजल हैं, वे हमारे देश में कितने आ रहे हैं? वर्ष 2010 में हमारे देश में 17 लाख 36 हजार करोड़ रुपये के इनवेस्टमेंट प्रपोजल्स, लार्ज इंडस्ट्री, मीडियम एंड स्माल इंडस्ट्री के आए, 2011 में 15 लाख 39 हजार करोड़ रुपये, जो 2016 के अंदर घटकर कुल इनवेस्टमेंट प्रपोजल हमारे देश में 3 लाख 93 हजार करोड़ रुपये पर आए। 17 लाख 36 हजार करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट प्रतिवर्ष, 2010 में, 2011 में, 2012 में, जो घटकर 3 लाख 93 हजार करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट हो गई। जब इनवेस्टमेंट होगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, तब नौकरियां आएंगी।

इसी प्रकार से इंडस्ट्री में कैपिसिटी यूटिलाइजेशन इंडस्ट्री में वर्ष 2011 में 80 प्रतिशत से घटकर अब 72 प्रतिशत हो गया है। कारपोरेट सैक्टर का जो स्वास्थ्य है, उसके बारे में भी चिंता होती है। जो इंट्रेस्ट कवरेज रेश्यो है, प्री-लीमैन क्राइसिस में जो इंट्रेस्ट कवरेज रेश्यो है, मतलब इंट्रेस्ट चुकाने की क्षमता, वह घटकर 4 से 2 रह गई है, हमारी कंपनीज की क्षमता प्री-लीमैन टाइम से भी कम हो गई।

मैं एक चौंका देने वाला आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारे मंत्री जी उपस्थित हैं। नॉन फूड क्रेडिट ऑफटेक, कंपनियां लगाने के लिए कितना लोन लिया जा रहा है। केवल आज की बात नहीं, 2016 की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 2017-18 में कितनी नौकरियां बनेंगी, कितनी इनवेस्टमेंट होगी, क्रेडिट ऑफ टेक जो मार्च, 2016 का पिछले क्वार्टर का आंकड़ा है , यह 4.34 प्रतिशत है, जो कि 58 साल में सबसे कम है। यह रिकार्ड बन गया। 60 साल में सबसे कम अगर बैंक से इंडस्ट्री ने लोन लिया, तो वह पिछले क्वार्टर में लिया गया और आप कह रहे हैं कि देश में बहुत अच्छी स्थिति है। साठ साल में सब कुछ हो गया। दुनिया की इकॉनामी ऊपर नीचे, ऑयल क्राइसिस, मिडिल-ईस्ट क्राइसिस, इराक वॉर, सेकेंड इराक वॉर, ऑयल शॉक सब कुछ आ गया। अगर सबसे कम बैंक लोन किसी क्वार्टर में लिया गया है, तो 4.34 प्रतिशत की ग्रोथ नॉन फूड क्रेडिट में पिछले क्वार्टर में आई है। इस बात को आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा।

अब मैं एक्सपोर्ट पर आता हूं। जब 2013-14 में आपकी सरकार बनी, उस समय प्रति माह 26.2 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट हम छोड़कर गए थे। आज तीन साल की आपकी सरकार के बाद, वही

एक्सपोर्ट 21.2 बिलियन डॉलर का है। उतने लैवल पर भी नहीं है, बढ़ना चाहिए। बढ़ना इसलिए था कि चाइना की इकोनॉमी ठहराव के दौर से गुजर रही है। दुनिया के अंदर जो परिस्थितियां बन रही हैं, लो ऑयल प्राइसेज, लो कमोडिटी प्राइसेज़, चाइना की इकोनॉमी के ठहराव का हमें फायदा उठाना चाहिए। मगर हमने फायदा नहीं उठाया। यही कारण है कि इकोनॉमिक सर्वे में इनके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र श्री अरविंद सुब्रह्मणियम ने एक बहुत बेहतरीन चैप्टर रखा है कि दुनिया की फैक्ट्री चाइना की बजाए हिन्दुस्तान बननी चाहिए, आज वही फैक्ट्री वियतनाम और बंगलादेश बन रही है। एक्सपोर्ट जो चाइना का वर्ल्ड ग्लोबल शेयर का डिप कर रहा है, उस शेयर में हमारे देश से आगे वियतनाम और बंगलादेश जैसे देश पहुंच रहे हैं। हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्होंने उस पर अपने सुझाव रखे।

मैं धीरे-धीरे टैक्सेशन प्रपोजल पर भी आना चाहूंगा। उन्होंने सुझाव रखे कि कई ऐसे सैक्टर हैं, जैसे गारमैंट सैक्टर, ऐपेरल सैक्टर, फुटवियर सैक्टर, जो बड़े भारी जॉब इंटैंसिव सैक्टर हैं यानी अगर इन सैक्टर्स में इन्वैस्टमैंट करते हैं तो एक लाख इन्वैस्टमैंट के आधार पर दूसरे सैक्टर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन होती है। मैं उदाहरण देता हूं। ऐपेरल सैक्टर में हर एक लाख रुपये की इन्वैस्टमैंट पर 24 लोगों को रोजगार मिलता है। इसे ऑटो सैक्टर से कम्पेयर करें, तो हर एक लाख रुपये की इन्वैस्टमैंट पर 0.3 लोगों को जॉब मिलती है और स्टील में हर एक लाख रुपये की इन्वैस्टमैंट में केवल 0.1 व्यक्ति को रोजगार मिलता है। कुछ सैक्टर ऐसे हैं जिनमें अगर हम उतना ही इन्वैस्टमैंट करें, हम उदाहरण के तौर पर लें - अगर हमारे पास फाइनाइट रिसोर्स है, वह रिसोर्स अगर हम उन सैक्टर्स में लगाएंगे, तो न सिर्फ दुनिया के एक्सपोर्ट में हम चाइना की जगह ले सकते हैं बल्कि हम अपने करोड़ों नौजवानों को, जिनको हर साल दो करोड़ नौकरियों का वायदा था, रोजगार दे सकते हैं। आज नहीं तो कल, उनके बारे में सोचना पड़ेगा। उनके लिए इन सैक्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। यह आपकी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया है।

जो टैक्स प्रपोजल आए, उस पर आने से पहले मैं जॉब क्रिएशन के बारे में कुछ बातें और कहना चाहता हूं। केवल एक्सपोर्ट की बात नहीं है, इकोनॉमी में बाकी जो जॉब क्रिएशन हो रही है, जो डाटा आ रहा है, वह चिन्ता का विषय है। एक लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट आई है। मैं मेघवाल साहब को कहना चाहता हूं कि लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट बता रही है कि आपका जॉब ग्रोथ छ: साल में सबसे कम 2016 में रिकार्ड किया गया। इसी प्रकार इंटरनैशनल लेबर आर्गनाइजेशन ने 2016 की बात नहीं बल्कि आगे की बात का आकलन भी किया है। उन्होंने आकलन किया है कि हिन्दुस्तान की अकेली इमर्जिंग इकोनॉमी ऐसी है कि 2017 और 2018 में हमारा अनइम्प्लॉयमैंट बढ़ेगा, हमारे देश में बेरोजगारी दो साल तक बढ़ेगी। आपकी आर्थिक नीतियों

की जो दिशा है, उसके बारे में आपको आकलन करना चाहिए। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं। किसी भी देश की टैक्सेशन पॉलिसी का जो कर्तव्य होता है, उसमें अपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स, जैसे जॉबलैस ग्रोथ हो रही है, को ऐड्रैस करना होता है। इसलिए हमने सोचा जब इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर आया, तो कॉरपोरेट टैक्स का जो कट किया जाएगा, उसके माध्यम से कुछ सैक्टर्स को विशेष तौर पर एक पैकेज दिया जाएगा, कुछ सैक्टर्स का ज्यादा कट किया जाएगा, जैसे मैंने कहा गारमैंट, फुटवियर सैक्टर है। हम ऐसे सोच रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने ऐक्रॉस दी बोर्ड जिनका 50 करोड़ रुपये से कम का टर्नओवर है, हमारी टोटल 96 प्रतिशत कम्पनियां इस श्रेणी में आती हैं, उनका 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया। यह सही पॉलिसी नहीं है। आपने गहराई से नहीं समझा। इसमें सभी कम्पनियां आ गईं। इसमें रियल ऐस्टेट कम्पनियां भी आ गईं। इसमें वे कम्पनियां आ गईं कि रियल ऐस्टेट के पांच आदमियों ने सौ करोड़ रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया, 50 करोड़ रुपये का प्रॉफिट दिखा दिया, कुछ प्लॉट लिए, कुछ प्लॉट बेचे, उसमें केवल 5 या 10 आदमी बैठे हैं। आपने उनको भी वही राहत दे दी जो टैक्सटाइल सैक्टर, फुटवियर सैक्टर को दी है, ऐक्रॉस दी बैल्ट कम कर दिया गया। हम इस नीति से सहमत नहीं हैं। हम नहीं मानते कि आपने गहराई से आकलन किया।

मैं सिक्युरिटी सर्विसेज का उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा अगर टैक्स रेट किसी पर है तो सिक्युरिटी सर्विसेज पर है, जहां हमारे बहुत से भूतपूर्व फौजी एक्स सर्विसमैन कार्यरत रहते हैं, इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्रुप हाऊसिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका टैक्स रेट 40 परसेंट है और रिअल स्टेट कंपनियां हैं, उनके लिए सेक्टर स्पेसिफिक इफेक्टिव टैक्स रेट है। आप इनके सेक्टर का आकलन करें, इसमें बहुत मिसमैच है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जिस तरह की दशा और दिशा आज अर्थव्यवस्था की है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ने का अंदेशा विश्व की एजेंसियां आकलन कर रही हैं, उसको एड्रेस करने के लिए सेक्टर स्पेसिफिक ब्रेक दें, नहीं तो हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम बांग्लादेश और वियतनाम का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनके लेबर फोर्स की तनख्वाह ज्यादा है, वियतनाम का यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। वहां उनकी टैरिफ ड्यूटी बहुत कम है। बांग्लादेश लो-इनकम इकोनॉमी में आता है, उनकी भी टैरिफ ड्यूटी बहुत कम है। अगर आप कॉरपोरेट टैक्स रेट में बड़ी राहत देंगे, तभी हम आने वाले कल में अपने इन सेक्टर्स को बढ़ावा दे पाएंगे और नौजवानों को रोजगार की तरफ ले जाएंगे। टैक्सेशन पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वह गरीब और अमीर के अंतर को एड्रेस करने के लिए होता है। आज इनडाइरेक्ट टैक्स का पलड़ा भारी है, इनडाइरेक्ट टैक्स जिसे सभी को बराबरी से देना पड़ता है, अम्बानी से लेकर सबसे गरीब व्यक्ति तक सभी को देना पड़ता है, यह टैक्स सभी पर बराबर लगता है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर कौन सा

टैक्स लगता है? अम्बानी अपनी गाड़ी में एक लीटर डीजल भराएंगे तो उनको भी उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना सबसे गरीब किसान अपने ट्यूबवेल चलाने के लिए डीजल लेगा, उसको टैक्स होता है।

अध्यक्ष महोदया, दूसरी तरफ जो डाईरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स है, ये इसे किस दिशा में लेकर गए? पिछले तीन साल से हमारे देश के डायरेक्ट-टैक्सेज में कमी आ रही है और इनडायरेक्ट टैक्सेज बढ़ रहे हैं। आर्थिक नीति की दिशा चिंताजनक है, इससे गरीब-अमीर का अंतर बढ़ेगा और बढ़ रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान ऑक्सफेम की रिपोर्ट की तरफ आकृष्ट करता हूं, जिसमें यह बताया गया है कि हिन्दुस्तान में सबसे अमीर एक प्रतिशत लोग हैं जिनके पास देश की 58 प्रतिशत वेल्थ है। गरीब और अमीर का अंतर बढ़ रहा है। खास तौर से पिछले 25 सालों में जब लिब्रलाइजेशन शुरू हुआ। पहले हम सोशलिस्टिक आर्थिक नीतियों से प्रेरित थे, लिब्रलाइजेशन के बाद अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, इसे आगे बढ़ना जरूरी था, रिफार्म होना चाहिए, लिब्रलाइजेशन होना चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ गरीब-अमीर का भी अंतर बढ़ा। ये बहुत ही असानी से कहते हैं कि 70 सालों में यह अंतर बढ़ा, यह अंतर 25 सालों में बढ़ा है, इसे आपको समझना पड़ेगा। उन 25 सालों में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और 11 साल विपक्ष की सरकार रही। वर्ष 1991 से 9 साल भाजपा की सरकार रही है इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी उतनी बनती है। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन इस अंतर को और न बढ़ने दें, हमें इस दिशा में सोचने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, यह अंतर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम सोच रहे थे कि आप डाइरेक्ट टैक्सेज को बढ़ाएंगे और इनडाइरेक्ट टैक्सेज को प्रतिशतवाइज कम करेंगे। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। आज हमारे देश में 33 प्रतिशत टैक्स डाईरेक्ट टैक्सेज के माध्यम से आता है, जो अमीर आदमी पर ज्यादा लगता है। करीब 67 प्रतिशत टैक्स इनडाईरेक्ट टैक्स से आता है, जैसे पेट्रोल, डीजल और जीएसटी लगते हैं, उसमें सभी शामिल है। जो इमर्जिंग(ओएसडीसी) कंट्रीज हैं, उसमें यह आंकड़ा बिल्कुल उलट है। जितने भी विकसित देश हैं, उसमें 70 प्रतिशत टैक्स डाइरेक्ट टैक्सेज से आता है जबकि हमारे देश में इसकी विपरीत परिस्थिति है। इसे आप बदलेंगे इसकी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इस बजट के टैक्सेशन प्रोपोजल में डाइरेक्ट टैक्सेज को कम करने का काम किया। 22,000 करोड़ रुपये की राहत डाइरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स को दी। सबसे रेट्रोगेट और रिग्रेसिव इनकरैक्ट डाइरेक्ट टैक्स है। वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर इनकम टैक्स को माना जाता है, वह सबसे कम है, बाकी जीएसटी है, वह मजबूरी है उसको ठीक भी माना जाता है। पेट्रोलियम पर जो टैक्स लगता है, वह सबसे ज्यादा रेट्रोगेट

और रिग्रेसिव माना जाता है, मैं उसके बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे समय में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक रुपये 10 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पर और 1 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर डीजल पर थी उसे आपने बढ़ाकर अभी 8 रुपये 95 पैसे पेट्रोल, 7 रुपये और 96 पैसे डीजल पर करने का काम किया है। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स कम कीजिए और देश की गरीब जनता, किसान, जिसे डीजल और पेट्रोल लेना है, उन्हें और अम्बानी जी, वे भी अपनी कार में यही डीजल और पेट्रोल डलवायेंगे, जितना आडवाणी और अदानी ...(व्यवधान) मैं क्षमा चाहता हूं। ...(व्यवधान) हमारे बहुत ही सम्मानित आडवाणी जी सदन में मौजूद हैं। ...(व्यवधान) उन्हें देखकर और भी बोलने की प्रेरणा हमेशा रहती है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा होता है।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : यह अंतर बहुत ज्यादा है। ...(व्यवधान) मेघवाल जी को मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। जब वर्ष 2014 में आपकी सरकार बनी। ...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Can they take the name of Shri Mukesh Bhai Ambani as he is not a Member of the House? So, it should either be deleted, or let the Government make him a Member.

HON. SPEAKER: He has taken his name as an industrialist, in general.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : हमें कोई एतराज नहीं है। ...(व्यवधान) वर्ष 2014 में जब आपकी सरकार आयी, आप मुझे यह गणित समझाइये। मेघवाल जी, मैं यह गणित समझना चाहता हूं कि वर्ष 2014 में आपकी सरकार आयी। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Actually, every Member knows that one should not take the name of a person who is not a Member of the House because that is the rule.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : They are institutions.

HON. SPEAKER: So many Members try to do that, every now and then.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा था। जो सबसे अमीर हैं ...(व्यवधान) मेरे कहने का मतलब वह था। ...(व्यवधान)

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, it is okay, let him continue.

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं यह गणित आपसे समझने की कोशिश कर रहा था कि वर्ष 2014 में जब आपकी सरकार बनी, तब ऑयल का प्राइज 110 डालर प्रति बैरल था और डीजल का प्राइज 56 रुपये था। आज डीजल का प्राइज 59 रुपये, यानी तीन रुपये बढ़ गया और ऑयल का प्राइज 50 डालर प्रति बैरल हो

गया। अब 110 डालर प्रति बैरल से 50 डालर प्रति बैरल हो गया। इसकी वजह से आपको कितना फायदा हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि यह डिसप्रोपोशनेटिली गरीब और किसान से ज्यादा ले रहे हैं। पिछले साल आपने 1 लाख 99 हजार करोड़ रुपये का रेवन्यू केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से लिया है। हमारी सरकार के समय में हम 1 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी देते थे, जबकि आपने 2 लाख करोड़ रुपये का रेवन्यू लेने का काम किया। मेरी मांग है कि आपने डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स किया। मेरी मांग है कि कम से कम डीजल और पेट्रोल पर आप हमारे बराबर ड्यूटी नहीं, तो कम से कम 5 रुपये कम करके दिखाइये, ताकि देश में एक संदेश जाये कि अगर हम कॉरपोरेट टैक्स कम कर सकते हैं, तो डीजल और पेट्रोल की ड्यूटी कम कर रहे हैं। हम सिर्फ 5 रुपये की मांग कर रहे हैं। आपको हमारी बराबरी करनी चाहिए थी, मगर हम 5 रुपये की ही मांग कर रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक-दूसरे की बराबरी मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं एक बात और रखना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी ने एक बड़ी बात कही कि अन्प्रिसिडेन्टिड ग्रोथ इन टैक्सेशन, कलैक्शन ऑफ टैक्सेज। उन्होंने कहा कि जो नेट टैक्स रेवन्यू है, वह हमने वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 में 17 प्रतिशत बढ़ाया है। अन्प्रिसिडेन्टिड सीरियस ऐफर्ट बाय दी गवर्नमैंट। उसके अगले दो साल में हमने 17 प्रतिशत दोबारा बढ़ाया। आज तक ऐसा कभी एचीव नहीं हुआ। मैं ऑन दी रिकार्ड थोड़ा करैक्ट करना चाहूंगा। जब हमारी सरकार वर्ष 2004-05 में बनी थी, तो उसके अगले साल में हमने टैक्सेशन में 19.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। उससे अगले साल 20 प्रतिशत और वर्ष 2005 से लेकर 2007 तक 29.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। जो यह कह रहे हैं कि देश के इतिहास में 17 प्रतिशत टैक्स कलैक्शन इतना बढ़ा नहीं है, तो हम 30 प्रतिशत का आंकड़ा प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई मेरा आंकड़ा नहीं है। आरबीआई और आप सब इस आंकड़े को जानते हैं, मगर उस आंकड़े के पीछे न छुपा जाये। टैक्स कलैक्शन जरूर बढ़ा है, मगर अब खतरे की घंटी है। कल के अखबार में एक खबर आयी है कि इस क्वार्टर का एडवांस टैक्स कलैक्शन, जो कह रहे थे कि डिमॉनेटाइजेशन का कोई असर नहीं हुआ, तो उसने भी रिकार्ड तोड़ा है। जैसे मैंने कहा कि बैंक का जो क्रेडिट ऑफ टेक है, वह 58 साल में सबसे कम आया है। जो एडवांस टैक्स, जो आपका मॉप-अप मार्च तक का है, वह केवल 6 प्रतिशत बढ़ा है। इन 15 सालों में सबसे कम बढ़ोतरी टैक्स कलैक्शन की हुई है, तो वह मार्च के क्वार्टर में हुई है। पिछले 15 सालों में सारे इकोनामिक क्राइसिस आ गये। आपने कहा कि अन्प्रिसिडेन्टिड टैक्स कलैक्शन है, प्रेसिडेन्ट

नहीं है, तो मैं उसे ऑन दी रिकार्ड करैक्ट कराना चाहूंगा। मगर उसके साथ-साथ जो है, वह अभी खतरे की घंटियां बज रही हैं। हम चाहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, तो आप उन बातों पर ध्यान दें।

अध्यक्ष महोदया, सरकार एक बहुत ही डेक्रोनियन मेजर इस फाइनेंस बिल के माध्यम से पूरे देश की जनता पर थोपने की तैयारी कर रही है। सर्च एंड सीज़र से जुड़ी हुई पावर इनकम टैक्स अथारिटीज को देने की बात आई है। इस तरह से टैक्स टेररिज्म अनलीश करने की तैयारी की जा रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 130 के सब-सेक्शन 1(ए) में कहा गया है कि कोई भी सर्च एंड सीज़र करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को कारण बताना पड़ेगा। इसके लिए कोई रीज़न टू बिलीफ और रीज़न टू सस्पेक्ट होना चाहिए। बिना किसी रीज़न के किसी के घर में घुसकर सर्च एंड सीज़र की पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे देश के इतिहास में कभी नहीं रही और दुनिया के किसी अन्य विकसित या विकासशील देश में भी नहीं दी गयी। मगर अब यह सरकार इसमें एक अमेंडमेंट लेकर आई है, उसमें इस बात को डिलीट कर दिया गया है। उस अमेंडमेंट में कहा गया है कि इनकम टैक्स विभाग का कोई अधिकारी, बिना किसी कारण और वह कारण उस व्यक्ति को नहीं बताना है। पहले व्यवस्था थी कि वह कारण उस व्यक्ति को भी बताना था और कोर्ट को भी बताना था। वह व्यक्ति कोर्ट में भी जा सकता था, अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी जा सकता था, वहां वह कह सकता था कि बिना वजह मेरी हैरेसमेंट की गयी है और कोर्ट इनकम टैक्स अथॉरिटी से पूछती थी कि आप इसका कारण बताइए, क्या आपके पास कोई रीज़न था। There needed to be some objective material to apply the mind and come with a subjective decision. The power of making a subjective decision lied with the income tax officials. But there needed to be some objective material. अब कहा गया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसे पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। It effectively removes all fetters on the taxman and makes him completely unaccountable to any court or appellate tribunal to explain whether he possessed any credible information to conduct raid, search and seizure. This is wrong, this is against the tenets of natural justice and this does not exist anywhere in the world.

इतना ही नहीं, इसे आपने वर्ष 1962 से लागू कर दिया है। मैडम, आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि इसे वर्ष 1962 से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया है, जो आज तक पहले कभी सुना नहीं गया। इसका अर्थ है कि अगर वर्ष 1962 तक आपको किसी के इनकम टैक्स पर शक है कि किसी ने वर्ष 1965 में, 1970 में या 1975 में कोई गड़बड़ की थी तो उसे बताना भी नहीं है कि आपको उस पर शक है या नहीं, आप उसके घर के अन्दर जा सकते हैं, उसकी सर्च एंड सीज़र कर सकते हैं। इसमें कुछ

नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का अधिकार हमारे देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। हम अपने इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के बारे में जानते हैं। आप किसी आम आदमी से पूछिए, वे बहुत दूध के धुले नहीं हैं। उनमें से बहुत से लोग इसका मिसयूज करेंगे, इस मिसयूज को रोकने के लिए ही यह कानून इतने वर्षों से चल रहा था। इस कानून पर आप ध्यान दीजिए।

अन्त में, मैं इनकम टैक्स पर आता हूं। इन्होंने इनकम टैक्स में कटौती की है। वैसे उम्मीद यह थी कि 5 लाख रुपये तक स्लैब बढ़ाया जाएगा, यह कहा भी गया था। डिमॉनेटाइजेशन के बाद जो हार्डशिप्स हुईं, लोगों की काफी उम्मीदें थीं। फिर भी, इन्होंने एक तर्क देकर पांच लाख रुपये से कम इनकम पर 50 प्रतिशत रिडक्शन करने का काम किया है। हमारी मांग है कि पांच लाख रुपये तक इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाने का आपका जो वायदा था और लोगों की जो अपेक्षा भी थी, उसे आप पूरा करिए। इनकम टैक्स की बात करते हुए मैं कहूंगा कि 50 प्रतिशत लोग, जो किसान हैं, उनकी भी इनकम पर आएं। मैं उनकी इनकम की भी आपसे बात करना चाहता हूं। उन पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, मगर आपका वायदा था कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करेंगे। आपकी सरकार बने हुए तीन साल हो गए हैं। हमारी सरकार के दस वर्ष के कार्यकाल में लगातार गेहूं, बाजरा, धान आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। वीरेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, ये किसान की बात करते हैं। अब किसान संगठन इनके हाथ में आया है। हमने प्रतिवर्ष औसतन 15 प्रतिशत की दर से, चाहे गेहूं हो, धान हो, उड़द हो, उनके समर्थन मूल्य में इजाफा किया था। आप स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करके, उससे ज्यादा बढ़ाने वाले थे, मगर प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत बढ़ाने की बजाय, पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष औसतन चार प्रतिशत वृद्धि की है। फिर भी आप किसान की इनकम दोगुनी करने की बात करते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि आप किसान की इनकम की तरफ भी ध्यान दीजिए, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू कीजिए। आप कह रहे हैं कि फार्म इनकम को डबल करेंगे। इसके अभाव में, आपने जो फार्म लोन वेवर का वायदा किया है, उसे पूरा कीजिए। डिमॉनेटाइजेशन के बाद एक उम्मीद जगी थी कि लोन वेवर देश में होगा। उत्तर प्रदेश चुनावों में इन्होंने वायदा किया है, वहां आपको प्रचण्ड बहुमत मिला है। हमारी शुभकामनाएं हैं, आप उत्तर प्रदेश में अच्छा शासन-प्रशासन दें, हम ऐसी उम्मीद करते हैं।

15.00 hours

मगर उस वादे को ये पूरा करेंगे क्योंकि उस वादे के बाद क्या हुआ, किसान लोन वेवर का वादा था और प्रधानमंत्री जी ने 31 दिसम्बर को कहा था कि केवल इंटरेस्ट लोन वेवर करेंगे। यदि किसी किसान ने 1000 रुपये का लोन लिया है, हमारे समय में हमने पूरा 1000 रुपये का लोन माफ किया था। इन्होंने इंटरेस्ट लोन वेवर किया है। केवल 6 रुपये माफ होंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हमारी मांग है कि

किसान की इन्कम की तरफ भी ध्यान दिया जाए और फाइनेंस बिल से जुड़े हुए हमारे सारे सुझावों को माना जाए ताकि जो हमारी इकोनॉमी बहुत ही कम और धीमी गति से आगे बढ़ रही है, उसको तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाने के साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि हो सके, रोजगार का भी संचार हो सके तथा दो करोड़ नौकरियों के अपने वादे को यह सरकार पूरा करे। धन्यवाद।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मैं अर्थशास्त्र बहुत ज्यादा नहीं जानता। अर्थशास्त्री होने का दावा भी नहीं करता। मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एक नुमाइंदे, एक सांसद के रूप में जनता की जो भावनाएं हैं, फाइनेंस बिल में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, सरकार ने क्या काम किये हैं, उनको लेकर अपने नज़रिये से यहां पर अपनी बात रखना चाहता हूं।

इस सदन में बहुत सारे बड़े-बड़े अर्थशास्त्री दोनों तरफ मौजूद हैं। वे अपनी बात जब रखेंगे तो विस्तार से सभी बातें उसमें आएंगी। जिस देश में हम रहते हैं, कभी इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। प्रोफेसर अंगज मेडिसन ने एक पुस्तक 'हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक्स' लिखी है और यहां जो लोग बैठे हैं, वे जानते हैं कि प्रोफैसर अंगज मेडिसन का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में कितने सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने जो डेटा दिया है, वह पूरे विश्व में माना गया है क्योंकि वह डेटा जब देते हैं तो पूरे विश्व में उसकी मान्यता रही है। उन्होंने जो आंकड़े दिये थे, उसके अनुसार आज से लगभग 1000 साल पहले वर्ष 1000 में भारत 32 प्रतिशत से ज्यादा जी.डी.पी. के साथ विश्व व्यापार में सिरमौर था। भारत सबसे ऊपर दिखाई देता था। बाद में जो परिस्थितियां बनीं, वे सबके सामने हैं। देश में विदेशी आक्रांता आए और उसके बाद विश्व व्यापार में हमारा स्थान घटता चला गया। मुद्दा यह नहीं है कि वह जो स्थिति थी, आज क्यों नहीं है? मुद्दा यह है कि उस स्थिति को हम पुन: कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे हम फिर से विश्व व्यापार में सिरमौर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक बार फिर से पीछे की तरफ देखना होगा। अगर हमें वही स्थान प्राप्त करना है तो हमें हमारी ताकत और हमारी कमजोरियां, दोनों का ही विश्लेषण करना होगा। इसके लिए हमें अपनी ही बनाई हुई, अपने देश की नीतियों को आधार मानकर उसके अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा। यदि हम किसी और देश की नीतियों को तय करके अपनी आर्थिक नीति बनाते हैं तो परिणाम वही होने वाला है जो अभी तक होता आया है।

अभी-अभी बहुत विस्तार से हुड्डा जी ने अपनी बात रखी है। दुर्भाग्य यही है कि जब से बजट पर चर्चा हुई है, मैं ऐसा मानता हूं कि लगभग यही विषय चर्चा में आते रहे हैं। कभी आउट ऑफ बॉक्स हमने सोचा ही नहीं कि वास्तव में इस देश की आवश्यकताओं के अनुसार किस तरह से इस देश के बजट को किस तरफ लेकर जाना चाहिए। किस तरह से देश की आर्थिक नीतियों पर विचार करना चाहिए और इसीलिए हम किसी न किसी का अनुसरण करते रहे। 90 के दशक में जब हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़े थे, तब कोई हमारी अपनी नीति हमारे सामने नहीं थी। उस समय हम अपने उत्पादनों को दरकिनार करते हुए

विदेशी कंपनियों की आवभगत में लगे रहे और हमने अपना कोई आर्थिक मॉडल बनाने की कोशिश भी नहीं की। 90 के दशक से पहले हम साम्यवादी मॉडल को अपना रहे थे, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद हम फिर से वैश्वीकरण की ओर आगे बढ़ गये, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें एक बार फिर से पुरानी स्थिति पर वापस आना है तो हमें अपनी ही आर्थिक नीतियों पर विचार करना पड़ेगा। हमें अपनी ही आर्थिक नीतियों के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं गर्व के साथ सदन में कह सकता हूं कि हमारा बजट इस मायने में ऐतिहासिक है, क्योंकि यह बजट पूर्णतः हमारी आर्थिक नीतियों पर आधारित बजट है, जो कि हमारी आर्थिक नीतियों पर बना है। हम कह सकते हैं कि यह पूर्णतः पैराडाइम शिफ्ट है और इन नीतियों पर चलते हुए बहुत जल्दी विश्व व्यापार में हम शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले हैं। हमारी सरकार ने फाइनेंस बिल के माध्यम से एक बार फिर से दुनिया और देश को बता दिया है कि हम वोट के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए काम करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि आजादी के बाद से आपने देश के आम आदमी को वोट के रूप में परिवर्तित कर दिया। आप वोट के पीछे दौड़ते रहे और जनता ने आपका साथ छोड़ दिया। आप अभी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अभी-अभी जो परिणाम सामने आए हैं, वे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जनता ने आपका साथ छोड़ा है।...(व्यवधान) सदन में प्रतीक के रूप में एक माननीय सदस्य चुनकर आए हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं।

महोदया, ऐसे कदम, जो देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, उन्हें उठाने के लिए भले ही आप हमारी सराहना न करें, लेकिन हमें विश्वास है कि आने वाले समय में देश में आने वाली पीढ़ियां इस बात के लिए सरकार के प्रति आभार जरूर प्रकट करेंगी कि अगर वे अपने आपको शीर्ष पर पा रहे हैं, तो उसके लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार और उसकी नीतियां ही इसकी वजह है। इस बार के फाइनेंस बिल में कई बातें पहले की सरकारों से अलग हैं और फाइनेंस बिल ही नहीं बल्कि हमारी सरकार के जो भी वित्तीय कदम हैं, यदि उन पर नज़र डालेंगे तो हम देखेंगे कि हमने बेहतर किया है और देश ने हमारे हर निर्णय पर अपनी मुहर लगाई है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आज हम ऐसे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं, जिसने आजादी के 70 सालों बाद पूरी ईमानदारी और संजीदगी से काम किया है। अगर पहले की सरकारों ने उस संजीदगी से काम किया होता, तो पूरी दुनिया में आज भारत की भूमिका अलग ही होती।

मैंने अभी-अभी हुड्डा जी की बात को बहुत गंभीरता से सुना है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं अर्थशास्त्र पर बात नहीं करूंगा, मैं इस बात पर बात करूंगा कि देश का आम आदमी क्या सोचता है। अभी-अभी हमने जीएसटी के चार पूरक विधेयकों पर मुहर लगाई है। हमारी सरकार का सपना 'एक भारत, श्रेष्ठ

भारत' है। हमारा विविधताओं से भरा देश है और हमने अलग-अलग भाषाओं को, अलग-अलग संस्कृतियों तथा अलग-अलग संस्कारों को स्वीकार किया है। यदि हमें देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना है, आर्थिक नीतियों को लेकर सिरमौर बनना है, तो टैक्स को लेकर यह स्थिति नहीं हो सकती, इसलिए हमें इसमें एकरूपता लानी होगी। इसी कारण हम जीएसटी लेकर आए हैं। आप यह काम पिछले 60-70 सालों में कर सकते थे, लेकिन आपने यह काम नहीं किया। यह बात जरूर है कि आपने शुरूआत की, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। जीएसटी पर सदन में विस्तार से चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जीएसटी के बाद देश को वास्तव में टैक्स के मकड़जाल से मुक्ति मिलने वाली है, जो देश के लिए आवश्यक है। इस कारण देश में टैक्स नेट भी बढ़ने वाला है। केंद्र का राजस्व भी बढ़ेगा और सर्वाधिक जिसकी बात होती है, राज्यों के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

महोदया, प्रधान मंत्री जी ने इसके लिए पहले ही आह्वान किया है, उन्होंने सदन के भीतर भी कहा है कि 'सबका साथ सबका विकास' और इसके लिए उन्होंने इस बात का भी आह्वान किया है कि हमें इन सबके लिए आपका साथ चाहिए। जब हम सबके साथ की बात करते हैं, तो उधर बैठे लोग भी इसमें शामिल हैं। हुड्डा जी अपनी बात कह रहे थे। मैं समझ सकता हूं कि कभी न कभी उनके मन में बात आती होगी कि आजादी के 70 साल बीतने के बाद जब उंगलियां आपकी ओर उठती हैं, तो आपको सोचना पड़ता होगा कि आपने भीषण गलतियां की हैं। आप बहुत सारे प्रावधानों और नियमों की बात कह रहे थे, वित्तीय ढांचे में सुधार की बात भी आप कह रहे थे। आजादी के 70 साल बीतने के बाद इलाहाबाद से मुजफ्फरपुर के बीच में नाव चलाने पर 12 आने से ज्यादा की चुंगी नहीं लगेगी, ब्रिटिश समय का यह कानून आप अभी तक चलाते आए, हमने इस कानून को खत्म किया। देश में 1100 से अधिक ऐसे कानून थे, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, हमारी सरकार ने उनको समाप्त किया है। इसके बाद भी कांग्रेस के लोग यही मानते आये हैं कि राज चलाना सिर्फ आपको ही आता है और उसी के हिसाब से आपके सुझाव भी आते हैं। हम भी यह मानते हैं कि हम राज करना नहीं जानते हैं और राज करने के लिए हम आये भी नहीं हैं। श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की स्वर्ण जयंती हम लोग मना रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सत्ता हमारे लिए साधन नहीं है, साध्य है। यह साध्य है गरीबों की सेवा के लिए। मैं और ईधर बैठे सभी साथी इन्हीं संस्कारों की वटवृक्ष की राजनीति में पले-बढ़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि वे देश की जनता के प्रधान सेवक हैं। हमें यह कहते हुए गर्व है कि वास्तव में हम राज करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए आये हैं। हम सेवक हैं इस देश की गरीब जनता के, हम सेवक हैं देश के

तमाम असहाय बुज़ुर्गों के, हम सेकव हैं आशा भरी निगाहों से देख रहीं देश की माताओं और बहनों के और हम सेवक हैं इस देश के उन करोड़ों किसानों के जो खेत में अपना खून-पसीना बहाते हैं।

अभी आप किसानों के बारे में बात कर रहे थे। हम गर्व के साथ खड़े होकर कह सकते हैं कि इस देश की 70 प्रतिशत आबादी किसानों की है, जिसे हम अपने अन्न दाता के रूप में देखते हैं। उस अन्न दाता ने सरकार की नीतियों के साथ कदमताल करते हुए जो काम किया है, उनकी जितनी प्रशंसा हो, वह कम है। इस बार रिकॉर्ड उत्पादन देश में हुआ है। आपने उसके लिए भी कई कारण बताये जैसे बारिश अच्छी हुई और भी कई चीजें आपने गिनायीं, लेकिन इसके साथ आप एक बात भूल गये कि यदि नीयत ठीक हो, तो नियति भी सहयोग करती है। इस सरकार की नीयत ठीक है, इसलिए नियति भी हमारा सहयोग कर रही है।

इस बार खाद्यान्न उत्पादन का जो अनुमान है, वह अपने आप में रिकॉर्ड है, जो 27.2 करोड़ टन है। चावल का उत्पादन 10.9 करोड़ टन है, गेहूँ का उत्पादन 9.7 करोड़ टन, मोटे अनाज का उत्पादन 4.43 करोड़ टन है। दाल, जो आपके समय में गरीबों की थाली से दूर हो गयी थी, का अनुमानित उत्पादन 2.2 करोड़ टन है।

बजट तो हमेशा आता रहा है। लेकिन इस बार हमने इसमें देश की 70 प्रतिशत आबादी को देखते हुए प्राथमिकता तय की। उसमें सबसे ऊपर कृषि क्षेत्र था और उसके बाद ग्रामीण विकास था। यह आप पहले भी कर सकते थे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि जो हमने किया, वह पहले नहीं हो सकता था। लेकिन देश क्या चाहता है, इसको समझने की कोशिश आपने कभी नहीं की।

अभी-अभी आप किसानों के बारे में बात कर रहे थे। यह पहली बार होगा कि इस देश में किसानों को सबसे अधिक दाम मिले हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात आप कह रहे थे। इस बार देश की मण्डियों में चना लगभग आठ हजार रुपये से नौ हजार रुपये प्रति क्विंटल, मसूर छः हजार रुपये से सात हजार रुपये प्रति क्विंटल, मटर साढ़े चार हजार रुपये से पाँच हजार रुपये प्रति क्विंटल, उड़द छः हजार रुपये से सात हजार रुपये और गेहूँ 1650 रुपये से 1700 रुपये तक बिका है। यह अपने आप में एक रेकॉर्ड है। आजादी के बाद किसानों को कभी इतनी कीमत नहीं मिली। यदि ऐसा हुआ है, तो सिर्फ इसलिए कि इस देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में किसानों के लिए जिस तरह का वातावरण बनाया गया, यह उसका सुखद परिणाम है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे वित्त राज्य मंत्री द्वय- श्री मेघवाल जी और श्री गंगवार जी भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। फाइनेंस बिल के प्रावधान यह बताते हैं कि यह सरकार देश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए कितनी गंभीर है। देश को विकास

के लिए पैसा चाहिए। गांवों को भी सड़कों से जोड़ना है, सिंचाई के साधन किसानों को उपलब्ध कराना है, खाद्य और उर्वरक भी चाहिए, खाना पकाने के लिए गैस और दवाइयाँ आदि भी देनी हैं। लेकिन अभी-अभी मैंने कहा कि यह सब कुछ उस निर्धारित ढर्रे पर चलकर नहीं किया जा सकता है, जिसकी बात अभी श्री हुड्डा जी कर रहे थे। हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचकर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हमें कुछ साहसिक कदम लेने ही होंगे। ऐसे सभी साहसिक कदम इस बार लिए गए हैं।

महोदया, यदि हम चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें कृषि का रकबा बढ़ाना पड़ेगा। हमें सिंचाई की क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हम हर बात इनकी सरकार के ऊपर डालते हैं। देश में कुल 14.2 करोड़ हैक्टेयर कृाि भूमि में से 65 प्रतिशत भूमि के लिए आज भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं हैं। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद यह इस देश के किसान के लिए कोई आदर्श स्थिति है? ऐसा निश्चित रूप से नहीं है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार 2015-16 से लेकर 2019-20 तक के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इसके लिए किया गया है। सन् 2017-18 के लिए 7,375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार के बजट से 42 परसेंट अधिक है। आप अभी इन्कम टैक्स और टैक्स टैरिरिजम की बात कर रहे थे।

महोदया, वास्तव में आय कर इस देश के लोगों के भीतर डर पैदा करने का एक बड़ा कारण रहा है। प्रारंभ से ही आय कर को लेकर लोगों के भीतर एक भय रहा है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग इसके दायरे में आने से दूर रहने की कोशिश किया करते थे। आय कर की जटिलताओं को दूर करने के बारे में कभी पहले की सरकारों ने सोचा ही नहीं। आय कर को बार-बार एक ही कसौटी पर परखा जाता रहा है कि आय कर की छूट में हमने कितनी वृद्धि की, जिसके बारे में आपने यहाँ बात की है। आप 65 सालों में 5 लाख तक नहीं पहुँचे और आप हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम दो सालों में 5 लाख तक की छूट मिलनी चाहिए। आज हम यह कह सकते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में हमने इन जटिलताओं को दूर करने की कोशिश की है। हमने यह कोशिश की है कि आज इनकम टैक्स देश में डर का कारण न रहे, बल्कि एक जिम्मेदारी का अहसास बने कि वास्तव में आय कर इस देश के विकास के लिए कितना आवश्यक है।

महोदया, इसमें वर्षों से जो पेंडेंसी चली आ रही थी, हमने उसे दूर करने के लिए भी एक मेकेन्जिम बनाने का काम किया है। हम ई-सब्मिशन को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसके साथ-साथ हमने ई-रिफंड भी प्रारंभ किया है, ताकि घर बैठे ही लोगों को ई-रिफंड मिल सके। वर्षों से लोग रिफंड के लिए

परेशान हुआ करते थे। ई-रिफंड से लोगों को उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी और साथ ही हम भ्रष्टाचार को भी रोक सकेंगे।

महोदया, मैं फाइनेंस बिल में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए की गई हमारी कोशिशों के बारे में भी बताना चाहूँगा। सदन में यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश में पिछले सालों में रियल इस्टेट की क्या हालत रही है। हम यह नहीं कहते कि पहले की सरकारों ने इस मामले में कुछ नहीं किया क्योंकि हम अगर कुछ कहेंगे तो आपको फिर से बुरा लगेगा। मैं आदर्श सोसायटी और लवासा मामले पर बोलना नहीं चाहता हूँ। हमारी सरकार ने फाइनेंस बिल में इस बात का प्रावधान भी किया। हमने इसमें निवेश के लिए इंसैंटिव्स दिए हैं, जिससे रियल इस्टेट के क्षेत्र में तेजी आए। बड़े शहरों में गरीबों को मकान उपलब्ध कराने के लिए हमने अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी प्रावधान किए हैं, जिससे शहरों में गरीबों को छत मिल सके। आप जानते हैं कि शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए मकान एक सपने जैसी चीज बनती जा रही थी। ये सारे प्रावधान हमने इसमें किए हैं।

महोदया, हम प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना लेकर आए हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक देश के शहरों में 2 करोड़ घर बनाएंगे। इसके 95 प्रतिशत लाभार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हमारे भाई-बहन होंगे। हम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना लेकर आए हैं। इसके तहत हमने अगले तीन सालों में एक करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके बारे में विचार करना होता है। जब इस तरह के घर बनते हैं, तो लोग इन घरों में जाना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इन घरों में उनके लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। हमने उसमें भी सुधार किया है और घर के आकार को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया है। हमने उसकी सहायता राशि भी बढ़ाकर 1,20,000 रुपये की है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका लाभ मिल सके।

महोदया, हम यहाँ पर ही नहीं रूके। मैं फाइनेंस बिल पर फिर वापस आता हूँ। हमने ऐसे वित्तीय कदम उठाने का साहस किया है, जो वास्तव में इस देश के विकास की नींव रख सकें। मैं कैपिटल गेन की बात करना चाहूँगा। यहाँ बैठे हुए अर्थशास्त्री भली-भांति इस बात को जानते हैं कि देश में वित्तीय सुधारों के लिए कैपिटल गेन का क्या महत्व है। लेकिन आपकी पिछली सरकारों ने केपिटल गेन की गणना के लिए जो बेस ईयर था, वह वर्ष 1981 रखा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से लेकर डॉ. मनमोहन सिंह तक बेस ईयर वर्ष 1981 रहा। आर्थिक सुधारों के लिए समय के साथ-साथ इसको भी बदलना होता है, इस पर आपने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार यह कर रही है और अब वर्ष 1981 के बदले वर्ष 2001 को बेस ईयर बनाने पर हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि अगर देश को हमें विकास की तरफ लेकर जाना है तो हमें यह कदम उठाने ही होंगे। अभी आपने अर्थव्यवस्था की बात की थी, कुछ रिपोर्ट्स की बात की थी। आज

भारत दुनिया में तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वर्ल्ड इनवैस्टर रिपोर्ट में भारत दुनिया की टॉप थ्री होस्ट इकोनमी आंका गया है। मात्र दो साल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोर्म के ग्लोबल कॉम्पीटीटिव इंडेक्स में भारत सीधे 32 स्थान ऊपर पहुंच गया है, जो आपके समय में कभी नहीं हो सका।

महोदया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी हम इस सदन में उन परम्पराओं को नहीं बदल सके थे जो अंग्रेजों द्वारा बनायी गयी थीं और न ही कभी हमने उस बारे में विचार किया। हमने कभी इस बारे में भी विचार नहीं किया कि बजट आखिर अंग्रेजों की सुविधानुसार क्यों चले? लेकिन इसके बारे में भी अटल जी की सरकार के समय में पहल हुई। उस समय सदन में पांच बजे बजट प्रस्तुत होता था। शाम को पांच बजे इसलिए प्रस्तुत होता था क्योंकि इंग्लैंड में उस समय दिन के 11 बजे होते थे। लेकिन अटल जी ने कहा कि हम यह परम्परा नहीं चलाएंगे और इस देश की परम्परा के अनुसार देश का बजट रखेंगे। उस परम्परा को बदला गया और बजट प्रस्तुत करने का समय हमने सुबह 11 बजे का किया। आम बजट को प्रस्तुत करने को लेकर जो परम्परा थी,यह नुकसान होता था कि बजट मार्च में प्रस्तुत होता था और सारी औपचारिकताएं पूरी करते-करते और राज्यों तक पैसा पहुंचते-पहुंचते जून का महीना आ जाता था। वह बारिश का समय होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए गांवों तक पैसा पहुंचने में अक्टूबर तक का समय लग जाता था। वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में किसी प्रकार से पैसे का उपयोग हो, इस पर काम होता था, जिस कारण से पैसे का दुरुपयोग होता था। इसके बारे में भी कभी किसी ने विचार नहीं किया कि इस बारे में परिवर्तन करना चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री जी के और माननीय वित्त मंत्री जी के आभारी हैं, जिन्होंने इस पर विचार किया और एक महीने पूर्व ही बजट को प्रस्तुत किया। हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने से ही इस देश का बजट राज्यों तक और नीचे गांवों तक पहुंचाने की स्थिति में हम आ जाएंगे। हमारे इन उठाए गए कदमों से देश की जनता को सीधे तौर पर फायदा हो रहा है।

अभी माननीय सदस्य ने डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्सिस की बात कही। इस वित्त वर्ष में फरवरी महीने तक सरकार ने 6.17 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जुटाए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 10.7 परसेंट ज्यादा है। चालू वित्त वर्ा के 11 महीने में सरकार ने 7.7 लाख करोड़ रुपये इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जुटाए हैं और यह पिछले फाइनैंशियल ईयर के मुकाबले 22 परसेंट ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट टैक्सिस से इस सरकार को 13.9 लाख करोड़ रुपये का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है, जो कि एक रिकार्ड है। हमारी सरकार में केन्द्र से राज्यों को जो पैसा जाता है, वह पैसा भी बढ़ा है। पिछले साल में यह पैसा 9.9 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 10.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

महोदया, इस फाइनैंस बिल के माध्यम से हमने देश की विकास दर को बढ़ाने की कोशिश की है। माननीय सदस्य अभी डीमॉनेटाइजेशन के बारे में कह रहे थे। डीमॉनीटाइजेशन जब हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छाशक्ति थी। हमारे विपक्ष के साथियों ने काफी शोर मचाया था कि इसके कारण बहुत नुकसान होगा, देश का गरीब आदमी हम से दूर होगा, सरकार से दूर होगा और सरकार को रेवेन्यू में नुकसान होगा। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं, उस पर आपने अपनी बात रखी थी। मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि नोटबंदी के दौरान भी देश की जी.डी.पी. 7 परसैन्ट से नीची नहीं गई है। आप कहते थे कि देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, लेकिन विकास दर 7 प्रतिशत पर ही रुकी रही है। आप कहेंगे कि शायद सी.एस.ओ. सरकारी संस्था है, लेकिन मूडीज सरकारी संस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो हमारी संस्था नहीं है। मूडीज की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसले लिए गए हैं, उसका दीर्घकालीन असर भारत की अर्थव्यवस्था पर होने वाला है, क्योंकि ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आने वाले हैं, जिससे बैंक ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सकेंगे और मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम यह मानते हैं कि नोटबंदी के चलते टैक्स चोरी और **भ्रष्टाचार** पर रोक लगेगी और इससे भारत का वित्तीय संस्थागत ढांचा मजबूत होगा। इसके अलावा यह भारतीय वित्तीय प्रणाली को भी बेहतर करेगा, क्योंकि इससे आर्थिक और मौद्रिक गतिविधियां बेहतर ढांचे में आ सकेंगी, इससे कर दायरा विस्तृत होगा। जिससे वित्तीय संस्थाओं का उपयोग बढ़ेगा। यह मूडीज की रिपोर्ट कह रही है, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है। **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** की रिपोर्ट पर भी आपने पहले काफी शोर किया था। उस रिपोर्ट में भी भारत की जी.डी.पी. 6.6 फीसदी रहने का अनुमान बताया है। आने वाले साल के लिए यह रिपोर्ट कह रही है कि भारत की जी.डी.पी. 7.2 परसैन्ट रहने वाली है। उसने भारत के वित्तीय सुधारों की प्रशंसा भी की है। उसमें यह कहा गया है कि नोटबंदी का अल्पकालीन असर होगा और विकास की गाड़ी जल्दी ही बाउन्स बैक करेगी, मैं फिर से कहना चहता हूं कि नोटबंदी का अल्पकालीन असर होगा और विकास की गाड़ी जल्दी ही बाउन्स बैक करेगी और आने वाले कुछ ही समय में 8 फीसदी से ज्यादा भारत की विकास दर होगी। इससे गैरकानूनी वित्तीय प्रवाह पर भी रोक लगेगी और करेंसी एक्सचेंज के चलते बहुत से काले धब्बे भी सामने आएंगे। यह आई.एम.एफ. की रिपोर्ट कह रही है। इसके प्रावधानों मे डिजिटल इकोनॉमी भी है।

महोदया, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि देश में लम्बे समय से काले धन पर और भ्रष्टाचार पर बातें होती रही हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए क्या किया गया है। उनको रोकने की दिशा में

पहली बार अगर सार्थक कदम उठा है, तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान एन.डी.ए. की सरकार ने उठाया है और इसके लिए यह तय किया है कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ देश को आगे लेकर हमें जाना होगा। इससे जो फायदे होने वाले हैं उनमें यह है कि आम आदमी के जीवन को तो सरल बनाएगा ही, साथ ही सरकारी काम में पादर्शिता और कार्यकुशलता भी आएगी। जो बिंदु माने गए हैं कि डिजिटल इकोनॉमी के जो फायदे होंगे, उसके कारण देश के डिजिटलाइजेशन में बहुत तेजी आएगी। बैंको के पास विकास के लिए अधिक पैसा होगा, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है। आधुनिक बैंकिंग और टैक्स व्यवस्था का आधुनिकीकरण हो जाएगा। इसके साथ-साथ कार्य प्रक्रिया में सुधार होगा, क्राइम, लूटमार, चोरी जैसी समय-समय पर होने वाली वारदातों से निजात मिलेगी। इसके साथ पर्यावरण संरक्षण भी, हम सभी जानते हैं कि जब हम नोटों को छापने की बात करते हैं तो उसके लिए पेड़ों की भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई होती है। कैशलेस अर्थव्यवस्था से पर्यावरण को भी लाभ होगा, बिचौलियों का खात्मा होगा, हम घर बैठे वित्तीय प्रबंधन कर सकेंगे, ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा, डिजिटल भुगतान परोक्ष रूप से नोटों और उसके परिवहन में होने वाले व्यय को कम करने में भी सहायक होगा, इसके कारण अधिक पारदर्शिता आएगी और सबसे बड़ी बात यह कि नकली और जाली नोटों के चलन को रोकने में हम काफी हद तक कामयाब होंगे। इस दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उठाया है, वह है 'भीम ऐप'। नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इण्डिया ने जानकारी दी है कि भीम ऐप की शुरूआत होने के बाद से देश में एक करोड़ इक्क्यानवे लाख लोग भीम ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारी सरकार ने देश को डिजिटल इण्डिया की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बीस करोड़ रूपे कार्ड जारी किए हैं, 26 करोड़ लोगों को जनधन खाते के माध्यम से बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।

महोदया, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि केनया एक छोटा सा देश है। अफ्रीकन कंट्री है, हम सभी उसके बारे में जानते हैं। उसने भी अपने यहां डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एम-पैसा के नाम से एप शुरू किया है। उसके प्रारम्भ करने के बाद में न सिर्फ उसकी जी.डी.पी. बढ़ी, बल्कि टैक्स कलक्शन भी बढ़ा। जब कीनिया जैसा छोटा देश इस दिशा में आगे बढ़कर विकास के रास्ते पर आगे जा सकता है तो भारत जैसा बड़ा देश इस दिशा में क्यों नहीं जा सकता।

महोदया, देश में पोस्ट ऑफिस हमने नहीं खुलवाये। देश में पोस्ट ऑफिस पहले से ही खुले हैं। लगभग एक लाख पचास हजार पोस्ट ऑफिसेज देश में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सरकारें उन पोस्ट ऑफिसों तक नहीं पहुंच सकीं कि किस तरह से हम उनका सदुपयोग कर सकते हैं। आज धीरे-धीरे ऐसी

स्थिति आने लगी थी और ऐसा लगता था कि पोस्ट आफिस हमारे लिए उपयोगी ही नहीं हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इंडियन पोस्टल पेमेन्ट बैंक शुरू कर दिया है। यह कांसैप्ट इसके पहले किसी भी सरकार के ध्यान में नहीं आया। इसे हम लेकर आए हैं, जिसका लाभ इस देश की आम जनता को होने वाला है। इसका एक और प्रावधान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। यदि हम देश को विकास के रास्ते पर आगे लेकर जाना चाहते हैं, विदेशी निवेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देश के भीतर व्यावसायिक क्षेत्र में जिस रिफॉर्म की बात हम करते हैं, उसके लिए परमिट,

15.31 hours (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

लाइसेंस जैसी कठिनाइयों को हमें कम करना ही होगा। जो मल्टीपल पेपर वर्क है, इन्हें खत्म करना होगा और इसके लिए दस मापदंड निर्धारित किये गये हैं, जिनमें इलैक्ट्रिसिटी कनैक्शंस हैं, कांट्रैक्ट का पालन है, बिजनेस शुरू करना है, प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन है, कंस्ट्रक्शन परमिट है, क्रेडिट कार्ड मुहैया कराना है, माइनोरिटीज इनवैस्टर्स के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ और भी अनेक विाय हैं। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूची है, उसमें भारत 134वें स्थान पर था, पिछले दिनों जो कदम हमारे देश में उठाये गये, उसके बाद वह 130वें स्थान पर आ गया है। लेकिन हमें गर्व है कि प्रधान मंत्री जी ने एक बड़ी सोच के साथ इसे टॉप 50 में ले जाने का निर्णय लिया है और इसीलिए हम बार-बार इस बात को कहते हैं कि इस सरकार के द्वारा आर्थिक प्रावधानों के लिए जो साहसिक कदम उठाये गये हैं, पहले की सरकारों ने कभी उनके बारे में विचार ही नहीं किया।

पिछले 70 सालों में वित्तीय ढांचे में जो गड़बड़ियां आई थीं, उन्हें दूर करने के लिए जनता का सहयोग किस तरह से लेना है, इस पर भी कभी विचार नहीं किया गया। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जनता को विश्वास में लेकर उस पर अमल कराना, यह भी सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए और यह हमने किया। इस देश में 2 लाख 53 हजार से अधिक चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स हैं। हमारी सरकार ने काले धन के खिलाफ होने वाली इस लड़ाई में उनको विश्वास में लिया और साथ में चेताया भी है। हमारी सरकार उस जड़ तक भी गई कि एंटी-एब्यूज के तहत ऐसे लोगों को हमने चेतावनियां भी दीं और हालात अब बदलने लगे हैं। जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट पहले टैक्स बचाने की सलाह दिया करते थे, अब देश में स्थिति बदली है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व देश में आने के बाद अब वही चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स लोगों को टैक्स भरने की सलाह दे रहे हैं, यह वास्तव में इस देश में अपने आप में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है।

इस देश के युवाओं के लिए भी हमारी सरकार हर हाथ को हुनरमंद बनाने के संकल्प को भी लेकर आगे बढ़ रही है और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कौशल विकास योजना लेकर आए, जिसमें हमने 12

हजार करोड़ रुपये का बजट रखा था। चार साल में हमारा लक्ष्य एक करोड़ युवाओं को हुनरमंद बनाना है और हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि बीस लाख युवाओं को इसका लाभ भी मिल चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम टैक्स प्रावधानों की बात करते हैं और उनके सदुपयोग की बात करते हैं तो देश की 70 परसैन्ट आबादी यानी इस देश का कृषि क्षेत्र, किसान और ग्रामीण क्षेत्र को हम नहीं छोड़ सकते। हम इस बात को नहीं भूल सकते कि इस देश में प्राकृतिक आपदाओं और किसानों का चोली-दामन का साथ रहा है। देश में जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती थीं, उसके बाद किसान खून के आंसू रोता था, अधिकारियों और सरकारों के चक्कर लगाता था, ताकि उसे कम से कम उसकी लागत या उसके आसपास का मूल्य भी मिल जाए तो अगली बार वह फिर से खेती के लिए सक्षम हो सके। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के अन्नदाता को हम केवल प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ सकते और इसीलिए हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की।

महोदय, अभी तक तीन करोड़ 66 लाख किसान भाइयों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया है। इससे अपने ही किसान भाइयों को जो नुकसान प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है, उसके लिए एक लाख 40 हज़ार करोड़ रूपये की बीमा राशि भी हमने उनको वितरित की है। मैं उस तरफ के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब हम प्राकृतिक आपदाओं की बात करते हैं तो देश में होने वाले घाटालों की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उन घोटालों में देश की जनता का जितना पैसा गया, अगर वह किसानों के हित में खर्च हुआ होता तो शायद आज देश की और देश के किसानों की स्थिति कुछ और खर्च होती। यदि आप कोशिश करते तो हमारी तरह किसान भाइयों को नाबार्ड के लिए 41 हज़ार करोड़ रूपये पहले ही दे चुके होते, जो हमने अभी दिए हैं ताकि किसान भाइयों को आसानी से कर्ज मिल सके। अभी किसान भाइयों के लिए हमारे और भी प्रयास जारी हैं।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात अभी मैंने रखी है। उसमें सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनकी भी जानकारी दी है। "सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम " आप भी ला सकते थे। इस देश में इस बारे में कभी विचार नहीं हुआ है कि जो पैसा टैक्स से आता है, हम उससे देश के किसानों के लिए प्रावधान तो करते हैं। किसान अपने खेत में मेहनत भी करता है, लेकिन कभी इसके बारे में कभी विचार नहीं हुआ है कि लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से खेत पर किस तरह का, खेत की मिट्टी पर और उसकी उर्वरकता पर किस तरह का विपरीत असर पड़ा है। लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस पर विचार किया और हमारी सरकार सॉयल हैल्थ कार्ड स्कीम लेकर आई, जिसके माध्यम से सन् 2018 तक प्रत्येक किसान के हाथों में सॉयल हैल्थ कार्ड होगा और वह किसान खुद तय कर सकेगा कि उसको आने

वाले समय में किस तरह की खाद की आवश्यकता है और कौन सी फसल लगाना उसके लिए लाभदायक होगा।

महोदय, केवल सॉयल हैल्थ कार्ड ही नहीं, यूरिया के बारे में भी कल बजट में चर्चा हुई थी। हमारे अनुराग जी जब बोल रहे थे, तब विस्तार से इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। लेकिन यूरिया भी किसानों को ठीक से उपलब्ध हो सके, ये कोशिशें भी आपकी सरकारें नहीं कर सकीं। नीम कोटिड यूरिया के माध्यम से हमने किसानों को उनका अधिकार दिया है।

महोदय, हम फाइनेंस बिल के माध्यम से एक बेहतर टैक्स सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें देश के 18 हज़ार गांव तक बिजली पहुंचानी है और उनमें से 11 हजार गांवों तक बिजली पहुंचा भी चुके हैं।

महोदय, 70 साल में जो काम आपकी सरकारें नहीं कर पाई हैं, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हमारी सरकर ने कर दिया है। आज ऐसे 13 हज़ार गांवों तक हम बिजली पहुंचा भी चुके हैं। केवल बिजली ही नहीं पहुंचाई है, बल्कि उजाला योजना के माध्यम से जो 20 करोड़ एलईडी बल्ब हमने दिए हैं, उसका असर भी सीधे देश के विकास पर है। इसके माध्यम से देश की गरीब जनता के ग्यारह हज़ार करोड़ रूपये की बिल में जो कटौती हुई है, ये हमारी सरकार की वित्तीय कोशिशें हैं।

महोदय, जब हम फाइनेंस बिल के माध्यम से बेहतर वित्तीय ढांचे की बात करते हैं तो देश की नारी शक्ति की सुविधाओं की अनदेखी हम नहीं कर सकते हैं। वास्तव में इस देश में हमें यह कहते हुए गर्व है कि गरीब से गरीब घर की माता-बहनें भी इस बात का प्रयास करती हैं कि परिवार के लागों को समय पर भोजन उपलब्ध हो। भीषण गर्मी के समय भी तपती हुई धूप और गर्मी जब होती है, चूल्हे की आग के सामने बैठ कर वे खुद को तपाती हैं। उस चूल्हे से निकलने वाले धुएं का प्रदूषण भी झेलती हैं। लेकिन परिवार को समय पर भोजन मिले यह प्रयास करती हैं। पहले की सरकारों ने कभी हमारी उस माँ-बहन की चिंता नहीं की। लेकिन हमारी सरकार ने उस माँ बहन की चिंता की है। और उज्जवला योजना के माध्यम से तय किया कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली देश में ऐसी 5 करोड़ माताओं बहनों को हम गैस के कनेक्शन देंगे और हमें यह कहते हुए गर्व है कि हमने इसके लिए तीन साल का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल दस महीने में दो करोड़ गैस कनैक्शन हम दे भी चुके हैं।

एक विषय, जिस पर पर चर्चा करना मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम फाइनेंस बिल पर बात करते हैं, तो उसमें एक बड़ा हिस्सा देश की जनता के सवास्थ्य पर भी खर्च होता है। पिछले दिनों जीवनशैली के चलते देश में हृदय रोग तेजी के साथ बढ़े हैं। सभापति महोदय, इस बात की चिंता देश की सरकारों ने कभी नहीं की थी कि एक गरीब आदमी का जब बायपास होता है या उसको स्टेंट लगते हैं तो किस कीमत पर

उसको मिलते हैं। अलग-अलग राज्यों में उसको लेकर प्रावधान हैं। वहाँ की सरकारें इसके लिए सहायता भी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं होती है। वह स्टेन्ट जो दो लाख चालीस हजार रुपये या दो लाख पचास हजार रुपये में लोगों को मिला करता था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह तय कर दिया कि अब वह स्टेन्ट मात्र 35 हजार रुपये में इस देश के गरीब आदमी को उपलब्ध कराया जायेगा। हम जन औषधि केन्द्र भी खोल रहे हैं ताकि इस के गरीब से गरीब आदमी को भी सस्ती दवाइयाँ मिल सकें, जिस पर उसका अधिकार है।

महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि मैं केवल उन्हीं विषयों पर बात करूँगा, जिनमें एक आम आदमी की हैसियत से मैं विचार करता हूँ या मैं सोचता हूँ। टैक्स ढाँचे के बारे में बाकी सारी बातें यहाँ आयेंगी, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इस देश का किसान, गरीब, युवा, माँ-बहनें ये सब एक-साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें। जब तक ये आगे बढ़ें, तब तक हमारी यह कोशिश जारी रहेगी। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक इस देश के हर गाँव में हम बिजली नहीं पहुँचा देते। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक इस देश के हर किसान को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दे देते। हम तब तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक इस देश की हर माँ-बहन को हम एलपीजी गैस की सुविधा नहीं दे देते और हम तब तक कोशिश करते रहेंगे, जब तक इस देश के हर युवा को कौशल विकास में हम हुनरमंद न बना दें। इसके लिए जो भी साहसिक कदम हैं, उन्हें उठाने से कभी हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी आपने बात की थी कि देश में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। पिछले दो सालों में आई.टी. और इलेक्ट्रॉनिक विभाग के प्रयास से 72 नई मोबाइल फैक्ट्रियाँ देश में प्रारम्भ हुई हैं। देश के भीतर 11 करोड़ मोबाइल बने हैं और लगभग दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें नौकरी मिली है। आज हमें यह कहते हुए गर्व है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा केन्द्र बनने जा रहा है और यह सब कुछ अगर हो रहा है तो सिर्फ इसलिए कि इस देश के प्रधान मंत्री और इस देश के वित्त मंत्री आउट ऑफ बॉक्स जाकर सोच रहे हैं। उस बने बनाये ढर्रे पर विचार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे साहसिक कदम उठा रहे हैं, जिससे यह देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। इसी के साथ आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I would like to express my hearty gratitude and indebtedness to our beloved immortal leader, Puratchi Thalaivi Amma, before I speak in this august House on the discussion on the Finance Bill, 2017.

Sir, the Union Budget for 2017-18 has been presented at a very crucial moment especially after demonetisation. This Budget represents a significant forward movement from the previous Budgets presented by the Finance Minister.

Sir, as far as Education Cess for assessment year 2017-18 is concerned, additional surcharge shall continue to be levied at the rate of two per cent and one per cent respectively, on the amount of tax computed, inclusive of surcharge, in all cases. My request to the hon. Minister is that the Education Cess collected through various States should be given back to the concerned States for the development of education and educational infrastructure in those States.

Sir, in India, the elderly persons do not have much scope for getting income through employment in their old age. They depend on the monetary savings or pension and other retirement benefits. Most of the elderly persons in the country have family commitments but their savings or retirement benefits are limited. Therefore it will be a great boon if the Government reduce tax rates for the elderly people in the country. The rates of income-tax need a fine tuning as far as the people over 60 years are concerned. I therefore quest the hon. Minister to make it flat income tax rate of 10 per cent be made for persons above 60 years. This will protect the interests of the elderly persons and enable them to lead a dignified live.

Sir, in order to promote development of affordable housing sector, it is proposed to amend Section 1BA so as to provide relaxations. We welcome it. At the same time, there is a need to protect and

promote affordable housing and real estate sector in Tier II and Tier III cities in the country, particularly in Tamil Nadu. Apart from the four metros, there are more than 100 Tier II and Tier III cities in India which need no restriction of sizes of residential units.

For promoting Digital Economy, restricting of cash donations is welcome. Under the existing provisions of Section 80G, deduction is not allowed in respect of donation made of any sum exceeding Rs. 10,000, if the same is not paid by any mode other than cash. In order to provide cashless economy and transparency, it is proposed to amend Section 80G so as to provide that no deduction shall be allowed under Section 80G in respect of donation of any sum exceeding Rs. 2,000 unless such sum is paid by any mode other than cash. This will be a landmark decision as it will create a genuinely transparent society in future. This will also avoid unlawful siphoning and abuse of monies of trusts by people with vested interests.

Tamil Nadu is concerned about the impact the proposed GST will have on the fiscal autonomy of States and the huge permanent revenue loss it is likely to cause to a manufacturing and net exporting State like Tamil Nadu. In essence, the GST's effect on the entire Indian economy will have to be scrutinized in totality to reach a widely accepted conclusion. Until then manufacturing States like Tamil Nadu should be adequately compensated and their losses for accepting and implementing GST should be repaid then and there till the moment of break even is reached.

Sir, the 14th Finance Commission recommended a substantial enhancement in the share of the States in the Divisible Pool of Central Taxes from 32 per cent to 42 per cent. While we welcomed this increase in tax devolution from the Centre to the States, Tamil Nadu was singled out for the sharpest reduction in its share in the Divisible Pool of Taxes. The unbalanced formula adopted by the 14th Finance Commission treated Tamil Nadu most adversely.

The reduction in the inter-se share of Tamil Nadu of 1914 per cent represents the biggest loss in share amongst all States. Tamil Nadu was doubly penalized for its prudent fiscal management as it has not received revenue deficit grants.

The very large drop in Tamil Nadu's share in the Divisible Pool is barely compensated. The 14th Finance Commission has also not recommended any special purpose grants and State specific grants. The loss to Tamil Nadu due to the reduction in its share in the Divisible Pool and the discontinuance of special purpose and State specific grants is estimated at Rs. 6,000 crore per annum.

In the last two Union Budgets, many new cesses and surcharges have been levied which reduces the shareable pool of Central Tax receipts and thereby the devolution to States. Many schemes have been de-linked from Central Assistance including Normal Central Assistance Backward Regions Grant Fund, Hill Areas Development Programme and Western Ghats Development Programme. The State's share for many key programmes has been increased to, at least, 40 per cent.

The State being required to take on the burden of additional expenditure of the Central Government priorities, is an unfair expectation, and detracts from the State's own expenditure priorities. In order to redress the large financial loss that Tamil Nadu had suffered as a consequence of the recommendations of the 14th Finance Commission, the hon. Puratchi Thalaivi Amma had requested a sizeable allocation to Tamil Nadu out of the special allocation made in the Budget for schemes to be approved by the NITI Aayog.

Puratchi Thalaivi Amma had requested the Government to enhance the Annual Special Grant to Tamil Nadu to Rs. 2,000 crore in each of the remaining four years of the 14th Finance Commission award period up to 2019-20.

The Government of Tamil Nadu have a ready shelf of large projects that could be funded out of this special allocation including the Comprehensive Special Package for Diversification of Fisheries, Desalination Projects and several infrastructure projects under the Puratchi Thalaivi Amma's vision Tamil Nadu 2023.

With these words, I conclude. Thank you.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I rise to speak on the Finance Bill on behalf of my party, the All India Trinamool Congress.

This Finance Bill, when it was presented on 1st February, 2017, had 150 Clauses and seven Schedules. But strangely enough, the Finance Minister, in his series of amendments received today, added 33 new Clauses and two Schedules. This is unprecedented; and we have already protested. The Ruling party has done this after the UP victory. They think, they can ride roughshod over all rules, conventions and procedures. Otherwise, I do not understand why in a Finance Bill, which is supposed to detail the taxation proposals of the Government, they have brought in the abolition or uniformisation of the tribunals, which have no relation to taxation proposals directly.

I may read names of some of the tribunals – Copyright Board, Railway Rates Tribunal, National Highways Tribunal, Cyber Appellate Tribunal, Competition Appellate Tribunal. This has no relation with taxation proposals, but still the Finance Minister has forcibly, riding roughshod over Article 110 of the Constitution and the traditions of the House, done all this.

Now, as we know that the taxation proposals mainly relate to different taxes that we have in this country. They are the Corporation Tax, Income Tax, Customs, Excise Duty and Service Tax. Now, if you see the Budget of this year, 19 per cent of the income of the Government comes form the Corporation Tax; 16 per cent comes from the Income Tax; 9 per cent comes from Customs; 14 per cent comes from Excise Duty and 10 per cent comes from Service Tax. That means, Direct Taxes are 35 per cent; Indirect Taxes are 33 per cent. Now, in a properly running economy, Direct Taxes should be much more than Indirect Taxes because Indirect Taxes are basically inflationary. In this Budget, we find that both these taxes are roughly equal.

You also know, Sir, that there is the Lafayette Curve in economics, which says: 'the higher the taxation rate, the lower the collection.'There has been no significant effort to lower the taxation rates so that collections could be improved. It is true that collection from tax revenue has been increasing. It was Rs. 14,55,648 crore in 2015-16; it was Rs. 16,30,000 crore in 2016-17; and this year's Budget is Rs. 19,11579 crore. I shall later tell the House as to why the chances of the Government achieving this tax collection is unlikely.

The whole budget has been formulated in the backdrop of two important steps. One is the reckless demonetisation ordered by the Government on November 8th and the other is the shadow of the GST. Before I go into how the basic theory has affected the taxation and the economy of the country, let me state some of the proposals. In case of Income Tax, the rate has been reduced for those having income between Rs. 2.5 lakh to Rs. 5 lakh, from 10 per cent to five per cent. The other increase is with regard to people having income between Rs. 50 lakh to Rs. 1 crore, the tax has been increased to 10 per cent. Those who are having income over Rs. 1 crore, the tax is 15 per cent. Now, the Government is giving up Rs. 15,000 crore as far as the Income Tax is concerned and it is gaining Rs. 2,700 crore by taxing the bracket between Rs. 50 lakh and Rs. 1 crore.

The other important step taken by the Government is with regard to the Corporate Tax. For companies having turnover up to Rs. 50 crore, the tax has been reduced to 25 per cent. The Government claims that 96 per cent of the companies belong to this category. So, due to this, the total tax given up is Rs. 7,200 crore. The total outgo of the Government or the total reduction in taxes comes to Rs. 20,000 crore. There are, otherwise, no major changes in the tax rates in the Budget.

I can quickly read some of the points of the Budget. The minimum alternate tax credit is allowed to be carried forward to 15 years instead of 10 years at present. Reduction – this is a good step – in the basic Customs Duty from 5 per cent to 2.5 per cent on liquefied natural gas, which is normally imported. The

other thing is that the longstanding demand of startups has been accepted and the profit-linked deduction exemption available to them for three years out of five years is being changed to three years out of seven years. For carry forward of losses in startups, the condition of 51 per cent of voting rights has been relaxed provided original promoter continues.

16.00 hours

As I told you, the small Income Tax payers will get a benefit of Rs. 12,500. The next tax concession that the Government has given is with regard to building. For affordable housing, the area should be 30 to 60 square metres and that area should be the carpet area and not the built up area for tax concession.

Thirty square metres in four metro cities and completion period of housing extended from three to five years. Now, the other thing is that there is tax relief or partial withdrawal from the National Pension System. Tax relief or partial withdrawal up to 25 per cent of the contribution by subscribers and permitted self-employed individuals, deduction upto 20 per cent of his total income for contribution to NPS, is a welcome step in the sense that those who are saving through the National Pension System will get this benefit.

Another good step is that the Chief Minister's Relief Fund is exempt from taxes. The other important step with regard to housing is Joint Development Agreement. Liability to pay capital gains tax will arise in the year the project is completed. Tax on notional rental income to be calculated only after one year from the end of the year the completion is received. For stimulating growth, concessional withholding of tax of five per cent for interest received by foreign entities on loans given in India to be continued for another three years beyond 30.06.2017. They have also extended the provisions of Section 115 of BBDA of Income Tax Act which provides for levy of tax on dividend income exceeding Rs. 10 lakh to all resident persons, association of persons and body of individuals excepting domestic companies, trusts or institution. This is another way the Government can earn corporate tax.

Lastly, with the scope of Section 56 of IT Act provides that any money immovable property specified, moveable property received in part consideration or with inadequate consideration by any person subject to certain exemption and exceptions shall be taxable if value exceeds Rs. 50,000. So, I briefly stated the different proposals the Government has given and now they have given a long list of concessions on Customs Duty. Some concessions relate to proposals involving change in Customs Duty for incentivising value addition 'Make in India'; reduction in Custom Duty on LNG, terephthalic acid, nickel, finished leather, capital goods and renewable energy and changes in Customs and Excise Duty to address the problem of duty inversions.

Chemical, petro-chemicals, textiles, metals, automobiles and renewable energy have been given this benefit. Changes in Custom Duty proposed to provide for domestic industry, cashew nuts and electronic hardware will be protected because the import duty has been raised. Import duty has been reduced and made nil for card readers, micro-ATMs, fingerprint reader and parts and components. Manufacture of card readers has been made nil.

Sir, every year, the Government taxes cigarettes, and this year also, they have increased the taxes on cigars, cigarillos, *beedis*, etc, from 1st April. The prices have already risen. The Government has increased tax on cigarettes and pan-masala additionally. But we give this price to the Government gladly because the Government has no money and we give this to the Government.

So, I have stated the different IT provisions excise and service tax provisions. But from this year, you know, the GST is coming in force from 1st July, 2017. Both Excise Duty and service tax will be subsumed within the GST. Now, the Government has formed this Budget with the expectation that the GST would give rise to better collection. The Government has increased the money for infrastructure, etc. Now, where will the money come from? The funding of such expenditure seems to be left to the mercy of implementation of the GST which is likely to bring in more taxes to the Centre and States as also transfer of resources

from tax evaders to the Government through demonetisation. However, evidence from cross country studies—this is important—has pointed to the contractionary effects of GST in the short-term, particularly in the year of imposition. Thus, the tax revenue will be reduced.

It is likely that the tax revenue will fall this year. That is why, Mr. Arun Jaitley has not been revolutionary. Even with the U.P. elections, he was very careful to give things to the common people. He just gave a small concession on income tax but the people's expectation was that the exemption limit would be raised to Rs.5 lakh. He did not give that.

The other thing is, there was a talk of farm loan waiver. The Government has not given farm loan waiver. The idea of universal basic income, which could have been a revolutionary step and which could have gone down in history, which was proposed by the Economic Survey that everybody should have a basic income, has not been put through.

So, the reasons are two. The Government had done a gambling. Demonetisation was a big gamble of Mr. Modi and Mr. Arun Jaitley. They expected that there would be a bonanza due to demonetisation. People, who deposit more money, do not withdraw it. So, that would be with the banks and they can distribute that money. But actually if you remember, roughly Rs.15 lakh crore was demonetised. But almost Rs.15 lakh crore has been deposited. You ask the Government how much money has been deposited. Mr. Jaitley will never reply. None of the Ministers, not even Mr. Gangwar, who is deputising for him, will reply because they do not know.

The second question, which I have asked and not got an answer, is this. How much money would be required to re-monetise? It means for printing of new notes. Till today I have not got an answer from the Government. My estimate is that it will be Rs.20,000 crore. So, for one decision of Mr. Modi, Rs.20,000 crore will be spent. Now, how much extra tax have they got through demonetisation and

by scrutinising all the accounts? It is only Rs.6,500 crore. So, demonetisation has been a total loss.

The Government says we have won in U.P. So, what? Does win in U.P put money in the banks? Does winning in U.P put money in the Government coffers? No, the Government took a gamble and it was a risky gamble which crushed the small farmer, the artisan, the daily labourer and one day the Government will have to pay the price. Maybe, it is not in political terms but for the country as a whole because Mr. Modi is such a good salesman that he can sell igloos to the Eskimos. He has no problem. He can go and tell them to buy it. He will give such a speech

SHRI TATHAGATA SATPATHY : He can sell igloos to Sahara.

PROF. SAUGATA ROY : Yes, he can sell igloos to Sahara also. Why not? Yes, he can sell to the Sub-Saharan people.

16.10 hours (Hon. Speaker *in the Chair*)

With regard to GST, I will point out the main problem. The GST is to be implemented from 1st July, 2017. Tax revenues may not perk up in 2017-18 when crude prices may be higher and corporate profit growth weak. The Centre has committed to reimburse State Governments for revenue losses post-GST and also guaranteed 14 per cent growth annually. If the initial year of GST is poor in revenue accruals, then where will he get the money from? If the first year does not throw up enough money, I do not know where the money will come from for this Budget of Rs. 21,00,000 crore proposed by Shri Jaitley. Earlier, it was thought that compensation to States would amount to Rs.50,000 crore per year, but after demonetisation, most of the States have seen a drop in tax revenue and compensation figure may swell to Rs. 90,000 crore. The Finance Minister's pockets are empty. Where will he pay compensation to the States from? It is not quite clear from the figures. Hence, the Budget was a little more than an exercise in damage control. It had a long list of give-aways and Government programmes in the context of demonetisation hurting the economy, but little in the way of job-creating reform.

Here, I come almost to my last point that the sort of reforms India needs to create jobs is to open itself up to global supply chains, to incentivise firms to grow so that they can compete globally and work harder to teach skills to young people. One million people are joining the job market in India every year. In 2015, only 1,35,000 new jobs were created in this country. Every year we are creating an army of the unemployed. You look at Mr. Jaitley's speech. Where is the promise for giving employment to the people? You tax, you demonetise, you introduce GST, you talk big and you say infrastructure, but where is the job coming? That is the question.

The Budget encourages companies to remain small because they are giving concessions to smaller companies but not to bigger companies. So, they remain small. You need not bother! The Budget India needed to do something to revise investment since private investment showed no signs of recovery.

Madam, I will end with putting two points. The Government is going for privatisation. Today, the Finance Minister announced that he is going to disinvest Bridge and Roof, Kolkata, Bharat Pumps, Scooters India, Hindustan Newsprints and eight more companies. They are destroying the basis of the public sector. I totally oppose these disinvestment proposals of the Government.

Lastly, I say that this Budget does not tell us how much black money Government has recovered so far. This Finance Bill does not show a way.

The Finance Minister in his Budget Speech said that India is a tax non-compliant society. He has not laid down a roadmap by which he will be able to mop up more resources from the rich and give more relief to the poor so that the economy improves.

With these words, I end my speech on the Finance Bill.

SHRI TATHAGATA SATPATHY : Madam, *namaskar, pranam, johar.* I express my gratitude for allowing me to speak on the Finance Bill, 2017.

I wish to start by expressing my utter disappointment about the direction in which this Government intends to take or has started taking this country. I remember, I was much younger when the late Shrimati Indira Gandhi clamped internal emergency in this country. Initially, the common man was very very happy because trains started functioning on time; their arrivals and departures were bang on time; officials used to rush into the Secretariat as if their jobs depended on it; prices initially fell; and everybody seemed very happy. It took a little bit of time, but gradually the average Indian -- let us not underestimate the average Indian -- saw through the dirty game and come 1977 the *Janata* experiment was a grand success. It is another matter that the people could not hold themselves together, but it was a grand success and the people saw through the game. … (*Interruptions*)

In these days of intense social media blitz, all that can be done or can be achieved is that the timeframe for understanding can be delayed to a great extent. I admit that, and that is what social media has been successful in doing whether we talk about the greatest western nation that everybody adores to smaller countries like France and other nations also. So, it has immense power, and I do not underestimate the powers. But I overestimate the powers of the people of India because they are very perceptive.

When I go to my Constituency, people ask me : "Sir, we see that the prices of petroleum products are falling drastically in the Arab countries. Why is it not happening in our country?". Sometime earlier, that is, during the UPA I and II time we had these illustrious Finance Ministers -- you were there in the House, Madam -- who would put their hand on their chest sitting right there; look at us; and tell us '*main hoon na*' like they were Gods? They had done the same thing what is being done today, but they could not properly manifest it. So, my youngsters are saying : "Is it true that there are rumours that just six-eight months

before 2019 General Elections the petroleum product prices will be drastically dropped; things will look cheaper; everything will be available in plenty and much cheaper and again the people will be fooled and once they come back to power they will raise the prices?".

But here I would like to suggest, Madam, that let us think as Indians. Let us allow the poor Indian to build up some reserves in their families with which they can survive the vagaries of economic ups and downs that the whole world is seeing today.

I would like to just mention four points quickly, Madam. I would like to wind up my speech before you ring the bell. Point one is that very surreptitiously this Government has taken upon itself the task of imposing Income Tax on agriculture. The effort started in 2014-2015 and now we are all mutely watching how they are busy decimating that profession. The former Prime Minister had very clearly said here -- which had broken my heart and many people were hurt by that -- that : "Farming is no more profitable. We want Indians to migrate from farms into urban areas. We need to urbanise this country."

Where does your stomach fill-up from? Is it from eating mobile phones as we have been told? Is it by eating computers and laptops? How do I fill my stomach? If there is no food and we go back to the 1960s of dependence on foreign countries for food, we will have to reconsider our existence as a nation. Do not forget what happened to the Soviet Union when it collapsed and how the CIS countries had to suffer. But today each one of them is a very strong country. I pray to God, let that not happen to India. I have seen in my constituency what a hardworking farmer does. In a nearby tier-2 or tier-3 city or town, he builds a home which he rents out, he buys a car which he gives to his son or his nephew to drive as a taxi. That makes some income so that when there is drought, flood or hailstorm – in my constituency, there are a lot of incidents of hailstorm which destroys crops and flattens out the plants – the farmer has some income from these sources to just merely survive and escape starvation death. That is all. It is not

luxury life, no air conditioning and no big bungalows. But that is now being clubbed as 'income from other sources'.

That means a farmer who is toiling throughout the year to make a living, he or she will be allowed a mere Rs. 5,000 per annum. That limit is set up to Rs. 2.5 lakhs. What is Rs. 2.5 lakhs today? It is Rs. 20,833 per month which is not even the salary of a government peon who gets more than that. You want to keep the farmers at a niggardly, at the lowest of the low level so that you can show them this *chakma*; you keep them in the *maya jaal*. But let us look at the farmer - how do they survive, and why do the farmers commit suicide? It is not your fault, it is the system's fauLT I am not politicising this. I am not saying BJP, Congress or anybody; it is the system's fault and all of us are being driven through this system. Just because 40,000-50,000 farmers are cheating on income tax, let us not punish the two to three crores of farmers who are genuine toilers, who are not rich and who are working for survival.

The second point is 'Political funding through electoral bonds'. The Association of Democratic Rights had mentioned it earlier in their report and the hon. Finance Minister also in his budget speech on 1st February had mentioned that political parties reportedly get about 70 per cent of donations through cash and a mere 30 per cent through cheques. So, this 30 per cent was what was taxable, what was known and what was "white money". Now, you are saying that they will be allowed to buy electoral bonds and that too *incognito* - secretly. A bank will transfer money to another bank and the bonds can be taken by the political party and deposited in their account. So, that means that 30 per cent bracket has also moved into the *incognito* branch. You are helping them hide that little amount also. All of us know how the FCRA rules had been changed in the last 2015-16 Finance Bill. Now that shows that foreign funding can come to political parties in India very, very secretively and in that process, you are allowing people, foreign companies, to lobby here. You should legalise this

lobbying or make it in such a manner that people can pay up in white and that should be acceptable.

I would like to repeat this after all my points is this the kind of reform that we in this Parliament want to be responsible and a part in passing? This is something that needs to worry all of us.

The draconian search and seizure provision in the income tax is my next point no. 3. I have got one more point after this. I will make it very short. In clause 50 of this Bill, the Government has proposed a curious amendment to allow IT officials not to disclose their reasons for conducting search and seizure. I have a sneaking suspicion that this amendment is being put in to cover up the arbitrary raids conducted during 50 days of demonetisation.

When you demonetised the Indian currency, at that time, it was said:

> "Sources said that no official instructions or orders have been issued by the Revenue Department of the Ministry of Finance for the IT sleuths to swoop on people suspected to be holding or actually holding bulk cash. Instructions are being issued over the telephone from a very high level official to members of the Central Board of Direct Taxes who in turn transmit them to the DG of Income Tax who then verbally directs his senior officers to produce the results, a euphemism for showing seizures."

Is this true? If this be true, are you already using the Income-Tax Department as a political tool? If that be so, Madam, the whole country – not only the BJP or the ruling clique – accepts that the ...* . Do you agree or not? If they do, then they must prepare themselves that an election depends on the mood of the people. What if, in a terrible condition in 2019, there is a swapping of places? Do you want to give this deadly tool to a ...* ? That is the question you have to think about.

Finally, my last point, which is No. 4, is that the NPA problem is getting worse. Our economy is in a shambles. This year's Economic Survey points out

* Not recorded

that bad loans have doubled since last year – it is 12 point some per cent. I am quoting from the Economic Survey:

> "More than four-fifths of Non-Performing Assets were with Public Sector Banks where NPA ratio has reached a little over 12 per cent. The situation is very alarming. There is practically no new loans being given out."

One wonders, if you are not giving out new loans, how is your GDP figure shooting up to seven and you are planning to go beyond seven per cent also? It boggles our minds. We are commoners and we are not able to understand this jugglery of figures. "Seven per cent GDP real growth for third-quarter of financial year 2017 released by the Government has made many experts conclude that demonetization has had no effect on the economy (which is great, if true)." Let us accept that. But how can the economy grow when the bank lending growth has declined to a 60-year low of a mere five per cent? That is a 60-year low! We are in a partial state of recession. Since there are reports of massive job cuts across sectors – from IT, Real Estate and everywhere – if the Government claims that the seven per cent figure is true, it has to be living in denial; it is not accepting the reality. They may hide behind their shroud of public relation.

Madam, you must have heard of Mr. Goebbels in the 1940s. He used to say, "Keep repeating something and the public believes that." But eventually, what was discovered was that Mr. Adolf Hitler, Mr. Goebbels and Mr. Heinrich Himmler and all their cahoots themselves started believing the lies they were dishing out. That brought about the fall of Third Reich.

It is quite possible that one day the top ten defaulting companies which owe Rs. 40,000 crore each to banks will slap them in the face and leave them stunned like one of the smaller players left for England. Markets will come crashing down. I would say the Government should beware of such a situation – not take lightly

and not behave like the earlier ...* .” When everybody left them, for ten years, ... *. Let that not happen to India again.

You, gentlemen, are not in power. You will not even know what is happening. When you come to know, you know when you will know, when we will know. When we all know, the country will know. But then, it will be too late.

I would just end with two lines, Madam. Rhetoric dies a quick death, but changing laws has a long-term effect. I ask the Government to pull their heads out of the sand and smell the bad smell in the air. Do it before it is too late.

Thank you, Madam.

* Not recorded

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, मैं वित्त विधेयक के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य की कई महत्वपूर्ण मांगों से मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं। मुझे इसकी अनुमति दी जाए।

I know this is not in the purview of the Finance Bill, Madam, but please allow me to speak on my demand.

महोदया, केंद्र सरकार के वर्ष 2016-17 के बजट में महाराट्र राज्य को ग्रामीण पेयजल योजना के लिए 347.16 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, लेकिन केवल 150.59 करोड़ रुपये ही दिए गए। महाराष्ट्र में पानी की भयंकर कमी को देखते हुए एडवांस पैसा देने की बजाए उलटे मंजूर निधि में से करीब आधी निधि ही दी गई है। यह सरासर महाराष्ट्र राज्य के साथ अन्याय है। मैं 500 करोड़ रुपये की डिमांड महाराष्ट्र राज्य के लिए करता हूं। आपको मालूम है कि पूरा मुम्बई शहर समुद्र तट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुम्बई में वर्सोवा जैसे बहुत सारे बंदरगाह हैं। वहां मलबा हटाने का काम राज्य सरकार नहीं कर पाती है, इसलिए केंद्र सरकार ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन आफ इंडिया विशाखापट्टनम की कम्पनी से 80 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है। फिशरीज विभाग की नीली क्रांति योजना के तहत इस कार्य के लिए 40 करोड़ रुपये की जरूरत है।

महाराष्ट्र राज्य की पुलिस का आधुनिकीकरण और सशक्तीकरण हेतु इंफॉर्मेशन स्कीम में पांच सौ करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। कम निधि की वजह से पुलिस विभाग का सशक्तीकरण नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, गोंदिया, चंद्रपुर आदि जगहों पर नक्सलवादी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस स्टेशनों, मजबूत रास्तों, पुलों के निर्माण एवं पुलिस बल की वृद्धि के लिए बहुत धनराशि की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इसकी मांग करता हूं।

महोदया, मुम्बई शहर में पोस्ट आफिसेज की स्थिति के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। आज मुम्बई शहर के हर क्षेत्र में आबादी बढ़ने लगी है। पोस्ट आफिस के लिए भूखंड आरक्षित किया गया है। निधि उपलब्ध न होने के कारण उन भूखंडों पर झुग्गी-झोंपड़ियाँ बननी शुरू हो गई हैं और पोस्ट आफिस नहीं बन पाए। सिर्फ पांच करोड़ रुपये और सात करोड़ रुपये की लागत से दो जगह ही यह हो हो पाया है, जहाँ की आबादी बढ़ गई है, इसके लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।

मैनग्रोव वनस्पति संरक्षण के लिए विगत तीन केंद्रीय बजटों में महाराष्ट्र के लिए निधि नहीं दी गई है। महाराष्ट्र की 720 किलोमीटर लम्बी किनार-पट्टी को ध्यान में रखते हुए तीन सौ करोड़ रुपये की निधि केंद्र से राज्यों को देनी चाहिए।

यूजीसी के सर्वे के अनुसार देश में 374 जिले शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, जिनमें महाराष्ट्र के बुलढ़ाणा, गढ़चिरौली, हिंगोली, जालना, रायगढ़ और सिन्धुदुर्ग आदि जिले शामिल हैं। शैक्षणिक विकास के

लिए केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र को 500 करोड़ रुपये की निधि की जरूरत है, तभी वहाँ शैक्षणिक विकास संभव है।

वर्ष 1928 की राष्ट्रीय वनीकरण योजना के तहत राज्य में 33 प्रतिशत जमीन वनों के लिए रिज़र्व है। महाराष्ट्र में फिलहाल 19 प्रतिशत जमीन पर ही वनीकरण है, शेष जमीन पर वनीकरण हेतु निधि की आवश्यकता है, उसकी मैं मांग करता हूँ। अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत केंद्र सरकार महाराष्ट्र के अलावा अन्य सभी राज्यों को निधि देकर महाराष्ट्र पर अन्याय कर रही है। मैं मिनिस्टर से मांग करता हूँ कि चालू वित्त वर्ष में महाराष्ट्र के लिए 50 करोड़ रुपये देने की कृपा-दृष्टि करें।

महोदया, सागर नगर के पास रहने वाले रहने वाले मछुआरों के मकान दुरुस्त करने में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, जिसके लिए सी.आर.जेड.-2011 के नोटिफिकेशन के तहत नियमावली तैयार हो गई है। उसके लिए निधि की आवश्यकता होगी।

माननीय अध्यक्ष : कीर्तिकर जी, पूरा बजट भाषण महाराष्ट्र पर ही देंगे**?**

श्री गजानन कीर्तिकर : महोदया, लास्ट टाइम। I know it is General Budget **.** आज तक मुंबई के प्रथम नागरिक एयरपोर्ट का उपयोग केवल हैलिकॉप्टर की यात्रा के लिए किया जाता है। प्रमुखता से ओ.एन.जी.सी. के हैलिकॉप्टर ही इसका उपयोग कर रहे हैं। रात के समय सदर्न एयरपोर्ट का असुविधाओं के कारण उपयोग नहीं हो पाता है, जिसके कारण ओ.एन.जी.सी. को छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उपयोग करना पड़ता है। मुंबई के कई उद्योगपति हैलिकॉप्टर का उपयोग करते हैं और बहुत से उद्योगपति इसका उपयोग करना चाहते हैं, परंतु इस एयरपोर्ट के विकसित न होने से इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसी एयरपोर्ट के आस-पास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जमीन पर इंदिरा नगर और नेहरू नगर की झोपड़ियों में करीब 25 हजार लोग रहते हैं। उनका पुनर्वसन किया जाता है। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विकास किया गया, उसी प्रकार इसका विकास करना भी आसान होगा। केंद्र सरकार की बंदरगाह विकास योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के समुद्री मार्ग को विकसित करने की दृष्टि से उसको केंद्र सरकार से इस जमीन के ऊपर एन.ओ.सी. द्वारा इजाजत मिलनी चाहिए। मुझे बोलने के लिए जो इजाजत दी गई, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Hon. Speaker Madam, I thank you for giving me an opportunity to speak on this important Finance Bill. I stand up on behalf of my Telugu Desam Party and our leader hon. Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Chandrababu Naidu in support of the Finance Bill.

First of all, I would like to start with the problems of Andhra Pradesh. I know this has been happening all the time. But we are compelled to do this after the unfair and unscientific bifurcation that has happened to the State of Andhra Pradesh. I would like to thank the Central Government for showing a lot of commitment in whatever issues that have been raised in the House or outside the House. They have shown full commitment and support to the State of Andhra Pradesh. When we asked the Central Government for providing legal sanctity to the package that has been announced for the State of Andhra Pradesh, they have also agreed to that. Last week, they have given Cabinet approval also.

On behalf of the people of Andhra Pradesh, we thank the Central Government and our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi. What the Cabinet approval also says is that there will be 100 per cent funding for the Polavaram project which is the lifeline of the State of Andhra Pradesh. There will also be special assistance measure for Andhra Pradesh by way of repayment of loan and interest for externally added projects signed between 2015-16 to 2019-20. This has been done so that if Andhra Pradesh is granted special status, whatever money is going to come to Andhra Pradesh, will be compensated by repayment of loan through the medium of externally added projects.

What I want to mention here is that when a State gets special category status, there are two important issues that need to be understood. One is the centrally sponsored schemes where the States get a benefit in the ratio of 90:10 whereas Andhra Pradesh at the moment is getting 60:40. So, there is a gap of 30 per cent. According to the special package that has been mentioned in the Cabinet approval, Andhra Pradesh will get the benefit of this 30 per cent. But what I want

to bring to the notice of the Central Government is that according to the special status, there is certain benefit for the externally added projects also and that is also supposed to be in the ratio of 90:10. There is no mention of that in the Cabinet approval but when the hon. Finance Minister Shri Arun Jaitley announced the package itself, he said that every paisa of the benefit of special status for Andhra Pradesh will be covered under this special package. So, we are just bringing it to the notice of the Central Government and we assume that whatever is not mentioned in the package also will be taken care of.

In the Budget the Finance Minister has on the request of the Chief Minister Shri Chandrababu Naidu granted capital gains tax exemption to the farmers who have donated their lands for the construction of our new capital at Amaravati region. It is a great historic decision. We really want to thank the Central Government for taking that decision but there is a clause that we want to bring to the notice of the Central Government. This capital gains tax exemption has been granted for a period of two years. We have to understand that after the land pooling scheme, the farmers who were holding the land will not get the full intended benefit. So, for them to avail the full benefit we request that the capital gains tax exemption be granted for the first sale without any time limit. We have already put that concern to the Finance Minister. We are very grateful that whenever we come here regarding the farmers' issues he is granting time and listening to our issues. We hope that this issue will also be taken care of and the exemption would be granted without any time limit.

There is another issue which is regarding the FRBM limit for the State of Andhra Pradesh. We are currently having a limit of three per cent but our Chief Minister has requested for 3.5 per cent. We have to see that at the time of bifurcation, Andhra Pradesh had a revenue deficit of Rs. 16,000 crore. It was not our fauLT The revenue deficit that had been put on our head, that had been hanging on the State of Andhra Pradesh was not the fault of the State but in fact the fault of the Centre, the Government which was ruling during the previous

term. Accordingly, we had requested the Central Government to curtail the financial constrictions in order to get financial flexibility to take the State forward. The FRBM limit for the State of Andhra Pradesh therefore has to be enhanced to 3.5 per cent. It is a long pending request. We hope the Central Government and the Finance Minister take this into account and grant it.

Coming to demonetisation, more than the Government I think the House should salute the people of this country for having hope on that decision and for tolerating even if there was a little inconvenience and even if there was a lot of hardship that they had to face. They had tolerated with the hope that this decision was going to do some good for the country. Taking the decision forward, we are now promoting cashless economy and digital economy. So, we are telling everyone to use digital medium. Whenever they are doing that, the banks are levying transaction charges. … (*Interruptions*)

Madam, since I am fortunate to be speaking when the hon. Chief Minister has come, we would like to congratulate him on our behalf, on behalf of the State of Andhra Pradesh, and on behalf of our Chief Minister Shri Chandrababu Naidu. … (*Interruptions*)

Coming back to my speech, I was talking about the digital transactions. Right now, we have done the demonetisation in the hope that it would benefit the common man and the people of this country but the way this is going we see that the maximum benefit is accruing to the banks rather than the common man. Every time you transact, they charge you a certain amount of money. So, the people are being discouraged to go to the digital medium. I would request the Finance Minister to incentivise them whenever they are using the digital medium or go in for cashless transactions so that there would be more encouragement to move into this mode. I would like to give a small example here. If there are ten people who are transacting Rs. 10 within each other without spending anything or if I am giving Rs. 10 to someone who is giving to someone else, at the end of a thousand transactions, that Rs. 10 is gone and is sitting with the bank but nobody has any

kind of money. In fact, if you do it with the physical currency, the monetary value of Rs. 10 is always with the person. So, this has to be taken into account. The transaction charges which are being levied by the banks have to be curtailed. They have to be stopped. It has to be done for the benefit of the common man. The other aspect regarding merchant discount rate also should be taken into account. There has been a reduction of one per cent for the petrol pumps. Similarly, for all other merchants also, this needs to be taken into account; and the merchant discount rate should also be considered for other merchants.

It is time that we see the reality of the GST. It is a very revolutionary Bill and I congratulate the Government. Even after a lot of hardships, a lot of constrictions, the Government has come ahead, taken the opinion of all the States and have addressed all the issues. We really wish to see it as a reality, Madam.

According to GST, there is one constraint from the State of Andhra Pradesh, which is the off shore oil and gas reserves. In terms of on shore oil and gas reserves the State which holds these reserves get a royalty. The State of Rajasthan, right now, because of its oil and gas reserves is earning an amount of almost Rs.6,500 crore to Rs.7,000 crore whereas Andhra Pradesh, which has KG basin just next to its shore, is not getting a single penny at all because it is sitting off shore. Pipelines are being laid through Andhra Pradesh. They are using our land, our infrastructure, our resources and everything but we are not getting a single penny. So, we want that even where the oil and gas reserves are sitting off shore, they also pay a royalty to the landing States.

Implementation of GST is very-very important. There has to be good coordination between the State and the Centre. This is the first year we will be implementing it. There can be many issues that can crop up. So, the Government should have an advance mechanism to address these issues in a timely manner so that they do not get derailed and the whole purpose of GST does not get derailed. I just wanted to bring this to the notice of the Central Government.

Coming back to my State of Andhra Pradesh, we need almost Rs.20,000 crore per year to be able to build a world class Capital. The Centre has given a meagre Rs.4000 crore. I would request that in future years certainly they will look after our demand and fulfil the request of building a world class Capital in the State of Andhra Pradesh.

The AP Reorganisation Act states that the backward regions of Andhra Pradesh will be given tax incentives and a special backward package because of which we are enjoying Rs.50 crore per year. There are seven districts which are enjoying that. There is 15 per cent accelerated depreciation allowance and the capital expenditure allowance also. We request that other than the seven districts, out of the 13 districts, the district of Prakasham also be added to the list of backward districts. It is as backward as these districts. So, it also needs to be considered.

माननीय अध्यक्ष : आपका समय हो गया, सब तो प्वाइंट्स बोल चुके हैं।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु : मैडम, बहुत सारे प्वाइंट्स हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप कंक्लूड कीजिए।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : Madam, I have a couple of important issues to raise but I do not know if I can raise all of them.

HON. SPEAKER: You can raise only one issue.

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU : I would like to raise two important issues, Madam. I do not know if I can mention it in this Finance Bill discussion but it is a good suggestion. I want the Central Government to take them into account.

They had the power to take out the Railway Budget. They have taken out the 70 years of tradition. I want them to think over this proposal, use the same power to have a separate agriculture budget. It is very important that this House shows concern towards the farmers and agriculture. It has been raised by Shri Tathagata Satpathy also. Just like we have discussed the Railway Budget for so

many years, we should discuss Agriculture Budget every year. We should give confidence to farmers saying that this House is committed to their benefits. So, there should be Agriculture Budget every year separately.

The NRIs who are specifically staying in America right now are facing a lot of turmoil in terms of racial issues or stringent visa laws that are being put in. In 90s or 80s there was brain drain from India to America. Now there is an opportunity for reverse brain gain. People are willing to come back to India but the Central Government need to take certain measures so that they prefer India, come back and help in the growth and development of this country.

With these suggestions I would like to end my speech. I support the Finance Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री के नाते आपका स्वागत है, लेकिन सदन के सदस्य के नाते इस विषय पर आमंत्रित हैं।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक पर दो शब्द कहने का अवसर प्रदान किया है। मैं अपनी पार्टी के नेता और देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी का आभारी हूं और अपने संसदीय कार्य मंत्री श्री अनंत कुमार जी का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे आज मुझे आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर पार्टी की ओर से दिया है।

महोदया, जिन परिस्थितियों में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को इस देश में सत्ता प्राप्त हुई थी, एक लड़खड़ाई हुई अर्थव्यवस्था, विकास दर में निरंतर हो रही गिरावट, देश में अविश्वास का माहौल था और जिस दृढ़ता के साथ पिछले तीन वर्षों के अंदर देश की विकास दर को आगे बढ़ाकर इस देश में एक कल्याणकारी सरकार की स्थापना करके सुशासन स्थापित करने में केन्द्र की मोदी सरकार सफल हुई है, वह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, दुनिया के लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत शासित होने वाले उन सभी देशों के लिए एक आदर्श बना है और यही कारण है कि दुनिया में अब जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं, वहां एक आइकन के रूप में देश के प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी को लोग सामने रखते हैं। विकास का ढांचा कैसा होना चाहिए, लोग भारत से देखना और समझना चाहते हैं। 2014 में इस सरकार के सामने अत्यंत विपरीत परिस्थितियां थीं। जब राजकीय घाटा, जो सकल घरेलू उत्पाद का था, वह 8.9 प्रतिशत और राजस्व घाटा, जो सकल घरेलू उत्पाद का था, वह 2.8 प्रतिशत

पर पहुंच चुका था। मुद्रास्फीति की दर 11.2 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद का जो चालू खाता था, वह 4.6 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। उन स्थितियों में देश के यशस्वी प्रधान मंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता संभाली थी। पिछले तीन वर्ष के दौरान इस सरकार ने देश की विकास दर को आठ से साढ़े आठ प्रतिशत तक ले जाने में सफलता प्राप्त की है। यह दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है।

इसके अलावा विमुद्रीकरण की घटना पर दुनिया यह देखना चाहती थी कि आखिर इसके परिणाम क्या होंगे, उसके बावजूद देश की विकास दर 7.9 प्रतिशत से ऊपर जा रही है। आज भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्था दुनिया में आश्चर्य और कौतूहल का विषय है। इस दृष्टि से मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने सफलतापूर्वक देश की अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है और यही नहीं, इस दौरान जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं घोाति हुईं, मैं खास तौर पर उन मुद्दों पर कहना चाहता हूं, जो लोग 2014 के पूर्व कहते थे और तमाम प्रकार की भ्रांतिया पैदा की जाती थीं, तमाम प्रकार के भ्रम पैदा किये जाते थे, लेकिन चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरी दृढ़ता के साथ जिन बातों को कहा कि हमारी सरकार इस देश के किसानों के लिए, इस देश के गरीबों के लिए समर्पित होगी, उसमें कोई जाति, कोई मत, कोई पंथ या कोई मजहब नहीं होगा, बल्कि इस देश के उन आम नागरिकों के लिए समर्पित होकर कार्य करेगी, जो वास्तव में इस देश में विकास का सही मायने में हकदार है और उन्होंने उस तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार का कार्य किया।

मुझे याद है, 1996-98 के दौरान कुछ प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों के बीच में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस दौरान मैं देखता था कि सरकार उन किसानों को एक हजार रुपये का चैक देती थी। एक हजार रुपये का जो चैक उन किसानों को मिलता था, उन किसानों के पास अपने खाते नहीं होते थे। वे बैंक में जाते थे तो बैंक उन्हें कहता था कि आपके पास खाता नहीं है, आप पहले पांच सौ रुपये जमा करिये, तब तुम्हारा यह चैक बैंक में जमा हो पायेगा। किसी सरकार ने उस बारे में नहीं सोचा, लेकिन जनधन योजना के माध्यम से इस देश के अंदर 25 करोड़ गरीब परिवारों के खाते खोलना देश के गरीबों के प्रति इस सरकार की सोच को प्रदर्शित करता है। जो आम नागरिक के लिए है। उसमें हर जाति के लोग थे। हर मत और हर लिंग से जुड़े हुए लोग थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। इस सरकार ने उसके बाद जो योजनाएं घोाति कीं, चाहे वह डिजिटल इण्डिया का हो, स्टार्टअप इण्डिया का रहा हो, स्टैण्ड अप इण्डिया का रहा हो, इस देश के युवाओं के स्वावलंबन के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा बैंक योजना की शुरूआत की गई। यह कितनी अच्छी योजना थी। इस देश की महिलाओ के लिए समर्पित प्रधान मंत्री उज्जवला योजना शुरू की गई। हम लोगों को गांवों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। आज एक गांव की गृहणी इस बात को कहती है कि अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लकड़ी मिलेगी या बरसात के कारण अगर

ईंधन उसको प्राप्त नहीं होगा तो उसके घर में रसोई नहीं जलेगी। क्योंकि प्रधान मत्री जी ने उसके घर तक उज्जवला योजना के अंतर्गत रसोई गैस पहुंचा दी है, कल्याणकारी योजनाओं को किस हद तक पहुंचाने का कार्य किस तत्परता के साथ हुआ है, इन ढाई-तीन वर्षों के दौरान जितनी कल्याणकारी योजनाएं इस देश के अंदर विकास की योजनाएं तत्परता के साथ प्रांरभ की गईं, उससे देश और दुनिया में एक आदर्श मॉडल के रूप में भारत सबके सामने प्रस्तुत हुआ है।

आज जब वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस देश का पूर्वी भारत विकास के पैमाने पर हमेशा पिछड़ता जाता था, उपेक्षित था, कोई उनके बारे में नहीं सोचता था। मैं स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश से सन् 1998 से लगातार इस सदन में चुन कर आता रहा हूँ और हम अपनी बात को कहते रहे। कोई सुनता नहीं था। 26 वर्षों से गोरखपुर का फर्टिलाइज़र कारखाना बंद था। जब भी हम लोग अपनी बात को रखते थे तो कह देते थे कि इसके बारे में कोई पॉलिसी बनाएंगे कि बंद उद्योगों को कैसे चला पाएंगे। मैं मैं धन्यवाद दूंगा और माननीय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूँ कि 26 वर्षों से बंद उस गोरखपुर के फर्टिलाइज़र कारखाने का न केवल माननीय प्रधान मंत्री जी ने पिछले वर्ष जा कर शिलान्यास किया है, बल्कि वहां पर कार्य भी प्रारंभ हो गया है। सन् 2019 से पहले गोरखपुर में बरौनी में, और सिंदरी में नए फर्टीलाइजर कारखाने स्थापित हो कर खाद उत्पादन का कार्य, उर्वरक उत्पादन का कार्य प्रारंभ भी हो जाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मैं इस सदन में लगातार चिल्लाता था, उत्तर प्रदेश के जिले एंसिफ्लाइटिस से पीड़ित थे, मासूम बच्चे मरते थे। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि जो लोग बार-बार इस बात को कहते थे, दलितों की बात करते थे, अल्पसंख्यकों की बात करते थे, अधिकतर मरने वाले बच्चे दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के ही थे, 90% बच्चे उस समुदाय के थे। लेकिन उनकी पीड़ा पर कभी किसी के द्वारा यहां पर सहानुभूति दिखाने का प्रयास नहीं हुआ। माननीय प्रधान मंत्री जी ने गोरखपुर को एम्स दिया और उसका कार्य वहां प्रारंभ हो रहा है।

देश के अंदर बुनियादी ढांचे का विकास कैसे होना चाहिए, यह मॉडल देश के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हमारे आदरणीय नेता पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रांरभ किया था। इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानक के फोर लेन और सिक्स लेन के एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, यह मॉडल उन्होंने इस देश को दिया। आज जिस तेजी के साथ इस देश के अंदर कार्य प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि वह विकास का एक अद्भुत ढांचा है, जो भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

महोदया, मैं आभारी हूँ कि इस सदन में सन् 1998 से लेकर अब तक मुझे बहुत कुछ जानने-सीखने, संसदीय प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज उत्तर प्रदेश का दायित्व मेरी पार्टी ने मुझे सौंपा है और मैं उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे

बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले ढाई में ढाई लाख करोड़ रुपये केंद्र की मोदी सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिए थे।

17.00 hours

लेकिन इस दौरान मात्र 78 हजार करोड़ रुपये ही उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यय हो पाये हैं। उनका विकास का कोई ढाँचा नहीं था और मुझे लगता है कि ये जो स्थितियाँ हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर मिला जनादेश स्वतः उन लोगों को, जिन लोगों ने विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर हमेशा प्रश्नचिन्ह लगाने का प्रयास किया है, यह उन लोगों पर एक तमाचा भी है। उत्तर प्रदेश का जनादेश इस बात को साबित करता है।

महोदया, मैं आप सबसे केवल एक अनुरोध करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर विकास का एक नया ढाँचा "सबका साथ और सबका विकास" की तर्ज पर अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अन्दर उत्तर प्रदेश की नई सरकार स्थापित करेगी। हर जाति, हर वर्ग, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग कृत संकल्पित होकर कार्य करेंगे। जो धनराशि अब तक खर्च नहीं हो पाई है, किन्हीं कारणों से खर्च नहीं हो पाई है, हम लोग प्रभावी ढ़ंग से कार्य करने की दृष्टि से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं केवल यही कहना चाहूँगा।

महोदया, जब मैं पहली बार इस सदन में चुनकर आया था, उस समय मेरी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। उस समय मैं बहुत पतला था।

माननीय अध्यक्ष : अभी भी आप कोई बहुत मोटे नहीं हो। अभी भी आप ठीक हो। अभी भी आपका वजन उतना नहीं बढ़ा है।

योगी आदित्यनाथ : मैं यहाँ आता था। उस समय गोरखपुर की स्थिति ऐसी थी, जब उस समय के उर्वरक एवं रसायन मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी ने मुझे देखा, मैं गोरखपुर खाद कारखाने के बारे में उनसे चर्चा करने के लिए गया था, तो वे आधा घंटा तक मुझे घूरते रहे, देखते रहे। उन्होंने कहा कि आप गोरखपुर से चुनकर आये हैं तो मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने फिर कहा कि गोरखपुर से आये हैं, मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने तीसरी बार फिर पूछा कि गोरखपुर से ही आये हैं तो मैंने कहा कि हाँ मैं गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से चुनकर आया हूँ। मैंने उनसे कहा कि सरदार जी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार चुनावी सभा को सम्बोधित करने के लिए गोरखपुर गया था, लेकिन दोनों ओर से बम चलने लगे और मैं भाग गया। तब से मैं दोबारा गोरखपुर नहीं गया। उस समय गोरखपुर की

ऐसी छवि थी। मुझे इस बात को सुनकर बहुत धक्का लगा कि हमारे शहर के बारे में, हमारे जिले के बारे में लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं गोरखपुर गया, मैंने गोरखपुर के सभी व्यापारिक संगठनों को, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों को बिठाया। मैंने उनसे कहा कि बाहर हमारे बारे में इस प्रकार का संदेश है। हमें सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ना है। सरकार कोई भी हो, वह चलती रहे, लेकिन यह समाज की समस्या है, हम इसका समाधान यहाँ मिल-बैठकर करें।

महोदया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के बारे में जो बातें सुनने को मिलती थीं, जो बातें गोरखपुर के बारे में वर्ष 1998 में मुझे सुनने को मिलतीं थीं, आज उत्तर प्रदेश के बारे में पूरे देश के अन्दर उस प्रकार की चर्चायें होती थीं। मैं कह सकता हूँ कि इन 15 वर्षों में हम लोगों ने गोरखपुर में एक भी व्यापारी को गुंडा टैक्स नहीं देने दिया। एक भी व्यापारी, किसी भी चिकित्सक का अपहरण नहीं करने दिया। हमने कहीं भी किसी को अराजकता नहीं फैलाने दी। पिछले पाँच वर्ष में उत्तर प्रदेश के अन्दर 403 दंगे हुए, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है। हम फिर कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार की स्थिति हम लोग स्थापित करने में सफल होंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को और भी पुरजोर तरीके से इसलिए कहना चाहूँगा, क्योंकि लोग मेरी उम्र के बारे में कह सकते हैं। मैं आदरणीय राहुल जी से एक वर्ष छोटा हूँ। खड़गे जी, राहुल जी यहाँ सदन में उपस्थित नहीं हैं, मैं उनसे उम्र में एक वर्ष छोटा हूँ। मुलायम सिंह जी की पार्टी का कोई भी सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं अखिलेश यादव से उम्र में एक वर्ष बड़ा हूँ। इन दोनों की जोड़ी के बीच में मैं आ गया, मुझे लगता है कि यह आपकी विफलता का एक बड़ा कारण हो सकता है। मैं आप सबको आमन्त्रित करूँगा, आप सबका प्यार और स्नेह मुझे चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): जब उन्होंने मेरा नाम लिया है, तब मुझे बोलना पड़ेगा।...(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ : आप बोल सकते हैं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : राहुल जी उनसे एक साल बड़े हैं, अखिलेश जी उनसे एक साल छोटे हैं, उन दोनों के बीच में वे हैं। लेकिन, अब एक बार आप अधिकार में आए हैं। आप वहां के चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन, आप इस स्टैण्डर्ड को मेनटेन करिए। चीफ मिनिस्टर बन कर जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं तो उसकी गरिमा रखकर आगे चलिए।

योगी आदित्यनाथ : मैं उसी गरिमा की बात करने के लिए आया हूं।

माननीय अध्यक्ष : ये आप से बड़े हैं। इसलिए इन्होंने आपको अच्छा आशीर्वाद दिया है, ऐसा समझ लीजिए।

योगी आदित्यनाथ : अध्यक्ष महोदया, आप लोगों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया है। मैंने शुरू में ही कहा है कि मैंने इस सदन से बहुत कुछ कहा है। वास्तव में, एक सामान्य शिष्टाचार और मैनर क्या होता है, यह इस संसद में सीखा जा सकता है।

जब मैं पहली बार सांसद चुना गया था तो मैं इस बात के लिए अन्दर से थोड़ा सशंकित था कि पता नहीं, वहां कैसा व्यवहार होता है। लेकिन, जैसे ही हम लोगों ने संसद परिसर में प्रवेश किया, यहां के एक-एक कर्मचारी का जो सद्व्यवहार था, जो शिष्टाचार था, वह देखने लायक है। वह समाज को बताने लायक है, क्योंकि बाहर हमारे बारे में बड़ी भ्रांत धारणाएं पैदा की जाती हैं। सदन के अंदर जो शोरगुल होता है, हम मानते हैं कि वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा हो सकता है। हमारी जो आपस में बहस होती है, उसमें बहुत वाद-विवाद हो जाता है, लेकिन बाहर हम लोग जब गैलरी में मिलते हैं तो एक-दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई देते हैं। सारी चीज़ों को यहीं पर छोड़ कर, बाहर हमारे बीच वही सदभावना होती है। इसीलिए, मैं आप सब से, पूरे सदन से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने मुझे जो दायित्व दिया है, मैं आप सबको उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करूंगा। आप उत्तर प्रदेश में आएं। आप सबका स्वागत होगा।

उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधान मंत्री जी के सपनों का प्रदेश होगा। देश का उत्कृष्ट प्रदेश होगा। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होगा। दंगों से मुक्त प्रदेश होगा। अराजकता और गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में हम विकास का एक ऐसा मॉडल देंगे कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में माताओं और बहनों को अपनी सुरक्षा के लिए कहीं गुहार नहीं लगानी पड़ेगी।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : देखते जाओ।

योगी आदित्यनाथ : आप अवश्य देखिए।...(व्यवधान)

खड़गे जी, आप तो यहां पर नेता के रूप में हैं और हम आपको सादर आमंत्रित करेंगे। मैं पूरे सदन को आमंत्रित करूंगा कि वे उत्तर प्रदेश में आएं। आप देखते रहिए, वहां बहुत कुछ बंदी होने जा रही है। वहां पर बहुत कुछ बंद होने जा रहा है।

अध्यक्ष जी, आप ने भी हम लोगों को इस सदन में बड़ा स्नेह दिया है। आपने जिस कुशलता से इस सदन को संचालित करने और इस सदन में आने वाले नए सदस्यों को अवसर देकर आगे बढ़ने का जो अवसर दिया है, एक मंच के रूप में देश के सर्वोच्च सदन में जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं बार-बार आभारी हूं। पूरे सदन को मैं उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करूंगा कि आप उत्तर प्रदेश आएं। उत्तर प्रदेश आपका स्वागत करेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी के उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में, उत्तर

प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के बारे में जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करता हुआ प्रदेश आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा।

यही कहते हुए मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निज़ामाबाद) : मैडम, बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं तेलंगाना की जनता की ओर से श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूं, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं।

मैडम, अभी मुझे एक मिनट के लिए समझ में नहीं आया, जब मेरे भाई श्री राम मोहन नायडू जी बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आंध्र प्रदेश के असेम्बली में हूं, फिर श्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं उत्तर प्रदेश के असेम्बली में हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इससे लगता है कि हमारे देश में अनेकता में एकता है।

...(व्यवधान)

श्रीमती कविता कलवकुंतला : मैं इनको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूं। हमारी केंद्र सरकार ने तेलंगाना को ज्यादा कुछ दिया नहीं है कि मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ कह सकूं। मैं फाइनेंस बिल पर बोलने के लिए खड़ी हुई है, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। I would also congratulate hon. Shri Arun Jaitley for presenting the Budget for the fourth time. Of course, the Budget has many things to be spoken about. मैं पहले सारी अच्छी बातें बोलूंगी, फिर बाद में जो भी इश्यूज़ हैं, उसके बारे में बोलूंगी। पहले हमने फिसकल प्रूडेंस के बारे में जो पहले से गोल्स तय किए थे, उनको हम स्टीक कर पाएं। That is a wonderful thing. The changes that we have made in the reporting formats of the Budget are also good. The difference between the non-plan and plan has been done away with. That is a wonderful thing. Also presenting a separate Rail Budget has been done away with. It was nothing but a legacy issue from the British that we have inherited. It is nice to have taken it out. सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पूरे एक्सपेंडिचर को छह विभिन्न कैटेगरी में बताएंगे। That would be like the establishment expenditure of the Centre sector schemes, transfers under Centrally sponsored schemes, etc. This new formats are much easier to read and understand and they are informative.

I want to appreciate Shri Arun Jaitley because he has brought a revolutionary change this time. He has decided to give a special booklet on the Outcome Budget. It would basically report on what the outlays given to any particular sector will bring out as an outcome. So, that is a very good change and a

very laudable move. I hope this will make the Governments more accountable in future.

Of course, advancing the Budget by one month has made a significant change ताकि जितने भी स्टेट्स हैं, वे अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही काम शुरू कर सकते हैं, इससे अच्छा काम होगा। इसमें जितने में आउट-ले दिए गए हैं, वे एक्सपेंड कर पाएंगे।

Of course, there are three or four constraints which all of us are carefully watching. I am sure the hon. Minister is also watching them. The GST roll our which is yet to begin would be a game changer. We are yet to see the consequences of demonetisation completely. आज हमें लग रहा है कि डीमोनेटाइजेशन से ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद उसका अफेक्ट हो सकता है। इसके बारे में हमें सावधान रहना होगा।

मैडम, आज अमेरिका जैसे देश की जो सोच है, जो एक प्रोटेक्सट्रिनस्ट मेंटेलिटी है, इस बारे में भी हमें बहुत कुछ देख कर चलना होगा। In this global uncertainty, our Budget Estimates for 2017-18 has been presented at Rs. 21.47 lakh crore. In this Rs. 21.47 lakh crore, I would like to bring to the notice of the House that in 2011-12 the sharable or divisible pool in the whole Budget between the Centre and the States, was 89.8 per cent. But in 2015-16, the divisible pool has reduced to 82.8 per cent. This definitely means that this is very less money for the States. Although the hon. Finance Minister repeatedly claims that the devolution has been increased to 40 per cent, आपका पूरा शेयर पूल के साथ रिडयूस होने की वजह से स्टेट को बहुत कम पैसा मिलता है। This is just because the Central Government wants to get more and more money from the cesses and surcharges. इस बार पार्टिकुलरी हम सोच रहे थे कि अब जी.एस.टी. आने वाला है, सेस और सरचार्ज को तो कम से कम इस बजट में छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। The cesses and surcharges are continuing. With the GST to be rolled out in July, I only hope that this will be done away with in future so that the State Governments will have substantial money to spend for the public welfare.

There are some good things in the Budget, like the taxable income between Rs. 2.5 lakh and Rs. 5 lakh has been reduced from 10 per cent to five per cent. The

corporate income tax has been reduced from 30 to 25 per cent. एक सिंगल वन पेज फॉर्म, जो विदेशों में होता है। जब हम दूसरे देशों रहते हैं तो हम अपने आप टैक्स भर सकते है। आज हमारे देश में भी ऐसा माहौल आ रहा है। That is a very good and a welcome move. Of course, the decision to amend the RBI Act so that they can issue the electoral bonds to be bought by companies to donate to the political parties is a good move.

That is a good move but as my colleague Shri Tathagath *ji* had said, if it is incognito, that is not going to serve the whole purpose of electoral reforms. With this, I would like to appreciate the Budget where generous increase can be seen. Particularly, the higher education sector has seen an increase of 12.2 per cent, which is wonderful. It has been increased from Rs.29,703 crore to Rs.33,300 crore. Likewise, in the case of *Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Sinchai Yojana,* there has been a good increase. I would like to mention particularly the National Nutrition Mission where it was Rs.175 crore, now it has been increased to Rs.1,500 crore. The Maternity Benefits Programme which only used to get Rs.634 crore now gets Rs.2,700 crore. This is a very good increase and I fully appreciate the Government for doing that. डिफेंस बजट में भी 4.2 पर्सेंट का इनक्रीमेंट हुआ है। डिफेंस में यूजुअली यह होता है कि - we procure a lot of equipment from abroad. So, there could be some fluctuations; of course, we have seen fluctuations of rupee of late. इस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या डिफेंस को अपनी जो भी मिसाइल्स, इक्विपमेंट्स, आर्मरी खरीदने हैं, उन्हें खरीद पाएंगे, यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। इसके बारे में सरकार को एक बार फिर सोचना पड़ेगा। जेटली जी ने बजट में कहा था, that in the Budget that he wants to transform, energise, and clean India. We were really hoping that he would get some very good policies.

I would like to bring to the notice of the hon. Finance Minister one particular allocation. This is *Pradhan Mantri Grameen Awas Yojana.* The Central Government today decided that it will build 3.6 million houses in this year whereas the State Governments have stated that they are only going to build 2.41 million houses this year, यानी केन्द्र सरकार की सोच में और स्टेट गवर्नमेंट की सोच में तकरीबन

30 पर्सेंट का अंतर है। इसके लिए आपने 9,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर दे दिए हैं। सरकार को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि आपने जो बढ़ाकर पैसे दिए हैं, उससे क्या आप गोल मीट कर पायेंगे।

मुझे एक बात और बतानी है। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम पहले इंदिरा आवास योजना था। इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है। सरप्राइजिंगली इसमें जितने घर बनते हैं, वे घटते जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में 1.84 मिलियन हाउसेज बन रहे थे, वर्ष 2014-15 में घटकर 1.6 मिलियन हाउस होल्ड्स हो गए, वर्ष 2015-16 में सिर्फ 1.1 मिलियन हाउसेज हम बना पाये हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ नाम बदलने से काम शायद नहीं बदलेगा। हमें काम और जोरदार तरीके से करना पड़ेगा। राज्यों को कान्फिडेंस में लेना पड़ेगा और साथ में मिलकर गोल्स फिक्स करने पड़ेंगे और इसके लिए काम करने पड़ेंगे। I would also like to mention that in engineering there is a concept called `Point of Application of Force'. ऐसा होता है कि अगर किसी भारी चीज को आपको मूव करना है, तो आप खुद इतने ताकतवर नहीं होते हैं, लेकिन आदमी इंटेलीजेंट है, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और एक पर्टिकुलर प्वाइंट पर फोर्स एप्लाई करते हैं तो अपने आप वह भारी चीज हट जाती है। पॉलिसी बनाने में भी यही होना चाहिए कि पॉलिसी एक पिवटल हो, बड़े से बड़े काम करने के लिए भी एक तरकीब के साथ पॉलिसी की जा सकती है। हमने बहुत पॉलिसी बनाईं। आवास योजना की हो या कुछ भी हो, लेकिन जब वह पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। I believe that needs to be taken into account. There has been just Rs.300 crore increase in the allocation of the Mid-Day Meal Scheme. I hope it will be revised soon. There is only a Rs.50 crore increase in the National Rural Drinking Water Scheme. The outlay for the *Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana* is stagnant as it is at Rs.19,000 crore. In the case of MGNREGA, only a sum of Rs.500 crore has been increased from the Revised Estimates of last year. There has been a zero increase in the National Social Assistance Programme. मैं इस सरकार से मांग करना चाहती हूं कि आज के दिन हम जो पेंशंस देते हैं, महिलाओं, विडोज को जो पेंशन देते हैं, केन्द्र सरकार से हमें 200 रुपये मिलते हैं, बाकी को स्टेट गवर्नमेंट बियर करती है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि 200 रुपये को इनक्रीज़ करके 500 रुपये किए जाएं क्योंकि तेलंगाना जैसे और बहुत से प्रदेश हैं जहां हम विडोज़ और ओल्ड एज के लोगों को एक हजार रुपये पैंशन देते हैं और 1500 रुपये पैंशन दिव्यांग लोगों को देते हैं। मेरी मांग है कि इसे 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रति व्यक्ति किया जाए।

17.20 hours (Shri Pralhad Joshi *in the Chair*)

We have seen an increase of only Rs. 120 crore in AMRUT scheme. जब हमने प्रधान मंत्री जी की पहली स्पीच सुनी थी, उनका सपना था कि पूरे भारत में सौ ऐसी स्मार्ट सिटिज़ बनें। वे उनके लिए पैसे इन्वैस्ट करना चाहते थे।...(व्यवधान)

महोदय, दो-तीन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मेरे पास और समय है। प्लीज़, थोड़ा और बोलने का मौका दीजिए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : समय हो गया है। Please conclude quickly. You may take one or two minutes more.

श्रीमती कविता कलवकुंतला : कृपया 3-4 मिनट और बोलने दीजिए क्योंकि जेटली जी बिज़ी थे, सुन नहीं रहे थे।...(व्यवधान) I am sorry.

अमृत स्कीम के अंतर्गत जो ऐलोकेशन इनक्रीज हुआ है, it is only Rs. 500 crore. It is very minimal and I do not believe that is enough to charge our economic growth engines which are our Second and Third Tier cities.

Sir, the most important aspect of Jaitleyji's Budget Speech was that he wants to energize our country. This is a very important piece of information which I found on the RBI web site, not my data. This says that the overall credit for priority sector lending has fallen by 10.6 per cent from last year. वर्ा 2015-16 से अब 4.3 प्रतिशत पर गिर गया है। Priority sector lending could be for agriculture, it could be educational loans, micro credit etc. यह बहुत ज्यादा घट गया है। अगर आपको इस देश को ऐनर्जाइज़ करना है, if the lending goes down like this, I believe it will be very difficult, स्पैशियली इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, यह भी घटकर माइनस 5.1 प्रतिशत पर चला गया है। जब तक लैंडिंग नहीं होगी, तब तक हम जॉब क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत दिक्कत होगी। जेटली जी ने स्पैशियली 10 लाख करोड़ रुपये का फॉर्म लोन देने का जो वादा किया था, वह काफी नहीं होगा। मुझे लगता है कि the minimum target should be to give away Rs. 12 lakh crore to farmers as loans. I would like to bring one more important issue to the notice of the House. The Finance Minister said that he wants to have a clean economy in our country. That means, from informal economy he wants to take India to a formal economy where he would like to encourage more and more digital transactions. But what is

happening is, not only private sector banks, but public sector banks are also charging Rs. 10 extra for an additional transaction. आपको आरबीआई कहता है कि आपको पांच ट्रांजैक्शन्स फ्री देने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी पब्लिक सैक्टर बैंक 10 रुपये चार्ज कर रहे हैं, प्राइवेट सैक्टर बैंक 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको बैंकों को कंट्रोल करना पड़ेगा।

Last year, there has been a report that 29 lakh Debit Cards have been subjected to malware attacks. Unless and until safety is there, unless and until the transaction becomes more viable and cheaper, I do not believe people will use it. So, I request the hon. Finance Minister to look into this issue.

HON. CHAIRPERSON : Pl. conclude now.

श्रीमती कविता कलवकुंतला : एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। वह बताकर अपनी बात समाप्त करूंगी। This is related to taxes where Shri Tathagat Satpathy said हम 1962 से जो रिट्रॉस्पैक्टिव टैक्स करेंगे, उसमें सर्च एंड सीज़र की किसी को कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी। I believe this is a draconian law. Definitely it will be misused and that should somehow be prevented. I believe that provision should be deleted. हमने इस देश में बड़े लम्बे-लम्बे प्रॉमिस के साथ डीमॉनिटाइजेशन किया है। हमारे तेलंगाना प्रदेश में 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, Rs.550 crore in stamps and Rs. 250 crore in motor vehicle taxation. So, I would request the Government to come up with a White Paper on Demonetization.

मैं अपने प्रदेश की एक बात कहना चाहती हूं। आंध्र से बहुत बोले हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। मैं एक मिनट में अपनी बात बोल दूंगी। वैसे हमें सरकार से ज्यादा कुछ नहीं मिला है, लेकिन एक-दो चीजें मांगनी है। हमारी 400 करोड़ रुपये की इंस्टॉलमैंट पैंडिंग है। प्लीज, वह दिला दीजिए। हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के 450 करोड़ रुपये पैंडिंग हैं, वह भी दिला दीजिए। जैसे आपने आंध्र प्रदेश को नेशनल प्रोजैक्ट का स्टेट्स दिया है, हमारे यहां भी कालेश्वरम् एक प्रोजैक्ट है। उसे भी नेशनल प्रोजैक्ट का स्टेट्स दीजिए।...(व्यवधान) आपने एम्स दिया है, कृपया उसके लिए बजट एलोकेट कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय तेलंगाना।

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to participate in the debate on the Finance Bill. I am also happy that the hon. Finance Minister, Shri Arun Jaitley is present here.

Sir, firstly, I would discuss about the Income Tax. The Income Tax has been reduced in case of the low income group people, who are the salaried persons. It is also true that it is only the salaried class people, who pay their taxes in a correct way. They have little chance to hide their income. But the Finance Minister has reduced the Corporate Taxes from 30 per cent to 25 per cent; and he is hopeful that 'due to such tax reduction, the price of production of the corporates would go down and they would do further investments; and in such a way some new employment would be generated.'

Now, Sir, what is the position of employment in our country? In the last two years, there has been no expansion of employment in our country. So, we are frustrated in this sector. But in most cases, we find that the Indirect Tax have been increased. Service Tax, Customs Duty and Excise Duty have been increased. Only in the case of unconventional energy, the Excise Duty is reduced. Also, there is a compulsion of the Environment Conference in Paris. For this reason only, in the case of unconventional energy, the rate of tax has been reduced.

Sir, I would, therefore, suggest the hon. Finance Minister to give some more rebate on taxes of the salaries people of lower income group, who are under tax net, and impose more direct taxes on the corporates.

Sir, it is told from the Government's end that unprecedented tax has been collected this year. What is the reason that it has happened? I want to state here that it had happed only during the time of demonetization. The tax payers paid their tax, in advance, in excess. These excess tax would be refunded after certain period after all the accounts would be completed. In such a way, some persons converted their black money into white and some persons earned huge profits.

Sir, from the document we find that the revenue collection has increased this year. But why has it increased? Why is that the revenue collection has been better than that of previous years? It is mainly due to increase in Excise Duty on petroleum products. The Government is lucky that since 2014, the price of crude oil in the international market has been coming down. But, in spite of that, the Government has imposed more and more Excise Duty on petroleum products. So, through such types of taxations, the Government has earned a huge amount of two lakh crores of rupees.

Sir, the people of our country only are not getting the benefit of such price reduction of crude oil. The prices of petrol and diesel are the highest in our country. The price of petrol in Bangladesh is even cheaper than what is there in our country. This is the position in our country. Due to this reason only, the fiscal deficit has got reduced. In his Budget Speech, the hon. Finance Minister had said that the fiscal deficit has been reduced this year. But only with this reason, the fiscal deficit has been reduced.

Sir, from our Party, we demand reduction in the price of petroleum products in compliance with the international market. It must be reduced for the benefit of the common people of our country.

Now, I would like to discuss about the political funding. The Government has reduced the individual donation from Rs. 20,000 to Rs. 2,000. But there is no ceiling of expenditure for political parties in elections. Only candidates are under some restrictions. Everybody knows from where such huge money is coming to the political parties in elections. From our Party, I demand a ban on corporate funding to political parties by any means, be it by cheque, be it by cash or be it by election bonds.

Now, our Finance Minister has proposed election bonds. We are against it. We want a ban on all this. We want a ban on corporate funding in the elections.

Sir, I would like to speak on NPAs of the banks. Every year, the non-performing assets, that is bad loans, are increasing. Actually, they are not just

increasing, but they are jumping. Now, it is Rs. 11 lakh crore. But now, we find that the Government is advocating to recapitalize the public sector banks. What does it mean? You again give loan to the defaulters who are actually liable for NPAs. It means that again NPA will increase and all the banks will become bankrupt. Therefore, it is our view that it must not be considered. There is no direction from the Government as to how such a huge NPA will be recovered.

Finally, I want to discuss one more thing. इस सदन में बहुत सारी पार्टीज के लीडर्स और एमपीज ने फाइनेंस मिनिस्टर से एक बात पूछी कि डिमॉनेटाइजेशन के बाद 500 और 1000 रुपये के कितने नोट वापिस आये? लेकिन जितनी बार भी फाइनेंस मिनिस्टर अरूण जेटली जी सदन में आये, उतनी बार उन्होंने बताया कि अभी अकाउंट नहीं हुआ, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। जब अकाउंट हो जायेगा, तब इस बारे में बताया जायेगा। Finally, I got an answer from our Finance Minister. In this answer he told: "As on December 10, 2016, the specified bank notes of Rs. 500 and Rs. 1,000 returned to RBI and currency chests amounted to Rs. 12.44 lakh crore. Finally, I got this answer two days or three days before. The data obtained in this regard would be considered, after which only the final figures will be arrived at. As on 27th January, 2017, the notes in circulation amounted to Rs. 9.921 lakh crore. That means, the notes in circulation, are amount Rs. 10 lakh crore.

मुझे यह कहना है कि अभी दस लाख नोट्स ही सर्कुलेशन में हैं, जबकि इससे पहले ज्यादा नोट्स सर्कुलेशन में थे। अभी दस लाख नोट्स सर्कुलेशन में हैं, तो इसमें दो हजार रुपये के नोट्स कितने हैं? गवर्नमैंट ने जब फैसला ले लिया कि दो हजार रुपये के नोट्स प्रिंट कर लिये जायें, तो कुछ सॉल्यूशन हो जायेगा। दो हजार रुपये का नोट मार्केट में आ गया, लेकिन मार्केट में यह नोट नहीं चलता। यह नोट पाकेट में रहता है, घर में रहता है। ...(व्यवधान) इससे देश का कोई लाभ नहीं होता, बल्कि नुकसान होता है। गवर्नमैंट ने डिमॉनेटाइजेशन के बारे मे जो कहा, उससे लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ। धन्यवाद।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you very much Mr. Chairman, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Finance Bill, 2017.

There was a lot of expectation among the middle class and the salaried employees from the Budget, particularly, in context of the trouble faced by them for over two months due to demonetization.

The hon. Finance Minister has reduced the IT rate for persons having the income between Rs. 2.5 lakh to Rs. 5 lakh per annum, from the earlier rate of 10 per cent to five per cent. However, the Finance Minister said that the existing rebate of Rs. 5,000, which is available on income up to Rs. 5 lakh, has been reduced to Rs. 2,500. It will be applicable to assesses having the income of Rs. 3.5 lakh. We would request that the old limits should be retained as they were. We also request that the Government may kindly exempt the persons who are having an annual income up to Rs. 5 lakh from income tax.

In another change, the Finance Minister said that the long-term Capital Gains Tax on immovable property will apply after two years instead of three years. We request that this may further be reduced to one year as in the case of stock market. In fact, this is a pure speculation while it is a genuine investment drive.

The Finance Minister has imposed a surcharge of 10 per cent on those who are earning between Rs. 50 lakh to Rs. 1 crore. The current 15 per cent surcharge on those who are earning above Rs. 1 crore will be there. We really wonder why this additional surcharge is being imposed on those who are having an income up to Rs. 1 crore.

Sir, ever since the NDA Government came to power in 2014, the cesses and surcharges are being routinely increased so much so that as against what they used to constitute just 12 per cent of Gross Tax Revenues in 2014, presently, they constitute about 18 per cent which is very high.

For instance, there is Rs. 400 per tonne of coal collected as clean energy cess. Where is the need for this now, when the country is making good progress in terms of creation of capacity in Renewable Energy Sector?

While on this subject, it is important to note that during 2009 and 2016, the installed power capacity has increased from 1.75 lakh MW to 3 lakh MW, an unprecedented increase in the capacity in such a short span of time. Of this, the coal based power capacity increased from 79,000 MW in 2009 to 1.8 lakh MW. There is too much of power availability in the country. Unfortunately, the demand for power is not picking up as the manufacturing sector has not been showing any signs of growth. Whatever growth we have now is the intermittent ebbs and tides. As a result, a large number of private power projects are operating at low PLFs incurring huge losses, in the process, becoming NPAs. Power sector constitutes the single largest NPA of commercial banks. While the situation is like this, each State is going on to add more and more capacities in this sector creating potential NPAs at the incipient stage itself. It is time the country takes an impassionate look at the whole issue before things go from bad to worse.

It is a mystery as to why in spite of great focus of 'Make in India' programme and despite global commodity prices falling by over 60 per cent in the last two years and the entire country becoming power surplus, why is the manufacturing sector in India not picking up? For instance, the Index of Industrial Production for manufacturing was 204.7 in March, 2014 and after nearly 2 years 10 months, the IIP for manufacturing for the month of January, 2017 was reported by CSO as 199.2.

Despite levying 0.5 per cent cess as Krishi Kalyan cess on Service Tax from 1st June, 2016, what is the budgetary increase for agriculture? The Budget for Ministry of Agriculture and Farmer Welfare was increased from Rs. 48,072 crore in 2016-17 to Rs. 51,026 crore in 2017-18, an increase by six per cent for a sector on which more than 60 per cent of the population depends.

As regards indirect taxes, the Central Excise and Service Tax gets subsumed in the proposed GST scheduled to become operative from 1st July, 2017. As GST is coming into force, no major changes were made except to promote 'Make in India' programme, which we welcome.

In the Customs Duty, the Government has imposed a levy of Special Additional Duty of two per cent on import of populated circuit boards used in the manufacture of mobile phones. While this may marginally increase the price of phones in the short run, this would incentivize domestic manufacturing of PCBs. Further, the basic customs duty on import of solar tempered glass has been reduced from existing five per cent to nil and replaced with a levy of six per cent CVD. While BCD is a cost, CVD is creditable and hence not a cost. Parts required for manufacture of solar tempered glass would be subject to lower rate of excise duty of six per cent. The above moves would encourage domestic manufacturing of solar cells/panels/modules etc. in India.

Further, to accelerate disposing off the pending rulings, it has been proposed to merge the authority for advance ruling for Income Tax with that of Customs, Excise and Service Tax. This is good.

Coming to 2017-18 budget provisions, it is inexplicable as to why revenue receipts were projected to grow only by 6.5 per cent in 2017-18 over the revised estimate 2016-17 despite the revenue receipts for the period April-February 2016-17 registering a healthy growth rate of over 15 per cent and the indirect taxes registering a robust growth of 22 per cent for the same period. As a result, the total budget outlay will grow by less than six per cent. We wonder when we spend so little, as to how we can achieve the ambitious GDP growth of over seven per cent.

In conclusion, I would like to say that, Sir, in the Finance Bill, 2015, certain tax concessions were extended to States like Andhra Pradesh, Telangana, West Bengal and Bihar. But what Andhra Pradesh should be given are the tax concessions that were extended to Special Category States, as that was the promise

made by the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh on the demand made by BJP. We request and we reiterate kindly to grant the same to Andhra Pradesh to enable it to catch up with the other States because of unjust division of the State.

With these words, I support the Bill and conclude. Thank you.

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Sir, I express my hearty thanks and respect to our eternal Leader Puratchi Thalaivi Amma, before I speak on the discussion on the Finance Bill, 2017.

The Union Budget 2017-18 has come at a vital moment after the demonetization. This Budget represents a major forward movement for the country.

Reeling under the pressure of demonetization, which has weeded out 86 per cent of the country's bank notes, the Finance Minister focused on startups and the small and medium enterprises.

For SMEs with turnover up to Rs.2 crore, the Finance Minister said that the tax will be lowered from eight per cent to six per cent. This will reduce the financial burden and help SMEs. For startups, who have been waiting for tax incentives, the Finance Minister has announced that they will have to pay taxes for three out of seven years, only if they make profits.

MSMEs are the largest employment provider. This cash-based informal sector represents over 90 per cent of all enterprises. An increase in the credit guarantees for this sector from Rs.1 crore to Rs.2 crore is really good. The MSME sector is not yet ready to adapt the GST and has fear that GST could add to their woes. The Government has a duty and responsibility to allay their fears.

The public sector banks that are permitted to lend a certain proportion of their total loan kitty to the micro, small and medium enterprises have urged the Reserve Bank of India to relax the credit rating limits for some essential bodies like health sector.

Credit flow towards the MSME sector has been thinning due to a surge in Non-Performing Assets (NPA) in banks. Most banks have been shying away from financing them due to tough provisioning norms, and the default rate among MSMEs has been rising. The Budget, however, did not highlight any measures to relieve funding and fund pick-up. There were no measures for banks which worry about loan defaults. I urge the Union Government to take strict measures and ways

and means to collect loan dues from NPAs which will allow banks to finance more for the needy and genuine industries.

The Goods and Services Tax (GST) has been signed as the biggest indirect tax reform in India after Independence. With the ball set to roll for a unified country-wide tax reform, the market is filled with both hope and fear. GST will replace various other taxes such as Excise, VAT and Service Tax with a single tax structure. Driven by wide-ranging fears, several startups and SMEs are wary of the difficult impacts that may come into the picture with the GST rollout.

GST is destination-based consumption tax imposed at many stages of production and distribution of goods and services. It combines various other taxes such as State and local tax, entertainment tax, excise duty, surcharges and others. The tax is applicable on transaction value which includes packaging, commission and other expenses earned during sales.

It allows full tax credit from inputs and capital goods on procurement which can later be set off against the GST output liability. The main feature of GST would be that goods and services are considered alike and within the supply chain, they are taxed at a flat single rate till the customers can access them.

Another main feature of the GST roll out in India is that it will be dual based, that is, both Centre and various State Governments will tax GST separately. The Central Government will charge CGST and the State Governments will charge SGST respectively. The basis for classification of taxes, measure of levy and chargeability of taxes will be the same for both. This is necessary keeping in mind the federal structure of the Government, provided the governments at both levels have the liberty to administer their own taxes. In addition, GST will be levied on import of goods and services into India.

India is a global manufacturing hub and SMEs form around 90 per cent of the industrial units in the country. A large portion of SMEs are of the opinion that GST is not all good for the sector. The tax neutrality that the SMEs enjoy may be one of the important benefits. However, reduction in duty threshold is

one of the key concerns that have led them to be wary of the GST Bills.

GST regime will not differentiate between luxury goods and normal goods. This will make it hard for the SMEs to compete against large enterprises. GST ultimately charged on supply will not be available for input credit. This will lead to an increase in the cost of the products for businesses that supply directly to end-users.

Sir, our hon. *Puratchi Thalaivi Amma* was highly concerned about the impact the proposed GST will have on the financial independence of States and the huge permanent revenue loss it is likely to cause to a manufacturing and net exporting State like Tamil Nadu. It is quite natural that GST has a mixed opinion.

Furthermore, the GST system will have acceptance that will vary from State to State. In essence, the GST's effect on the entire Indian economy will have to be examined in entirety to reach a widely accepted conclusion. Until then, manufacturing States like Tamil Nadu should be sufficiently compensated and their loss due to implementing GST should be repaid then and there.

Sir, as a part of the roadmap for the implementation of GST, the Central Sales Tax rate was reduced from four per cent to two per cent with effect from 2008. The Government of India agreed to implement various non-revenue measures and direct release of funds to compensate the States for their revenue losses.

The Government of Tamil Nadu has been submitting its compensation claims regularly but has not received the promised compensation in full. We are grateful that after a long delay of nearly four years, a sum of Rs. 2,000 crore was finally released and Rs. 2238.35 crore during 2015-16.

However, even after these releases, as against the State Government's claim of Rs. 13,227.46 crore for the period from 2007 to 2013, a sum of only Rs. 6,875.25 crore has been released by the Government and a sum of Rs. 6,352.21 crore is yet to be reimbursed by the Government of India. I request that the entire

outstanding compensation claims of Tamil Nadu should be sanctioned and released at the earliest.

Thank you.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : महोदय, वर्ष 2014 में नई सरकार आने के बाद यह खुशकिस्मती की बात है कि देश में नई सरकार ही नहीं आई, बल्कि देश में नया विकास मॉडल भी आया। बदकिस्मती से जो पहले सरकारें आईं, उन्होंने देश को जो विकास मॉडल दिया था, उसकी वजह से धन कुछ लोगों के हाथों में चला गया। केवल दस परसेंट लोगों के पास देश का 90 परसेंट पैसा चला गया। आज खुशी की बात यह है कि मोदी सरकार आने के बाद जो योजनाएं आईं, उनकी वजह से फंड्स का डिसैंट्रेलाइजेशन हुआ। राज्यों में भी 29 परसेंट से 42 परसेंट जा रहा है और नीति आयोग आ गया तथा उसमें राज्यों का पार्टीसिपेशन हुआ। जनधन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं से पैसा आम लोगों के पास गया। जो मेजर थ्रस्ट एरिया था, जिन्हें इग्नोर किया गया था, जैसे गांव हैं, उन्हें ध्यान में रखा गया और पीएमपीएसवाई आदि योजनाओं के लिए बजट में फंड्स रखे गए, वे ज्यादा दिए गए। मनरेगा में 48 हजार करोड़ रुपया रखा गया। आज 73 किलोमीटर सड़क रोज बनाने की जगह 130 किलोमीटर सड़क रोज बनानी शुरू हुई है। इसी तरह से प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी 15 हजार करोड़ रुपए से बढ़ाकर 23 हजार करोड़ रुपए रखा गया है। ऐसे ही कई योजनाएं हैं जैसे किसान के भी फसल बीमा योजना, स्वॉइल हैल्थ कार्ड आदि हैं।

इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को कुछ मुश्किलों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ तक 'वन ड्रॉप मोर क्रोप' की बात है, प्रधान मंत्री सिंचाई योजना में केवल पांच हजार करोड़ रुपए रखे गये हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सैक्टर है और सबसे कम पैसा दिया गया है। कम से कम एक वर्ष में 25-30 हजार करोड़ रुपया 'वन ड्रॉप मोर क्रोप' का आइडिया पूरा करने के लिए हर वर्ष होना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा क्षेत्र है, जिसे कंडी एरिया कहते हैं, निम्न पहाड़ी क्षेत्र है, यहां पानी नहीं जाता है, बल्कि लिफ्ट करना पड़ता है, वहाँ इसके लिए अलग से फंड्स दिए जाने चाहिए।

महोदय, ऐसे ही स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया के कन्सेप्ट दिए गए, जो बहुत अच्छे हैं लेकिन ग्रो इंडिया का कन्सेप्ट भी होना चाहिए। मेक इन इंडिया का कन्सेप्ट है, माननीय वित्त मंत्री जी चले गए हैं, वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मेरे क्षेत्र में एनएफएल नांगल है, वहां केवल बैंक गारंटी देने की जरूरत है और कम से कम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर यूरिया कंज्यूम करते हैं, हम विदेशों से यूरिया मंगाते हैं, बैंक गारंटी देने से ही उसकी एक्सपेंशन हो सकती है। ऐसे ही कुछ दूसरे क्षेत्र भी हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।

महोदय, ऐसे ही जो प्रदेश बहुत मुश्किल समय में देश के साथ खड़े रहे, जैसे पंजाब ने देश की भुखमरी दूर की और पंजाब ने अपना पानी खत्म कर लिया है। हमने अपनी धरती की शक्ति खत्म कर ली।

हम चाहते हैं कि ऐसे प्रदेशों के लिए विशेा पैकेज देना चाहिए। वहां के किसान की प्रति एकड़ स्थिति देख ली, प्रति परिवार स्थिति देख ली, सबसे ज्यादा पंजाब का किसान कर्ज में है। ऐसे प्रदेश की मदद करने के लिए विशेष पैकेज की जरूरत है। ऐसे ही जो सरहदी प्रांत हैं, उन्हें कभी भी वहां से हटा दिया जाता है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। जो सरहदी क्षेत्र हैं, उनके लिए विशेष फंड्स होने चाहिए। सरहद के प्रांतों के पास एक तार लगी हुई है और उस तार के उस तरफ भी लोग खेती करते हैं। वे शाम को चार बजे के बाद वहां नहीं जा सकते। देश में केवल एक बार उन्हें कम्पंसेशन दिया गया, जब माननीय आडवाणी जी गृह मंत्री थे। उसके बाद उन्हें कभी मुआवजा नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि बजट के माध्यम से उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मेरा ख्याल है कि 70-80 प्रतिशत संसद सदस्यों ने मांग रखी है कि जंगली जानवर और आवारा पशु हैं, वे किसानों की फसलें खराब करते हैं, उनके लिए कोई फण्ड नहीं रखा गया है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मिला, वे कहते हैं मेरे पास फण्ड नहीं है। फिर हम फॉरेस्ट मंत्री से मिले, वे भी कहते हैं, मेरे पास फण्ड नहीं है। यह देश की बड़ी समस्या है और उसके लिए फण्ड नहीं है। देश के किसानों और देश की आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए फण्ड्स की जरूरत है।

जहाँ तक स्किल इंडिया इंडिया की बात है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार का इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन करने का बहुत अच्छा आइडिया है। उसके लिए अधिक फण्ड्स की जरूरत है।

मैं वेस्टेज ऑफ रेन वाटर के बारे में कहना चाहता हूँ। यह दुख की बात है कि बारिश का पानी वेस्ट हो जाता है। मेरा ख्याल है कि कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं, जो पानी के लिए लड़ते हैं। इसके लिए पंजाब-हरियाणा का झगड़ा है, पंजाब-राजस्थान का झगड़ा है, दिल्ली-हरियाणा का झगड़ा है, तमिलनाडु-कर्नाटक का झगड़ा है। यदि बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए देश में कंप्रिहेंसिव योजना बनायी जाए। यह सही है कि वित्त मंत्री जी ने 10 लाख तालाबों की खुदाई की गयी है। मैं कहना चाहता हूँ कि उन तालाबों में पानी कहाँ से आएगा। इन तालाबों को प्राकृतिक जल संसाधनों से जोड़नी चाहिए ताकि उनमें पानी तो आए। प्राकृतिक जल संसाधनों पर चेक डैम लगने चाहिए। पंजाब में कम से कम दो दर्जन चेक डैम लगे हुए हैं। उन डैम्स में सिल्ट भर गयी। जब हम सिल्क निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ का माइनिंग डिपार्टमेंट ऐसा नहीं करने देता है।

मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि जैसे पहले रेलवे बजट अलग होता था, वैसे ही अब कृषि का बजट भी अलग होना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि रेल बजट इसलिए अलग से पेश होना शुरू हुआ, क्योंकि देश भर के ज्यादा लोग उस पर डिपेंड करते थे। अब कृषि पर भी ज्यादा लोग

डिपेंड करते हैं, इसलिए कृषि बजट भी अलग होना चाहिए। खेती में डेयरी के लिए दो हजार करोड़ रुपये से 8 हजार करोड़ रुपये रखा गया है। जी.एस.टी. के संबंध में मैं समझता हूँ कि कृषि के सहायक धंधों में जी.एस.टी. की एग्जम्पशन होनी चाहिए। आज केवल खेती से किसानों का गुजारा नहीं होता है। डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री जैसे कृषि के सहायक धंधों को बढ़ोत्तरी देने के लिए अलग से फंड देने की जरूरत है। ऐसे ही हमारे जो हिल और सेमी-हिल एरियाज हैं, आज उनके लिए भी विशेष पैकेज दिए जाने की जरूरत है। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूँ कि जब तक पानी और सिंचाई को प्रायोरिटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक न तो कृषि बढ़ सकती है और न ही किसान बढ़ सकते हैं। किसान को बचाने के लिए सिंचाई को इंफ्रास्ट्रक्चर में लेने की जरूरत है और उसके लिए और फंड्स की जरूरत है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज देश के बहुत सारे प्रदेशों में यह माँग उठ रही है कि किसानों को कर्जे से मुक्त किया जाए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश को कांग्रेस से मुक्त करने की कोशिश की है, वैसे ही उसको किसानों को कर्जे से मुक्त करने की भी योजना बनानी चाहिए। इसका निपटारा करने के लिए एक विधि बनाई जानी चाहिए। फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस योजना में 50 परसैंट लोगों को कवर करने का टार्गेट किया गया है, जिसमें से 30 परसैंट लोग आज कवर हो चुके हैं। हमारे देश में किसानी के अलावा हर चीज का इंश्योरेंस होता है।

महोदय, जो सॉयल हैल्थ कार्ड बने हैं, उनके लिए प्रयोगशालाओं की कमी है। इन प्रयोगशालाओं के लिए जो पैसा रखा गया है, वह बहुत कम है। अगर प्रयोगशालाएं नहीं होंगी, तो उनके सॉयल हैल्थ के लिए कार्ड कैसे बन सकेंगे। उनकी टैस्टिंग कैसे हो सकेगी। इन नई स्कीमों के रिसर्च वर्क के लिए और पैसे की जरूरत है। कुल मिलाकर मैं इस बजट का सपोर्ट करता हूँ और इसके साथ ही आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आदरणीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत फाइनेंस बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। जब हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, तो मुझे लगा कि उन्हें देश की इकोनॉमी के बारे में कुछ नॉलेज होगी जिसके बारे में वे हमें बताएंगे। जब हमारे मित्र श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपना भाषण कन्क्लूड किया तो मुझे लगा कि उनकी हालत 'खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे' जैसी थी। उनके द्वारा कही हुई किसी भी चीज में कोई सब्सटेन्स नहीं है। एक कहावत है :-

बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय,
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।

महोदय, इन्होंने सबसे पहला सवाल जी.डी.पी. पर उठाया है कि जी.डी.पी. के जो नॉर्म्स हमने अभी तय किए हैं, उन्हें पूरी दुनिया गलत कह रही है। हमने जी.डी.पी. के नॉर्म्स बदले हैं और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी 7.3 या 7.5 परसेंट की दर से आगे बढ़ रही है, वह उसी तरह का सवाल था जैसा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कांग्रेस पार्टी भारत सरकार से सवाल कर रही थी। वह हमारी आर्मी के ऊपर क्वेश्चन कर रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ। मोइली साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आप जिस कमेटी के चेयरमैन है, मैं उसी कमेटी की रिपोर्ट लेकर यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप फाइनेंस कमेटी के चेयनमैन हैं और संयोग से मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूँ। मुझे लगा कि कहीं कमेटी ने भी जी.डी.पी. के बारे में तो ऐसा नही कह दिया है। मैं आपकी रिपोर्ट कोट करना चाहता हूँ। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि "The change of base year is more relevant in the case of India''. आप यह बात कह रहे हैं। आप इसके अध्यक्ष हैं और इस पर आपके साइन हैं। "GDP computation needs to be based on accounting information. Faster changes in the economy require base revision with shorter intervals. Earlier, it was ten years. Now it is five years ''.

पहले दस साल में चेंज होता था अब पांच साल में होता है। कांग्रेस के मित्रों को क्या हो गया है, वह चीजों को समझना क्यों नहीं चाहते हैं, वह देश को क्यों गुमराह करना चाहते हैं?

> "The last four base years' revision are as follows: from 1980-81 to 1993-94 in February, 1999."

वर्ष 1980 से 81 और वर्ष 1993 से 94 तक का बेस ईयर 1999 था।

HON. CHAIRPERSON : Please continue your speech tomorrow.

The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 22nd March, 2017 at 11.00 a.m.

18.00 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March 22, 2017/Chaitra 1, 1939 (Saka).